खण्ड-201, अंक-1
सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1880
(16 फरवरी, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२८
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	२८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों और नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	२८–२९
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	२९
१९५८–५९ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर विवादार्थ समय विभाजन ..	२९–३१
१९५८–५९ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	३२–५१
१९५८–५९ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १––लेखा शीर्षक ४––कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (स्वीकृत)	५१
अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––भू-राजस्व (मालगुजारी) (स्वीकृत)	५१
अनुदान संख्या ४––लेखा शीर्षक ९––स्टाम्प (स्वीकृत)	५२
अनुदान संख्या १०––लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८––सिंचाई स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	५२
अनुदान संख्या १२––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (स्वीकृत)	५२
अनुदान संख्या १५––लेखा शीर्षक २७––न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	५२
अनुदान संख्या १६––लेखा शीर्षक २८––जेल और बन्दी बस्तियां (स्वीकृत) ..	५३
अनुदान संख्या १७––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (स्वीकृत)	५३
अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक ३७––शिक्षा (स्वीकृत)	५३
अनुदान संख्या १९––लेखा शीर्षक ३८––चिकित्सा (स्वीकृत).. ..	५३–५४
अनुदान संख्या २०––लेखा शीर्षक ३९––जन स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	५४
अनुदान संख्या २४––लेखा शीर्षक ४१––विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	५४
अनुदान संख्या २७––लेखा शीर्षक ४३––उद्योग (स्वीकृत)	५४
अनुदान संख्या २८––लेखा शीर्षक ४७––श्रम (स्वीकृत)	५४
अनुदान संख्या २९––लेखा शीर्षक ४७––परिवहन विभाग तथा ४४––उड्डयन (स्वीकृत)	५४–५५
अनुदान संख्या ३१––लेखा शीर्षक ५०––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	५५
अनुदान संख्या ३२––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य––केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत)	५५
अनुदान संख्या ३३––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य और ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत)	५५

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	५६
अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें (स्वीकृत)	५६
अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें (स्वीकृत) ..	५६
अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना (स्वीकृत) ..	५६–५७
अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	५७
अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	५७
अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--प्रसाधारण व्यय (स्वीकृत) ..	५७
अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय (स्वीकृत)	५७–५८
अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत)	५८
अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	५८
अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ८१--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	५८
अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८२--कृषि अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग), सरकारी बस-सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	५९
अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक--त--व्याज वाले ऋण तथा अग्र-ऋण (स्वीकृत)	५९
अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--बन (स्वीकृत)	५९–७७
अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	७७–८२
अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (स्वीकृत)	८२–८३
अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) ..	८३
अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	८३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ (विचारोपरान्त पारित)	८३–९०
नत्थियां	९१–१०१

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री]
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादार्मासिह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामाधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम, खां
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ फरवरी, १९५९

अनुपसूचित तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में किड़िहाड़ापुर स्टेशन पर सरदारनगर चीनी मिल का कांटा न होना

**१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किड़िहाड़ापुर, जिला बलिया रेलवे स्टेशन से गन्ना चालू सीजन में किस चीनी मिल को पेरने के लिये दिया गया, और उस मिल ने अब तक कांटा क्यों नहीं लगाया ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--गन्ना आयुक्त ने १९५८-५९ सीजन में किड़िहाड़ापुर (बलिया) रेल सेन्टर का गन्ना सरैया फैक्टरी, सरदारनगर (गोरखपुर) को पेराई के लिये जनवरी ७, १९५९ से दे दिया है। उक्त मिल को किड़िहाड़ापुर सेन्टर से गन्ना खरीद प्रारम्भ करने के लिये गत ४ फरवरी को आदेश भी दे दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि इस स्टेशन पर अब तक सरदारनगर मिल ने गन्ना पेरने का कांटा क्यों नहीं लगाया है और अब तक उसने एक मन भी गन्ना लिया क्यों नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय सदस्य के सामने ही गन्ना आयुक्त को जो आदेश मैंने दिये हैं उनसे उनको जानकारी है। हमने सरदारनगर की इस फैक्टरी को ४ फरवरी व १० तारीख को इसी महीने में फिर कहा है कि वहां से वे गन्ना उठायें। सरदारनगर फैक्टरी ने इस सम्बन्ध में अपील कर रखी थी, वह अपील जब तक जाब्ते से तय नहीं हो जाती थी तब तक वे गन्ना नहीं उठा सकते थे। वह अपील खारिज कर दी गई है, आदेश भी दे दिये गये हैं कि वे गन्ना वहां से उठायें। इस वक्त इससे अधिक सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह अपील खारिज होने के बाद वहां पर कांटा लगाने में मिल को क्या एतराज है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मिल को एतराज करने का न हक है, न एतराज का सवाल उठता है। उनको निश्चित आदेश दे दिये गये हैं।

श्री गौरीशंकर राय--सरकार के निश्चित आदेश के पश्चात् भी इस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मुझे इस बात की आज की तारीख तक कोई सूचना नहीं है कि हमारे आदेशों की अवहेलना हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि कल तक वहां गन्ने के पेरने का कोई इन्तजाम नहीं था और सरकार के आदेश की अवहेलना की गयी है और सरकार यह भी बतलायेगी कि ४ लाख मन गन्ना जो वहां बलिया व आजमगढ़ जिले का पड़ा हुआ है उसको सीजन के अन्दर पेरने का क्या इन्तजाम किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सीजन के अन्दर वह गन्ना पिरे इसलिये यह सरैया शुगर फैक्टरी को दिया गया है । कल तक कांटा लगा या नहीं लगा इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

शाहजहांपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

**२---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध गत २० दिसम्बर को अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां, गत २० दिसम्बर को श्री राम भरोसे लाल गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया था । उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् श्री गुप्ता ने २३ दिसम्बर, १९५८ को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था जिसे शासन ने गत ९ फरवरी को स्वीकार कर लिया है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस्तीफा स्वीकार करने में डेढ़ महीने से ज्यादा देर लगाने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इन गुप्ता जी के खिलाफ कुछ और शिकायतें आयीं वे विचाराधीन थीं आया इस्तीफा स्वीकार किया जाय या न किया जाय, इस वजह से देरी हो गई ।

श्री त्रिलोकीसिंह---और शिकायतों की जांच का नतीजा क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---निर्णय तो यही किया कि बजाय रिमूव करने के उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री गौरीशंकर राय---वे शिकायतें किस प्रकार की थीं जिनके कारण इस्तीफा डिले हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ उनके कार्यकाल की अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें थीं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष के चुनाव के लिये सरकार ने कोई तिथि निश्चित की है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस्तीफा स्वीकार हो गया है और तुरन्त चुनाव करा दिया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें आई थीं वे सरकार के यहां विचाराधीन रहीं या सरकार ने जिलाधीश के द्वारा उनकी जांच भी कराई ?

श्री अध्यक्ष---यह विशेषकर प्रश्न अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में है । उसके ब्योरे की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन शिकायतों में रुपये-पैसे के गोल-माल की भी शिकायतें थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---शिकायतें श्रीमन्, क्या थीं, यह तो एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था, शिकायतों का ब्योरा दूसरी फाइल में है ।

पूर्वी जिलों में सस्ते अनाज की दुकानें

**३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वीय जिलों में देहाती क्षेत्र की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रतिदिन कौन-कौन सा तथा मनों में कितना-कितना गल्ला बेचने का कब से आदेश दिया गया है ?

**४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों में देहाती सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर प्रति दिन कितना-कितना कौन-कौन सा गल्ला तथा मनों में कितना-कितना गल्ला बेचने का आदेश दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रतिदिन गेहूं बेचने के लिये एक उच्चतम मात्रा ३० मन निर्धारित कर दी गई थी और इसके अन्तर्गत समय-समय पर गल्ले के स्टाक की स्थिति देखते हुये आवश्यक मात्रा निर्धारित करने के अधिकार रीजनल फूड कन्ट्रोलर को हैं । और खाद्यान्नों के लिये कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं है और वह गल्ले के स्टाक की स्थिति तथा स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है ।

इस समय पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में प्रतिदिन बेचे जाने वाले गल्ले की मात्रा निम्नलिखित है :

	नगर क्षेत्र	देहाती क्षेत्र
१---पूर्वी जिले	३० मन गेहूं । चावल तथा मोटा अनाज स्टाक की स्थिति के अनुसार ।	५ मन गेहूं तथा मोटा अनाज स्टाक की स्थिति के अनुसार ।
२---पश्चिमी जिले ।	३० मन गेहूं । चावल तथा मोटा अनाज स्टाक की स्थिति के अनुसार ।	१५ मन गेहूं तथा मोटा अनाज स्टाक की स्थिति के अनुसार ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों के देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों पर ५ मन और १५ मन गेहूं बेचने का जो प्रतिदिन आदेश है तो इसमें १० मन का फर्क क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अक्तूबर में स्थिति सुधरने के बाद सब जगह देहाती क्षेत्रों में गेहूं देना बन्द कर दिया था । मगर जब पश्चिमी जिलों में अनाज का भाव, खास तौर पर गेहूं का भाव बहुत बढ़ा और वहां पर चावल की अच्छी फसल नहीं हुई थी, ज्वार, बाजरा की भी नहीं हुई थी इसलिये पश्चिमी जिलों में बढ़ते हुये भाव को रोकने के लिये वहां ज्यादा मात्रा में देना पड़ा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री जी को जानकारी है कि पूर्वी जिलों की आबादी का ख्याल करते हुये और वहां पर गल्ले की कमी का ध्यान रखते हुये क्यों वहां से यह मांग सरकार क पास नहीं आई है कि गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाय और चावल वगैरह जो नहीं दिया जाता है वह भी दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार इन सब बातों से अवगत रहती है और गत वर्ष जब कि पूर्वी जिलों में ज्यादा कीमतें बढ़ी थीं और अन्न की कमी थी उस वक्त पश्चिमी जिलों को कुछ नहीं दिया गया था और पूर्वी जिलों में ही अधिकांश दूकानें खोली गई थीं । इस वक्त जितना हमारे पास गेहूं है उसको देखते हुये हम पूर्वी जिलों को अधिक से अधिक देने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या पूर्वी जिलों की परेशानी को देखते हुये मंत्री जी गेहूं की मात्रा को ५ मन से बढ़ाकर अधिक करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि हमारा अपना तो कोई स्टाक था नहीं । इम्पोर्टेड गेहूं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लिया है । जितनी मात्रा में उपलब्धि होती रहती है उसके अनुसार वितरित करते रहते हैं । अभी इस बात की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है कि मात्रा को बढ़ाया जाय, बल्कि मैं समझता हूं कि जहां पर आवश्यकता होती है । दुकानों को बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या इस बात को देखते हुये कि, जैसा कि मंत्री जी ने उपलब्धि के बारे में कहा, पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों में गेहूं के देने में फर्क है, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है कि उसके साथ-साथ पूर्वी जिलों में चावल भी दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस वक्त चावल का तो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और यह इसलिये कर रहे हैं कि जहां कहीं आवश्यकता होगी तो यह बफर स्टाक, जो बनेगा, उससे चावल या अन्य अनाज की पूर्ति की जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में देहाती क्षेत्रों की दुकानों को ऐसे आदेश हैं कि किसानों को सस्ते गल्ले की दुकान से गल्ला मिल सके ? यदि हां, तो कितने बीघे तक के किसान को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---देहाती क्षेत्रों में जो दुकानें खुली हैं वे किसानों के लिये ही खुली हैं ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या यह सही है कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में से बेश्तर जिलों के देहाती क्षेत्र में कोई भी सस्ते गल्ले की दुकान नहीं खोली गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जरा स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या यह सही है कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में से बेश्तर जिलों के देहाती क्षेत्र में कोई भी सस्ते गल्ले की दुकान नहीं खोली गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वहां तो देहाती क्षेत्रों में अब तो काफी दुकानें खुल गई हैं ।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---मंत्री जी ने यह कहा कि स्टाक के अनुसार । तो क्या मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि पश्चिमी जिलों के देहातों में एक-एक महीने से गल्ला नहीं पहुंचा है ? क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह बात सही नहीं है । बराबर गल्ला पहुंच रहा है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे की स्थिति के अनुसार उसका एवरेज प्रतिदिन कितना आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---२५ से ३० मन तक रोज वितरित होता है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मोटा अनाज जो दिया जा रहा है, उसमें किस-किस किस्म का अनाज है और चना कितना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चने की मात्रा बहुत कम थी क्योंकि चना जो कुछ हमारे पास था वह वही था जो फ्रीज किया गया होरडर्स से और वहीं बांटा गया । थोड़ा सा मेज आया था वह भी बांटा गया । छोटी ज्वार दी गई और उसे मिलाकर खाने के लिये गेहूं दिया गया ।

गन्ना हड़ताल के कारण चीनी मिलों की बन्दी

**५—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चीनी के कौन-कौन कारखाने इस सीजन में कितने-कितने समय तक गन्ना उत्पादकों द्वारा १ रु० ७ आने मन तथा १ रुपया ५ आने प्रति मन गन्ना न देने के कारण बन्द रहे अथवा कुछ कम समय तक चले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस सीजन में गन्ना आन्दोलन के कारण जो चीनी मिलें जितने समय बन्द रहीं उनका विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१-९२ पर)

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार को कोई इत्तिला थी कि हड़ताल होने वाली है तो उस ने हड़ताल को रोकने के लिये क्या उपाय किये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जितनी अपने पास समझ थी उसके मुताबिक सब को समझाने की कोशिश की गई और हमें खुशी है कि प्रदेश की मिलों ने बहुत बड़ी संख्या में सरकार को मिलों के चलवाने में सहायता दी और किसानों ने भी सहायता देकर गन्ना मिलों तक पहुंचाया ।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपने समझाने के प्रयत्न में क्या सरकार ने केन उत्पादकों को भी बुलाकर समझाने की कोशिश की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुख्य मंत्री जी से उनके प्रतिनिधियों से बातचीत हुई ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों से जो बातचीत हुई उसके आधार पर मिलमालिकों से भी कोई बात हुई, और यदि हुई, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह पूरा इतिहास है जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी यहां कई बार दोहरा चुके हैं, बार-बार कहने से सदन का समय ही नष्ट होगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों से माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात हुई वह प्रतिनिधि कौन थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गन्ना उत्पादकों की यूनियनों का जो फेडरेशन है उसके प्रतिनिधि थे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि गन्ने के दाम बढ़ाने के लिये जो आन्दोलन चला उससे कुल प्रदेश की ५५ चीनी मिलें प्रभावित हुईं ? यदि नहीं, तो कितनी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कहना गलत होगा कि ५५ मिलें बन्द हुईं । इस सीजन में यहां तीन बार ३ आन्दोलन चले विभिन्न झंडों के नीचे । पहली बार दस मिलें शामिल हुईं और ज्यादा से ज्यादा ६ दिन और कम से कम एक दिन बन्द रहीं । उसके बाद जो दूसरी कोशिश हुई गन्ना मिलों को बन्द कराने की और राजनीतिक कारणों से जो सिलसिला चला उस में १५-१६ मिलों ने हिस्सा लिया जिन में से बहुत सी वही थीं जिन्होंने पहले हिस्सा लिया था और तीसरी बार जब यह ५ फरवरी से हुआ तो उस में केवल ५ मिलों ने हिस्सा लिया । इस तरह से भी तादाद ५५ नहीं बनती, जो मैंने बताया उसके अनुसार जो गिन्ती बनती हो वह बना ली जाय ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन राजनीतिक कारणों को बताने की कृपा करेंगे कि जिन से मिलें बन्द हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कुछ दलों ने कोशिश की कि किसानों से प्रेम का इजहार करने का नया तरीका निकाला जाय ।

तारांकित प्रश्न

खतौली कोआपरेटिव यूनियन, जिला मुजफ्फरनगर में ग़बन

*१---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास खतौली कोआपरेटिव यूनियन, जिला मुजफ्फरनगर में कोई गबन होने की सूचना आई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी हां, खतौली कोआपरेटिव यूनियन जिला मुजफ्फरनगर में सहकारी सुपरवाइजर द्वारा १६,१०३ रु० ४ आना (सोलह हजार एक सौ तीन रुपया चार आना) का गबन होने की सूचना सरकार को है ।

सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया गया था और मामला पुलिस को दे दिया गया था । इस समय यह मामला सेसन कोर्ट में है ।

खरीफ आन्दोलन योजना

*२---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने इस प्रदेश में कोई खरीफ-आंदोलन चलाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आन्दोलन की संक्षिप्त योजना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । खरीफ आन्दोलन सम्बन्धी संक्षिप्त योजना† संलग्न है । खरीफ कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय की अपील और विकास आयुक्त के मासिक पत्र की एक प्रति भी संलग्न है ।

*३---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त खरीफ आन्दोलन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

श्री मोहनलाल गौतम---खरीफ आन्दोलन का यह लक्ष्य था कि किसानों का ध्यान निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विशेष रूप से दिया जाय :

(१) जापानी पद्धति द्वारा धान की खेती ।
(२) हरी खाद का प्रसार और बीज पैदा करना ।
(३) पंक्तियों में बुवाई ।
(४) रासायनिक खाद का प्रयोग ।
(५) मेड़बंदी द्वारा भूमि सुधार ।

मौसम की विषम परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं तथा किसानों ने बड़े धैर्य और उत्साह का प्रदर्शन दिया जिसके फलस्वरूप हमारा खरीफ आन्दोलन काफी सफल रहा । जापानी ढंग से धान की खेती इस आन्दोलन के फलस्वरूप पिछले वर्ष की अपेक्षा दूने क्षेत्र में अपनाई गई । खरीफ की फसल की पंक्तियों में बुवाई इस आन्दोलन का एक नया कार्यक्रम था । धान की पंक्तियों में बुवाई अत्यन्त सफल पाई गई । कहीं कहीं तो धान की पंक्तियों में बुवाई बड़े लगाई फसल से भी अच्छी हुई । हरी खाद पिछले वर्ष की अपेक्षा तीन गुने क्षेत्र में दी गई तथा र सायनिक खाद का वितरण भी पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग ४० प्रतिशत अधिक हुआ । मेड़-बन्दी का कार्यक्रम भी इस वर्ष गहन रूप से चलाया गया और उसमें सफलता प्राप्त हुई ।

---

†छापी नहीं गई ।

गन्ना सहकारी समिति, जिला पीलीभीत में किसानों की जमा रक़म

*४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना सहकारी समिति, जिला पीलीभीत के पास सन् १९५७ तथा इस वर्ष अब तक का किसानों का कितना रुपया जमा ह ?

श्री मोहनलाल गौतम—गन्ना सहकारी समिति, जिला पीलीभीत के पास सन् १९५७ तथा इस वर्ष में अन्य बचत योजना और कोआपरेटिव शुगर मिल के हिस्सों के सिलसिले में किसानों ने कटौती द्वारा जो रुपया जमा किया है उसका विवरण संलग्न पत्र में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त समिति ने किसानों के गन्ने की पूरी कीमत मिलों से बरामद कर के अपने पास रख ली है और उनके द्वारा मांगे जाने पर कहा कि रुपया हमारे पास नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मिलों ने अपने पास रख लिया था इसकी सूचना मुझे नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—संलग्न तालिका में जो धन दिया हुआ है तो क्या यह धन किसानों की अपनी खुशी से जमा किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो कटौती होती है वह किसानों की जो यूनियनें बनी हुई ह उनकी जनरल बाडी की मंजूरी से होती है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या यह सही है कि जनरल मीटिंग में जब किसानों के सामने यह प्रस्ताव आया तो किसानों ने इसे स्वीकार नहीं किया और प्रस्ताव जबर्दस्ती लिख लिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सूचना जो माननीय सदस्य के पास है वह मेरे पास नहीं है।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो किसानों से कटौती मिल चलाने के सिलसिले में वहां जमा हुई है तो गवर्नमेन्ट ने कोई विश्वास दिलाया है कि वहां पर कोई मिल कायम की जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—कटौती तो इसी आधार पर हुई थी कि वहां मिल कायम की जाय और उसके लिये रुपया जमा किया जाय लेकिन अब मिल के चलाने में दिक्कत नजर आ रही है।

श्री मोहनलाल वर्मा—तो यह रुपया जो किसानों ने जमा किया है वह उनको कब तक वापस कर दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह वापस करने की आज्ञा जल्दी ही जारी होने वाली है।

आजमगढ़ जिले में सीमेंट वितरण की व्यवस्था

*५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट ग्रामीण जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके इसके निमित्त थोक विक्रेताओं (stockists) की नियुक्ति की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

*६—श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में वह व्यवस्था कहां-कहां पर सरकार ने की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में निम्नलिखित स्थानों में सीमेंट के वितरण की व्यवस्था है :

तहसील का नाम	स्थान
१—सदर	१—आजमगढ़ नगर । २—सराय मीर । ३—रानी की सराय ।
२—मुहमदाबाद	१—मऊ । २—मुहमदाबाद- ३—मुबारकपुर
३—घोसी	१—घोसी, २—दोहरी घाट ।
४—सगड़ी	१—अन्जान शहीद ।
५—लालगंज	१—लालगंज ।
६—फूलपुर	१—फूलपुर ।

दस और स्थानों पर थोक विक्रेताओं की नियुक्ति के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है ।

खीरी जिले में खाद्यान्न की खत्तियां

*७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी के माल गोदाम के सामने मोहल्ला गोटइया बाग में सरकार की कितनी खत्तियां बनी हैं और उनमें कितना खाद्यान्न भरने की क्षमता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लखीमपुर-खीरी के मालगोदाम के सामने मोहल्ला गोटइया बाग म सरकार की एक सौ खत्तियां हैं और उन में चालिस हजार मन खाद्यान्न भरने की क्षमता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास नगर में खाद्यान्न भरने के कोई भांडार किराये पर भी हैं ? यदि हां, तो उनका कितना मासिक किराया दिया जा रहा ह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय खत्तियों में कितना सरकारी खाद्यान्न भरा हुआ है और कितनी खत्तियां खाली हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सब ब्योरे के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

पडरौना तहसील में सस्ते अनाज की दूकानों से अवैध बिक्री

*८—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करग कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में सन् १९५८ ई० में सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला अवैध रीति से बेचने की कितनी शिकायतें सरकार को मिली हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—एक ।

*९—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बतायेंगे कि तहसील पडरौना की सस्ते गल्ले की दूकानों (किन्नर पट्टी व विशुनपुरा) से बिहार प्रदेश को गल्ला बेचने की कितनी शिकायतें सरकार को मिली हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--एक ।

*१०--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)--[१७ फरवरी, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सीतापुर जिले में लोहे की सरिया की पूर्ति

*११--**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि सीतापुर जिले में फरवरी सन् १९५८ ई० से अब तक जिला पूर्ति अधिकारी के पास वितरण हेतु लोहे की सरिया नहीं भेजी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।

ठाकुरद्वारा तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें

*१२--**श्री किशनसिंह** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील में सस्ते गल्ले की तीन दूकानें निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई हैं :

ठाकुरद्वारा टाउन	.. ..	१ दूकान
सुरजन नगर	.. ..	१ दूकान
डिलारी	.. ..	१ दूकान
योग	..	३ दूकानें

*१३--**श्री किशनसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में प्रति दूकान प्रति दिन कितना गल्ला दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जिला मुरादाबाद में सस्ते गल्ले की दूकानों पर प्रतिदिन बेचे जाने वाले गल्ले की मात्रा निम्नलिखित है:

शहरी क्षेत्र में .. ३० मन गेहूं (चावल तथा मोटा अनाज स्टाक की उपलब्धता के अनुसार) ।

देहाती क्षेत्रों में .. १० मन गेहूं तथा मोटा अनाज स्टाक की उपलब्धता के अनुसार ।

नानकसागर कालोनी में सस्ते अनाज की दूकान न होना

*१४--**श्री प्रतापसिंह**--क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानकसागर कालोनी जहां करीब ८०० मजदूर हैं वहां सस्ते गल्ले की दूकान खुल गई है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नानकसागर में सस्ते गल्ले की एक दूकान खोलने की स्वीकृति दे दी गई थी, परन्तु वहां की स्थानीय जनता की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र उक्त दूकान के लिये नहीं आया । अतः किछा के सर्वश्री हरकिशन लेखराज को मार्च, १९५८ में इस दूकान के लिये नियुक्त किया गया किन्तु शीघ्र ही उन्होंने गल्ले की बिक्री कम होने के कारण दूकान बन्द कर दी । उन के बाद दूसरे व्यक्ति श्री रणजीत सिंह कोहली को नियुक्त किया गया किन्तु उन्होंने न दूकान ही खोली और न इसका कारण ही सूचित किया । तदुपरान्त श्री नन्दनसिंह विष्ट मौजा

गोविन्द नगर, देवरिया को ७ नवम्बर १९५८, को नियुक्त किया गया पर उन्होंने भी नानकसागर में कोई दूकान खाली न मिलने के कारण यह दूकान न खोली । अन्त में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, नानकसागर डिवीजन, बरेली के अनुमोदन पर श्री जीवन लाल पुत्र हीरालाल जैन बरेली को २ दिसम्बर, १९५८ को नियुक्त किया गया है और आशा की जाती है कि यह दूकान अब चल रही होगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय खाद्य मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि ३१ जनवरी को उस इलाके के एम० एल० ए० और वहां की मजदूर यूनियन ने एक प्रस्ताव प्रार्थना-पत्र समेत भेजा कि वह दूकान उनको दी जाय फिर क्यों नहीं दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बेहतर यह होगा कि आप इसको लिख कर दे दें तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी को पता है कि नानकसागर जो बन रहा है वहां इमारतों पर सिंचाई विभाग का कब्जा है तो उनको लिखने की कृपा की जायगी कि जो दूकान खोली जा रही है उसके लिये कमरा दे दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं कह चुका हूं कि आप लिख कर दे दें और सुझाव भी दे दें तो मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

ऊसर सुधार केन्द्र

*१५---**श्री मुक्तिनाथ राय** (अनुपस्थित)---तारांकित प्रश्न १०३, दिनांक १२ सितम्बर, १९५८ के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में प्रदेश के किन-किन जिलों में ऊसर सुधार केन्द्र खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम---निकट भविष्य में प्रदेश के किसी जिले में नये ऊसर सुधार केन्द्र खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

शाहगंज तहसील के बीज गोदाम

*१६---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी आन्दोलन के सिलसिले में जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज में उन्नत बीज तथा रासायनिक खाद आदि के वितरण के निमित्त कितने सरकारी बीज गोदाम खोले जा रहे हैं ?

*१७---क्या सरकार उन ग्रामों के नामों की सूची देने की कृपा करेगी जहां उक्त बीज गोदाम खोले जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---रबी आन्दोलन के सिलसिले में सरकारी बीज गोदाम नहीं खोले गये परन्तु बीज योजना के अन्तर्गत शाहगंज तहसील में निम्नलिखित दो कृषि बीज गोदाम खोले गये हैं---

१---सिंगरामऊ ।

२---सरायमुहद्धी ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन बीज गोदामों को रबी की बुवाई के समय कौन-कौन-सा और कितना-कितना गल्ला दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि वह सूची बहुत लम्बी-चौड़ी है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत लम्बी है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन बीज गोदामों में कितना-कितना क्षेत्र है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है । सिद्धान्त यह है कि एक ब्लाक में तीन बीज गोदाम खोलने की योजना है । पहले यह था कि एक बीज गोदाम कृषि विभाग का हो और दो सहकारी विभाग के हों । लेकिन अब इस पर विचार हो रहा है कि बीज वितरण और वसूली सहकारी विभाग को दे दी जाय और क्वालिटी देखने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की हो । इसलिये तीन बीज गोदाम खोलने की व्यवस्था है और उसी के अनुसार क्षेत्र बांटे जायंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि यह तहसील ८० मील लम्बी और ५० मील चौड़ी है इसके लिये जो दो बीज गोदाम खोले गये हैं वह बहुत कम हैं इसलिये उनको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि तहसील का कोई आधार बीज गोदाम खोलने से नहीं है बल्कि ब्लाक से है और उसका एरिया और गांवों की तादाद करीब-करीब बराबर बांट दिये गये हैं । इसलिये तहसील के लम्बी-चौड़ी होने का कोई असर नहीं पड़ता है । वैसे जौनपुर में १२ गोदाम कृषि विभाग के और १६ सहकारी विभाग के हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सरायमीर और दूसरा बीज गोदाम खोला गया है उनके लिये भवन की भी आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---बीज गोदामों के लिये भवन की व्यवस्था की जाती है, मकान बनाये जाते हैं, और ज्यादातर बीज गोदामों के पास अपने मकान हैं ।

श्री माताप्रसाद---क्या मंत्री जी को मालूम है कि शाहगंज तहसील के ब्लाक में अच्छे बीज भंडार नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---हो सकता है, मैं जानता नहीं ।

सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन तथा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन में नियुक्तियां

*१८---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १६५७ से ३१ जुलाई, १६५८ तक कितनी सहकारी समितियां राज्य में पंजीकृत (Registered) हुई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---१ जनवरी, १६५७ से ३१ जुलाई, १६५८ तक ६,२८१ सहकारी समितियां राज्य में पंजीकृत हुईं ।

*१६---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के नवनिर्मित (Ware Housing Corporation) में किन-किन पदों पर कितनी नियुक्तियां सहकारी विभाग द्वारा की गई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---कृषि उपज (विकास और भांडागारण) निगम अधिनियम, १६५६ (केन्द्रीय अधिनियम २८, १६५६) की धारा ३० (१) (ग) के अन्तर्गत केवल मैनेजिंग डाइरेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रादेशिक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के डाइरेक्टरों से परामर्श करके और सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अनुमोदन से की गई है ।

*२०---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार उक्त कार्पोरेशन में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९४ पर)

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब तमाम स्थायी प्रकार की नियुक्तियां भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अमूमन की जाती हैं तो फिर यह नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्यों नहीं की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम---क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है ।

गोंडा जिले में रासायनिक खाद का वितरण

*२१---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में रबी आन्दोलन के लिये कितना मन रासायनिक खाद किसानों को तकावी पर और कितना नगद मूल्य पर दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिला गोंडा में रबी आन्दोलन के लिये तकावी तथा नगद मूल्य पर किसानों को बांटी गयी रासायनिक खाद की मात्रा निम्नलिखित है:

तकावी पर	..	..	.. २०,००० मन
नगद मूल्य पर	..	..	.. १३,२९८ मन

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो तकावी के रूप में खाद दी गयी है वह कितने एकड़ के किसानों को दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---खाद के लिये जो तकावी दी गयी उसमें यह देखने में आया कि खाद हमारे पास कम है और इसलिए कि तकावी ज्यादा लोगों को मिले यह नियम बना दिया गया है कि खाद के लिए तकावी ४० रुपये से ज्यादा न दी जाय ताकि ढाई मन खाद एक आदमी को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा आदमियों को खाद मिल सके ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या यह सही है कि जो तकावी वितरित की गयी वह आमतौर पर बड़े किसानों को दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने अभी निवेदन किया कि इसी डर से कि तकावी का रुपया बड़े किसानों तक ही न रह जाय यह नियम बना दिया गया कि केवल ४० रुपया खाद के लिये तकावी दी जायगी जिसकी ढाई मन खाद आयेगी । ४० रुपये से ज्यादा नहीं दिया गया । इसलिये छोटे-छोटे किसानों तक भी काफी पहुंची है ।

अलीगढ़ जिले में रबी बीज का वितरण

*२२---**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में कितने मन रबी बीज की मांग स्थानीय अधिकारियों की तरफ से प्रदेशीय सरकार के पास आई थी और सरकार ने कुल कितना बीज भेजा ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो मांग स्थानीय अधिकारियों से आई और जितना बीज दिया गया वह निम्नलिखित है :

	मांग की मात्रा (मनों में)	वितरण की मात्रा (मनों में)
गेहूं	११,०००	८,५८७
चना	१०,०००	५,२९२
मटर	२५,०००	३,४८२
जौ	३०,०००	--

*२३-२४--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)-- [२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में अन्न उत्पादन

*२५--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ में तहसीलवार गल्ला पिछले तीन सालों अर्थात् १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में पैदा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला प्रतापगढ़ में १९५५-५६ में १,८०,७०६ टन, १९५६-५७ में १,६०,३४४ टन और १९५७-५८ में १,५७,७०९ टन गल्ला पैदा हुआ था। कोई तहसीलवार अनुमान नहीं तैयार किया जाता।

मेकानाइज्ड स्टेट फार्म अन्देशनगर, जिला खीरी को अग्नि से क्षति

*२६--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी स्टेट मेकानाइज्ड फार्म, अन्देशनगर में इस वर्ष सन् १९५८ में रबी की फसल के वक्त आग लग गई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या जला और कितना नुक्सान हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--मेकानाइज्ड स्टेट फार्म अन्देशनगर पर रबी की फसल में तो कोई आग नहीं लगी थी। हां, फार्म के सरहद से लगे हुये जंगल में आग लगी थी, जो कि फार्म की हद में फैल गई। कुछ पुराना भूसा जो शेडों में भरा हुआ था जल गया। अनुमानित क्षति १,६३३.९८ रु० की हुई जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९५ पर)

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना किस महीने में और किस तारीख को हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फार्म के मैनेजर को इस आग लगने की घटना उस समय मालूम हुई जब कि जंगल में आग लगी थी या जब जंगल से आग बढ़ कर फार्म में आ गयी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह प्रश्न कि जंगल में आग लगी या यहां पहुंचने में क्या-क्या उन्होंने कार्यवाही की, फार्म वालों ने, इसका उनसे जवाब तलब किया जा रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शेडों की मरम्मत हुई या नहीं ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को बतलायेंगे कि इस आग लगने का कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

गन्ना समिति, हल्द्वानी के कामदार

*२७--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में केन समिति, हल्द्वानी के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों से कितने कामदारों की पदोन्नति सुपरवाइजरों के पदों पर की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---पिछले दो वर्षों से हल्द्वानी समिति के अन्तर्गत किसी भी कामदार की पदोन्नति सुपरवाइजर के पद पर नहीं हुई है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों से कोई तरक्की नहीं दी गयी? इसका क्या कारण है?

श्री मोहनलाल गौतम---कायदा तो यह है कि उस सुपरवाइजर की पदोन्नति हो सकती है लेकिन हुई नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी उस कारण पर प्रकाश डालेंगे कि जिसस पदोन्नति नहीं हुई?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके कई कारण हो सकते हैं। आवश्यकता न हो, काबिल न हों या कोई दूसरी जगह से वहां आ गया हो और भी कई कारण हो सकते हैं।

आजमगढ़ जिले में सहकारी विभाग के भट्ठे तथा इंस्पेक्टर

*२८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने ईंट के भट्ठे कोआपरेटिव विभाग द्वारा कहां-कहां इस वर्ष चलाये जा रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---आजमगढ़ जिले में इस वर्ष ३२ ईंट के भट्ठे निम्नलिखित स्थानों पर सहकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे हैं---

१---कप्तानगंज
२---महाराजगंज
३---कोयलसा
४---अतरौलिया
५---रानी की सराय
६---निजामाबाद (१)
७---निजामाबाद (२)
८---विन्दाबाजार
९---लालगंज
१०---लहुआ
११---मेहनगर
१२---संजरपुर
१३---सरायमीर
१४---अहरौला
१५---जहानागंज
१६---चिरायांकोट
१७---मुहम्मदाबाद
१८---अंजानशहीद (१)
१९---अंजानशहीद (२)
२०---सादी की सराय
२१---विलरियागंज
२२---दोहरीघाट
२३---अमिला
२४---कोपागंज
२५---घोसी
२६---इन्दारा
२७---मधुवन
२८---कल्यानपुर
२९---करहा
३०---भिखारीपुर
३१---वेलासुल्तानपुर
३२---कमलसागर

*२९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में इस समय कितने कोआपरेटिव इन्सपेक्टर कितने वर्षों से हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---आजमगढ़ जिले में इस समय निम्नलिखित १३ कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर हैं। आजमगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि उनके नाम के सामने अंकित है:

क्रमांक	नाम कोआपरेटिव इन्सपेक्टर	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
१	श्री मूलचन्द्र उपाध्याय	१-९-५५
२	श्री परशुराम मणि त्रिपाठी	२४-४-५७
३	श्री रामनरेश सिंह	१८-३-५८
४	श्री पाण्डया अनिरुद्ध प्रसाद	१८-११-५७
५	श्री रामआधार तिवारी	२९-४-५८
६	श्री गिरजा प्रसाद उपाध्याय	१-२-५८
७	श्री शिव किशोर टण्डन	१९-७-५८
८	श्री नरेन्द्र कुमार	१९-७-५८
९	श्री रमाशंकर दुबे	१९-७-५८
१०	श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव	१९-७-५८
११	श्री वीर बहादुर सिंह	२९-९-५८
१२	श्री राम कवल मिश्र	१२-१२-५८
१३	श्री केशव प्रसाद पाण्डेय	२२-१२-५८

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इसमें सब को दिलचस्पी नहीं होगी। अगर आप ऐसी लिस्ट प्रश्न कर्त्ता को दे दिया करें तो अच्छा है। इसका यहां पर पढ़ना उचित नहीं होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि ये सभी भट्ठे कोआपरेटिव्ज द्वारा ही नहीं चलाये जा रहे हैं बल्कि उनकी ओर से कुछ व्यक्तियों को देकर चलवाये जा रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---जो भट्ठे कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा चलाये जा रहे हैं उसमें कहीं-कहीं यह शिकायत है कि वह कोआपरेटिव द्वारा न चलाकर व्यक्तियों को दे दिये जाते हैं जिसकी रोकथाम की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो व्यक्तियों के भट्ठे दिये गये हैं वे कई वर्षों से उनके पास हैं और कई वर्षों से उनकी शिकायतें सरकार के पास आ रही हैं, लेकिन अब तक उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया है और इस साल भी उन्हीं व्यक्तियों को भट्ठे दिये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---यह सब सूचनायें इस समय नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य वह शिकायतें मुझे लिख कर दे दें तो मैं उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करूंगा।

जौनपुर जिले में कोआपरेटिव बैंक तथा कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशन के हिसाब की जांच

*३०---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जौनपुर जिले के कोआपरेटिव बैंक तथा जिले के कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के हिसाब-किताब की जांच रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी ने सन् १९५७-५८ में की है? यदि हां, तो कब जांच हुई और उस जांच की क्या रिपोर्ट है?

श्री मोहनलाल गौतम---रिजर्व बैंक के रूरल क्रेडिट आफिसर ने नवम्बर, १९५७ में केवल जौनपुर जिला कोआपरेटिव बैंक के हिसाब-किताब की जांच की थी। रिजर्व बैंक के अधिकारी बैंकों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था का निरीक्षण नहीं करते हैं।

जांच की रिपोर्ट जौनपुर जिला कोआपरेटिव बैंक में देखी जा सकती है। यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो निबन्धक, सहकारी समितियां, के दफ्तर में भी यह रिपोर्ट देखी जा सकती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन् मैंने जो यह रिपोर्ट देखी उसमें स्पष्ट है कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन जौनपुर दोनों का रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने इन्सपेक्शन किया है। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस रिपोर्ट में और माननीय मंत्री जी के उत्तर में अन्तर क्यों है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी तक मैं यह समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य ने दोनों आडिट रिपोर्ट देखी हैं या रिफरेन्स ही देखा है, हो सकता है कि उन्होंने रिफरेन्स ही देखा हो।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जिस रिपोर्ट का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है मैं उसी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने यह कहा कि रिजर्व बैंक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को क्रेडिट देता है, इसलिये उसका सम्बन्ध डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से है और फेडरेशन से नहीं है। फेडरेशन का वह निरीक्षण नहीं करते। अगर कोई खास चीज हो जहां पर बैंक ने कोई रुपया फेडरेशन को दिया हो उस आइटम की देखभाल हो सकता है, की हो। इसलिये मैं साफतौर से आपका सवाल समझ नहीं पाया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को रुपया एडवान्स देता है। यह रिजर्व बैंक के अधिकारी जौनपुर गये थे तो उन्होंने उसके सिलसिले में कोआपरेटिव बैंक की जांच की और फेडरेशन के हिसाब की भी जांच की। उसी के सिलसिले में मैं यह पूछना चाहता हूं। जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि रिजर्व बैंक के अधिकारी केवल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के हिसाब की जांच करते हैं और अन्य संस्थाओं से उसका सम्बन्ध नहीं है। परन्तु जो रिपोर्ट आई है और जो अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी है उससे स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन दोनों की उन्होंने जांच की है। तो यह उत्तर में असमानता क्यों है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम--इसको थोड़ा सा समझने पर यह कंट्राडिक्शन दिखाई नहीं देगा। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को आडिट करने का मतलब यह है कि जहां-जहां डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक ने रुपया एडवान्स किया है वहां पर जा कर देखते हैं। अगर बैंक ने यह लिख दिया कि ५०,००० रुपया डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव के फेडरेशन को दिया है तो उस हिस्से को, जिसका सम्बन्ध बैंक से है, वह देखते हैं। वह हिस्सा अलग है और उसको वह आडिट करते हैं। वैसे उनको अधिकार नहीं है। इसलिये मेरा उत्तर अपनी जगह पर सही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक के सेन्ट्रल दफ्तर से, उसके किसी विभाग से, १९५८ की जून १८ को कोई पत्र रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास आया है जिसमें जौनपुर के डेवलपमेंट कोआपरेटिव फेडरेशन के बारे में, जिसका वह निरीक्षण नहीं करते, उसकी अनियमितताओं के बारे में कोई गम्भीर शिकायत की ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कोई फेडरेशन अपने जिले से बाहर दूसरे जिले की सभी प्रकार की संस्थाओं को रुपया दे सकता है और क्या इस फेडरेशन ने ७०,००० रुपया आगरा की जोन्स मिल्स को दिया था ?

श्री अध्यक्ष--(श्री मोहनलाल गौतम से) इसकी क्या कोई रिपोर्ट आप के पास है ? यदि कोई रिपोर्ट हो तो आप उत्तर दें।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, यह आटोनामस बाडीज हैं और उनका सारा विवरण मेरे पास नहीं रहता। लेकिन अगर कोई शिकायत आये और वह मेरे नोटिस में आये तो मैं उसको देख कर दुरुस्त कराने की कोशिश करूंगा। यह मुनासिब होगा बजाय इसके कि इस प्रकार से सब आंकड़े मांगे जायं। इस समय मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

बभनान केन यूनियन, जिला बस्ती की आडिट रिपोर्ट

*३१--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बभनान केन यूनियन (बस्ती) की आडिट रिपोर्ट सन् १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम--बभनान केन यूनियन बस्ती की १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ की आडिट रिपोर्ट की† प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत ह।

भरावन सहकारी बीज भंडार, जिला हरदोई

*३२--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ तथा ३१ जुलाई, १९५८ तक कितना गल्ला भरावन तथा काशीपुर ग्राम में स्थित गोनी के सरकारी बीजगोदामों से बांटा तथा उसे पाने वाले में कितने भूमि-हीन हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--हरदोई जिले के भरावन सहकारी बीज भंडार से १९५७ तथा १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक १,३७० (एक हजार तीन सौ सत्तर) मन गल्ला वितरित किया गया तथा काशीपुर ग्राम में स्थित गोनी सहकारी बीज भंडार से उक्त अवधि में २,००५ (दो हजार पांच) मन गल्ला वितरित किया गया। गल्ला पाने वालों में कोई भी व्यक्ति भूमि-हीन नहीं था।

रावर्ट्सगंज तहसील, दुद्धी में बक़ाया बीज की वसूली

*३३--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील रावर्ट्सगंज, दुद्धी, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत सन् १९४८ से सन् १९५७ तक की बकाया बीज नगद रूप में वसूल करने की आज्ञा सरकार ने जारी की है?

श्री मोहनलाल गौतम--इस प्रकार की कोई आज्ञा इस क्षेत्र के लिये नहीं जारी की गई।

रबी के बीज का वितरण

*३४--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सन् १९५८ में रबी की फसल की बुवाई के लिये कितना बीज यू० पी० सरकार के द्वारा किसानों को बीज बोने के लिये वितरण किया गया?

श्री मोहनलाल गौतम--इस काम के लिये ३५,८१,३३० मन बीज बांटा गया।

श्री भूपकिशोर--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो बीज दिया गया था यह कौन सा बीज था?

श्री मोहनलाल गौतम--आप किस क्वालिटी का बीज था यह जानना चाहते हैं अथवा किस चीज का बीज था यह?

श्री अध्यक्ष--वह अनाजों का नाम जानना चाहते हैं।

---

†छापी नहीं गई।

श्री मोहनलाल गौतम---रबी में ज्यादातर तो हम गेहूं का बीज ही देते हैं। थोड़ा सा चना और मटर का इन्तजाम करते हैं, लेकिन ज्यादातर गेहूं ही होता है।

श्री भूपकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रबी की फसल के लिये यह बीज पर्याप्त था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये यदि आप स्वतंत्र प्रश्न पूछें तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---इस बीज में ५१३ और ७१० और कितनी अन्य वेराइटियों का बीज था ?

एक सदस्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष---आप उत्तर अपने पड़ोसी से ही पा गये। वही ज्यादा अच्छा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जितना बीज बांटा जाता है उसके सही उपयोग की भी बाद में क्या जांच करायी जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, कोशिश की जाती है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना बीज प्रदेश के बाहर से मंगा कर प्रदेश में बांटा गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, कोशिश की गयी थी कि पांच लाख मन हम को पंजाब से बीज मिल जाय। वहां अफसरान भेजे गये। लगभग साढ़े तीन लाख मन बीज आया और उसमें से २,०२,२०२ मन बीज पंजाब का बांटा गया।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या इस पंजाब के बीज के लिये कोई पहले से प्रयोग कर लिया गया था ? और क्या ऐसी शिकायतें आयी हैं कि बाज-बाज जगहों पर उस बीज के जमने में दिक्कत हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं साफ कर दूं। बीज की जिम्मेदारी सरकार ले नहीं सकती क्योंकि बीज उगने वाली चीज है। थोड़े से नोटिस पर बीज मंगाया जाय तो उसका कहीं से प्रबन्ध होगा। वैसे वह भी मुश्किल ही है। लेकिन हमने उसके लिये अफसरान भेजे और उसे देख कर ही लिया, लेकिन उनके लिये यह देखना सम्भव नहीं था कि वह जमता है या नहीं। अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी और मैंने कई जगहों पर पूछा तो कहा गया कि अच्छा था।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बीज बांटा गया उसमें कुछ हिस्से के बारे में इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास आयी कि वह बीज ठीक से जमा नहीं या जम कर के ही बाद में सूख गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास देवरिया जिले से इस बात की शिकायत आई है कि के--१२ जौ का जो बीज था उसके जमने में शिकायत रही और फसलें खराब हो गईं।

श्री मोहनलाल गौतम---अभी तो जौ की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।

मोहनलालगंज सर्किल के कोआपरेटिव सुपरवाइजर श्री नानक प्रसाद के विरुद्ध शिकायत

*३५---श्री रामशरण यादव---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ की मोहनलाल गंज तहसील में कौन-कौन सी सर्किल के कोआपरेटिव सुपरवाइजर ऐसे हैं जो तीन साल से ज्यादा समय से वहां नियुक्त हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---लखनऊ जिले की मोहनलालगंज तहसील में केवल धनवारा सर्किल के एक सुपरवाइजर श्री नानक प्रसाद ३ साल से अधिक समय से वहां नियुक्त हैं।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री नानक प्रसाद कितने अर्से से वहां पर हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---नवम्बर, १९५३ से।

श्री रामशरण यादव---क्या सरकार की कोई ऐसी पालिसी है कि एक कोआपरेटिव सुपरवाइजर तीन साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रह सकता है?

श्री मोहनलाल गौतम---यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन के वर्तमान आदेशों के अनुसार किसी सर्किल में ५ साल तक और किसी जिले में ७ साल तक साधारणतया एक सुपरवाइजर रह सकता है।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी के पास धनवारा क्षेत्र की जनता से इस प्रकार की शिकायत आई है कि यह नानक प्रसाद वहां पर गबन किये हैं और जिन लोगों को वहां यह बीज वगैरह सप्लाई करता है वह उस तरीके का बीज न लिखकर गलत लिखता है और वहां पर पार्टीबन्दी पैदा करता है?

श्री मोहनलाल गौतम---ये सुपरवाइजर सरकारी मुलाजिम नहीं हैं इसलिये उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन के पास शिकायत आई हो। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य कोई शिकायत भेजें तो मैं उसे कोआपरेटिव यूनियन के पास भेज दूंगा।

*३६---**श्री राजेन्द्रसिंह**---[२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

कृषि विभाग के अन्तर्गत परिगणित व पिछड़े वर्ग के कामदार तथा सुपरवाइजर

*३७---**श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में प्रत्येक जिले में कितने-कितने कृषि (काटन, गन्ना, खाद व अन्य सभी प्रकार के) कामदार हैं? उनमें क्रमशः जिलेवार कितने-कितने परिगणित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना संलग्न सूची की तालिका १ में दी गई है।

(देखियें नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९६-९८ पर)

*३८---**श्री हरदयालसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में कितने काटन इंस्पेक्टर व काटन सुपरवाइजर जिलेवार हैं? उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---(१) काटन इंसपेक्टरों की सूचना संलग्न सूची की तालिका २ में, तथा

(२) काटन सुपरवाइजरों की सूचना तालिका ३ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९६-९८ पर)

गोंडा जिले में बीज का वितरण

*३९---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कृषि विभाग ने कितना उन्नतिशील बीज किसानों को १९५७ और १९५८ में वितरण किया है?

श्री मोहनलाल गौतम---सन् १९५७ में २४,९८९ मन तथा १९५८ में ३३,५०५ मन उन्नतिशील बीज बांटा गया था ।

रबी अभियान के अन्तर्गत बीज व्यवस्था

*४०---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या रबी का बीज समय से पर्याप्त मात्रा में प्रदेश के किसानों को सुलभ कराने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास आरम्भ हुआ है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । रबी अभियान में पर्याप्त बीज के वितरण का प्रबन्ध किया गया । अलावा ३२,९४,००० मन उन्नत बीज के जो स्टाक में था, २,०२,२०२ मन बीज गेहूं का पंजाब से मंगाकर और ८५,१२८ मन बीज अन्य अनाजों का प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से मंगाकर बांटा गया ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को पता है कि जितना बीज उन्होंने कहा उसे बांटने के बावजूद भी कुछ लोगों को बीज नहीं मिल सका ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश की गई थी कि बीज मिल जाय लेकिन अभी तक न मिलने की मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है । लेकिन अगर नहीं मिला है तो उसके लिये हम रुपया दे सकते हैं, बीज नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय---तो क्या यह समझा जाय कि भविष्य में सरकार बीज देने की जिम्मेदारी नहीं लेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । बात जरा समझने की है कि आखिरी समय में बीज की कमी बताई जाय तो वह कहां से मंगाया जा सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती ।

विभिन्न जिलों में गोसदनों का लक्ष्य

*४१---**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोसदन खोलने का लक्ष्य अभी तक किन-किन जिलों में किन-किन कारणों से पूरा नहीं हो सका है ?

श्री मोहनलाल गौतम---१९५६-५७ तथा १९५७-५८ के वित्तीय वर्षों में राज्य में ४ राजकीय गोसदन, ६ निजी गोसदन तथा प्रत्येक जिले में एक छोटा गोसदन खोलने का लक्ष्य था । इसमें से २ राजकीय गो-सदन, ५ निजी गो-सदन तथा १३ जिलों में छोटे गोसदन स्थापित किये जा चुके हैं । जिन जिलों में गोसदन स्थापित नहीं हो सका है उनकी सूची संलग्न है । गोसदन स्थापित न हो सकने का कारण प्रत्येक जिले के सामने दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९९-१०१ पर)

*४२---**श्री रामहेत सिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोसदनों में बेकार पशु भेजने के अलावा 'गो' नस्ल सुधारने के लिये भी प्रबन्ध किया जायगा ? यदि हां, तो उसकी योजना क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं ।

श्री रामहेतसिंह---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होने पर यह नीति निर्धारित की गई थी कि जहां गोसदन खोले जायेंगे वहां उन्नत पशु रखकर पशुओं की नस्ल सुधारी जावेगी ? यदि हां, तो वह क्यों स्थगित कर दी गई ?

नोट---श्री रामहेतसिंह के तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मोहनलाल गौतम---गऊओं की नस्ल सुधारने की योजना गोसदन में नहीं है।

श्री रामहेतसिंह---जिन जिलों में गोसदनों के लिये भूमि मिल गई है क्या उनकी बुनियाद और इमारत इसलिये नहीं बन पाई कि १९५८-५९ के बजट में उनके लिये रकम कम रखी गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इतने विस्तार के सवाल के लिये सूचना चाहिये।

*४३-४५---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---[२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये किये गये।]

देवरिया जिले में गंधी की शिकायत तथा पूर्वी जिलों में बाग लगाने के लिये कर्ज

*४६---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १३६५ फसली के खरीफ में धान, बाजरा, अगहनी आदि फसलों पर देवरिया जनपद में कितने गांवों में गंधी मक्खियों द्वारा प्रति तहसील क्षति पहुंची है ?

श्री मोहनलाल गौतम---एक भी गांव में नहीं।

*४७---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जनपद को उक्त आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों को वह किन-किन प्रकार की सहायता देने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रश्न नहीं उठता।

*४८---**श्री उग्रसेन**---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा बस्ती जनपदों में १९५७-५८ में सरकार द्वारा कितना कर्जा बाग लगाने के लिये दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों में क्रमशः ४३,२५५ रु०, ३४,०२० रु०, ३०,००० रु० तथा ९५० रु० बाग लगाने के लिये कर्ज के रूप में दिया गया।

गन्ना विभाग के कामदार, सुपरवाइजर तथा अस्थायी गजटेड अफसर

*४९---**श्री जगवीर सिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना विभाग में कामदार और सुपरवाइजर का १० प्रतिशत या इसके अलावा रिट्रेंचमेंट करने का वह विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---गन्ना विकास विभाग में इस तरह का प्रसंग अभी विचाराधीन है उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*५०---**श्री जगवीर सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना विभाग में कितने गजटेड आफिसर ऐसे काम कर रहे हैं जो कन्फर्म्ड नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---गन्ना विकास विभाग में नौ ऐसे गजटेड आफिसर हैं।

*५१-५३---**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)---[२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

'फूंका पद्धति' रोकने की प्रार्थना

*५४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार का ध्यान उस 'फूंका पद्धति' की ओर आकर्षित हुआ है जिसके द्वारा ग्वाले गाय और भैंसों का दूध बिल्कुल निचोड़ लेते हैं ? यदि हां, तो वह उसको बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। फूंका एवं दूमदेव पद्धति द्वारा गाय और भैंसों का दूध निकालना पशुओं पर होने वाले अन्य निर्दय व्यवहारों की तरह एक अपराध है जिसके विरुद्ध "निर्दयता निरोधक ऐक्ट, १८९०" जो ऐक्ट नम्बर २५ सं० १९३८ द्वारा संशोधित हुआ है, के अधीन कार्यवाही की जाती है।

*५५---**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)---[२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

फैब्रीकेटरों का कोटा

*५६---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ९ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर में फैब्रीकेटरों की जिलेवार सूची दी गई है वह किस सन् में किस आधार पर बनाई गई थी और उन फैब्रीकेटरों को कोटा किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---फैब्रीकेटरों की जिलेवार सूची सन् १९४८ में प्रत्येक फैब्रीकेटर के कार्य के संबंध में पूर्व जांच करने के पश्चात् बनाई गई थी। इस सूची में समय समय पर संशोधन होता रहा। इस सूची का सबसे अंतिम संशोधन सन् १९५४ में किया गया जब कि केवल उन्हीं फैब्रीकेटरों को सूची पर रक्खा गया जिन्होंने कि अपना फैब्रीकेशन का लाइसेंस, लाइसेंस की अवधि (सन् १९५४-५५) तक नवीकरण कराया। जिन्होंने अपना फैब्रीकेशन का लाइसेंस उक्त अवधि में नवीकरण नहीं कराया उनका नाम सूची पर से लाइसेंसिंग समाप्त होने पर हटा दिया गया। यही सूची थी जो कि विधान सभा के प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर में ९ दिसम्बर, १९५८ को दी गई थी। इन फैब्रीकेटरों को कोटा निम्नलिखित आधार पर निश्चित किया जाता है:

वार्षिक कारोबार की धनराशि	फेब्रीकेटर की श्रेणी	प्रति श्रेणी को निर्धारित वार्षिक औसत कोटा
४०,००० रुपये से अधिक	ए	३० टन से ४० टन तक।
२०,००० रुपये से ४०,००० रुपये तक	बी	२० टन से २४ टन तक।
४,००० रुपये से २०,००० रुपये तक	सी	१२ टन।
४,००० से कम	डी	६ टन।

पडरौना तहसील के किसानों की चम्पारन, बिहार में खेती

*५७---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला देवरिया, तहसील पडरौना के जो किसान, चम्पारन (बिहार) में खेती किये हैं उन्हें अपने प्रदेश में गल्ला लाने की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र न सरकार के पास आया और न अस्वीकृत हुआ।

प्रतापगढ़ जिले में गोशाला के लिए कथित अनुदान

*५८---**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पूरे बीरबल, परगना ढिगवस, तहसील कुन्डा, प्रतापगढ़ के सभापति को पांच हजार का अनुदान गोशाला खोलने के लिये सरकार ने १९५३ में दिया था ? यदि हां, तो उससे गोशाला खोला गया है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं।

*५९—श्री गयाप्रसाद—क्या यह सही है कि इसी प्रकार परगना अठेहा, तहसील प्रतापगढ़ में गोशाला खोलने के लिये पांच हजार का अनुदान दिया था ? यदि हां, तो क्या गोशाला खोला गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।

*६०—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[चौदहवें सोमवार (२ मार्च, १९५९) के लिये स्थगित किया गया ।]

कर्मचारियों का विभाजन

*६१—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रेणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के कर्मचारियों के अधिकार और काम के सम्बन्ध में सरकार ने कोई मैनुअल बनाया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो उनके कामों का विभाजन किस नियम के अनुसार किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसा कोई मैनुअल नहीं बनाया गया है । कामों का विभाजन कर्मचारियों के पद, उनकी योग्यता तथा विभाग के आवश्यकतानुसार किया गया है ।

आजमगढ़ जिले में साफ्ट कोक की दुकानें

*६२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ और १९५८ में आजमगढ़ जिले के किन-किन कस्बों में साफ्ट कोक की दुकानें कब-कब खोली गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् १९५७ में कोई भी साफ्ट कोक की दुकान आजमगढ़ जिले में नहीं खोली गई। सन् १९५८ में एक आजमगढ़ शहर में तारीख २३ मई, १९५८ को और एक मऊ शहर में तारीख १७ सितम्बर, १९५८ को खोली गयी ।

कृषि फार्म, जिला गोरखपुर

*६३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के जिन कृषि फार्मों पर सरकारी ऋण अदायगी की अवधि से उपरान्त बकाया है उनसे वसूली के निमित्त क्या कदम उठाये गये तथा कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—किसी भी कृषि फार्म पर ऋण बकाया नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले के सहकारी भट्ठा सिद्धौर में घाटा

१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में कुल कितने भट्ठे सहकारी समितियों द्वारा चल रहे भट्ठों में से सन् १९५७–१९५८ में कितने भट्ठों को घाटा हुआ और कितनों को मुनाफा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बाराबंकी में सहकारी वर्ष १९५७–५८ में सहकारी समितियों द्वारा ११ भट्ठे चलाये गये जिनमें से १० को लाभ और एक को हानि हुई ।

२—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला बाराबंकी, परगना खास सिद्धौर के सहकारी भट्ठों में कितना घाटा है और क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—सिद्धौर के सहकारी भट्ठे में ३० जून, १९५८ की बैलेन्स शीट के अनुसार कुल ४,५५८ रु० का घाटा है जिसका कारण ईंटों की खराब किस्म, सामान की घिसावट, ईंटों की निम्न दर पर बिक्री है ।

रायबरेली जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

३---**श्री चन्द्रिकाप्रसाद** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में प्रत्येक तहसील में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---२८ जनवरी, १९५९ तक प्राप्त सूचना के अनुसार रायबरेली जिले की विभिन्न तहसीलों में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है :

तहसील का नाम	दुकानों की संख्या
१---रायबरेली	५
२---सलोन	३
योग ..	८

४---**श्री चन्द्रिका प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह टाउन एरिया महाराजगंज तथा टाउन एरिया बछरावां, जिला रायबरेली में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन†

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-वी० (टी) आर-ए-एम० (१) ५५७८-(टी) एम/३०---४८३८-(टी)-५७, दिनांक २३ दिसम्बर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों और नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष---मेरे पास तीन कामरोको प्रस्ताव आये हैं। ये तीनों ऐसे हैं जिनकी चर्चा बजट के सामान्य बहस के समय माननीय सदस्य कर सकते हैं जो अभी होने वाली है । मैंने आवश्यकता के आधार पर इनको इजाजत नहीं दी है ।

श्री भगवती सिंह शारद (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, कानपुर ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कानपुर काटन मिल्स की ब्रांच के बन्द होने के सिलसिले में एक प्रस्ताव था.....

श्री अध्यक्ष---वह आप आम बहस में कह सकते हैं जो आज से ही शुरू हो रही है ।

(कुछ देर ठहर कर)

एक प्रस्ताव और है जो मदन पांडेय जी का नियम ५२ के अन्तर्गत है बुलन्द चीनी मिलों के बारे में । वहां की हड़ताल के सम्बन्ध में है । इसका भी जिक्र बजट की बहस में आ सकता है, कोई खास अलग वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†छापे नहीं गये ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उसके बारे में कुछ सूचना देने के लिये आपने उस दिन कहा था। आज अगर सदन को वह सूचना मिल जाती तो वह बजट के ऊपर बोलने में मदद करती।

श्री अध्यक्ष---आज से तो बजट शुरू हो रहा है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार जिस दिन ११ या २६ कामरोको प्रस्ताव सदन में आये थे यह व्यवस्था दी थी कि कामरोको प्रस्ताव के बजाय अच्छा होता कि अल्पसूचित प्रश्न किये जाते। मैंने टांडा और दोहरीघाट कैनाल्स के बारे में अल्पसूचित प्रश्न किये थे जिन्हें आपने और आपके कार्यालय ने स्वीकार किया था। लेकिन राजस्व मंत्री जी के यहां से उत्तर आ गया कि अल्पसूचित होने पर वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह तो नियमों में दिया हुआ है कि अगर मंत्री जी असमर्थ हों प्रश्नों के उत्तर तत्काल देने में क्योंकि उनकी जानकारी जिलों से हासिल करनी हो तो ऐसी अवस्था में वह जवाब दे सकते हैं कि मैं अमुक अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, चार महीने के बाद हमारे प्रश्न का उत्तर हमें परसों प्राप्त हुआ . . .

श्री अध्यक्ष---इनके बारे में मैं आपको अपने कमरे में ही जांच करके सूचना दे सकता हूं।

१६५८-५६ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर विवादार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---चूंकि इन पर विवाद और मतदान भी आज ही समाप्त होने हैं इसलिये मैं समय नियुक्त कर दूं तो अच्छा होगा।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम १८६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि:---

"Each demand shall contian, first a statement of the total grant proposed, and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items."

श्री अध्यक्ष---आप हिन्दी में कहें।

श्री जगवीरसिंह---इसमें ग्रान्ट नम्बर ३३ में कोई डिटेल्स नहीं दी हुई हैं और नयी चीज खोलने की बात की जाती है। इसमें हमारी दिक्कत यह है कि हम इस पर बहस क्या कर पावेंगे। इसलिये बजट इनकम्पलीट है और मेरी प्रार्थना है कि इसे कम्पलीट करने के लिये आज बहस रोक दी जाय। और भी ऐसी ग्रान्ट्स हैं जिनमें हमें बहस करने में बहुत परेशानी होगी, बल्कि नामुमकिन होगी चूंकि इसमें डिटेल्स बिल्कुल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---इस नियम में यह लिखा हुआ है "आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा न होगी जिस दिन वह सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अनुदानों के लिये मांगें---(१) राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान के लिये कोई मांग नहीं की जायगी।

[श्री अध्यक्ष]

(२) शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्थापित अनुदान के सम्बन्ध में साधारणतया एक पृथक् मांग रखी जायगी :

परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिये प्रस्थापित अनुदान को एक ही मांग में सम्मिलित कर सकेंगे अथवा ऐसे व्यय के सम्बन्ध में, जिनका सुगमतया किन्हीं विशेष भागों के अधीन वर्गीकरण नहीं हो सकता, एक ही मांग प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(३) प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बंटा हो, दिया जायगा ।"

इसमें आपका एतराज क्या है । अनुदान संख्या ३३ के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदानों में दिया हुआ है---अधिकारियों का वेतन, कर्मचारियों का भत्ता, आकस्मिक व्यय आदि सारी बातें दी हुई हैं ।

श्री जगवीरसिंह---श्रीमन्, इसमें यह दिया हुआ नहीं है कि वहां कितने अधिकारी होंगे, कितने क्लर्क होंगे, उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं, यह कुछ भी बताया नहीं गया । यह भी बताया हुआ नहीं है उसके रखने की क्या आवश्यकता और मंशा क्या है । सब कुछ उसमें गोलमोल ही है ।

श्री अध्यक्ष---और अधिक व्योरा तो बहस में मालूम होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह आक्षेप वैधानिक नहीं है, इसलिये मैं इसको नामंजूर करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

अच्छा तो पहले हमें समय के बारे में तय कर लेना है । एक सुझाव ऐसा है कि २ बजे तक इस पर आम बहस समाप्त कर दी जाय, २ बजे से ४ बजे तक मांगों के ऊपर बहस के बाद राय ले ली जाय और बाद में जो मांगें बाकी रह जायं उनपर साढ़े चार बजे तक राय बिला बहस ले ली जाय, बाकी आधे घंटे में विनियोग विधेयक हो जाय ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने तजवीज किया है, मेरी भी राय में आम विवाद २ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये । उसके बाद क्योंकि थोड़े ही कटमोशन हैं और वे भी सब मांगों में नहीं हैं केवल ४-५ मांगों में हैं, इसलिये जिन मांगों में कटमोशन्स नहीं हैं उनको पहले ही गिलोटीन कर लिया जाय और बाद में पौने पांच बजे तक बाकी मांगों पर बहस हो जाय । क्योंकि एप्रोप्रियेशन बिल पर किसी बहस के लिये मौका नहीं है इसलिये वह १५ मिनट में आसानी से पास हो सकता है ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी दिक्कत यह पेश करना चाहता हूं कि सन् १९४६-४७ में सारा बजट २६ करोड़ रुपये का होता था जिस पर पूरे एक माह बहस होती थी । लेकिन अब यह अनुपूरक अनुदान १८ करोड़ रुपये का पेश किया गया है और उसके लिये सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वह एक दिन में पास कर दिया जाय । अंग्रेजों का यह न्याय था और आज की सरकार का यह न्याय है, इसमें कितना फर्क है । जिस बजट को एक महीने में पास कराया जाता था उसको सप्लीमेंटरी का नाम देकर यह सरकार एक दिन में पास कराना चाहती है । इसमें बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो पहले ही ओरीजिनल बजट में आ जानी चाहिये थीं । और हमें पता भी था इस बात का . . . .

श्री अध्यक्ष---आप तो आम बहस कर रहे हैं । समय के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री गोविंदसिंह विष्ट---दो दिन दिये जाने चाहिये । दुनिया की पार्लियामेंट क्या कहेगी कि १८ करोड़ का बजट एक दिन में पास कर दिया ।

श्री अध्यक्ष---१८ करोड़ रुपया तो आजकल पहले के केवल १ करोड़ के बराबर है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात के बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं, और वह यह है कि विनियोग लेखों के सम्बन्ध में हमें वाद-विवाद करने का कोई समय नहीं दिया जाता और विनियोग विधेयक भी आधा घंटे या चन्द मिनट में पास हो जायगा । विनियोग लेखे जिस ढंग से पेश किये जाते हैं उसमें भारी परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है । तो विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में और विनियोग लेखों के सम्बन्ध में समय देने की मांग पेश करता हूं कि उसके लिये समय निश्चित कर दिया जाय । लेकिन अगर इसी समय सामान्य वाद-विवाद में जिन विनियोग लेखों के ढंग के आधार पर यह अनुपूरक अनुदानों की मांग की गयी हैं उनमें क्या सुधार होना चाहिये इस सम्बन्ध में मुझे अपनी बात कहने का . . . .

श्री अध्यक्ष---काहे में सुधार होना चाहिये ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---विनियोग लेखे जिस ढंग से तैयार किये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, ऐसा कर लें कि उसके बारे में जिक्र जब विनियोग विधेयक के लिए आध घंटा समय मिलेगा तो १०-१५ मिनट में आप सब की तरफ से कर लें। नेता विरोधी दल तो उस समय बोलेंगे ही नहीं, आप बोल लें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मेरा निवेदन यह था कि वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे जब बोलने का अवसर दिया जायगा तो मैं बताऊंगा कि उसके ऊपर जनतंत्रीय नियंत्रण के लिये माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यह आवश्यक है कि लेखे जिस ढंग से तैयार किये जाते हैं उनमें परिवर्तन और सुधार हो । इस परिवर्तन की आवश्यकता को प्लानिंग कमीशन मानता है ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---या तो अभी दीजिये या तब दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष---वह मौका मैं जरूर दूंगा ताकि थोड़ी सी टीका आप कर सकें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जैसा कि आदरणीय पालीवाल जी ने कहा है, हम भी यह महसूस करते हैं कि यह अनुपूरक अनुदान २६ करोड़ के करीब हैं तो सामान्य वाद-विवाद के लिये और विनियोग लेखे पर काफी समय चाहिए । मैं ठीक तो नहीं बता सकता कि समय का नियंत्रण आपके दफ्तर से हुआ या किस तरफ से हुआ, मगर सरकार को चाहिये था कि अगर उसे जल्दी थी तो पहले से यह पेश होना चाहिये था । अब जबकि बजट का समय है तो कहा जा रहा है कि जल्दी एक दिन में पास कर दीजिये,सामान्य विवाद मत कीजिये, १० मिनट में विनियोग विधेयक पास कर दीजिये, यह प्रदेश की जनता के साथ और हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है । यह हमारा विरोध है और हमें पूरा समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---आपका इशारा हो गया, वह काफी है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान् जी, मैं भी कुछ निवेदन कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आपको मौका मैं बाद में दूंगा ।

२ बजे तक तो आम बहस चलेगी । उसके बाद जो मांगें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई बहस नहीं होनी है उनके ऊपर राय ले ली जायगी और जिन पर बहस होनी है पौने पांच बजे तक उनके ऊपर चर्चा होगी । १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जायगा क्योंकि पालीवाल जी बोलना चाहते हैं और आधे घंटे तक यानी सवा पांच बजे तक विनियोग विधेयक के लिए समय रहेगा । उसमें कुछ लोग अपने सुझाव इस सम्बन्ध में कि किस तरह से बजट या विनियोग विधेयक तैयार होना चाहिए, कोई रचनात्मक सुधार दे सकते हों तो दें ।

१९५८-५९ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि इस द्वितीय अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में, उसके सामान्य विवाद के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं, मैं इस सम्बन्ध में एक आपत्ति प्रकट कर देना चाहता हूं। प्रथम अनुपूरक बजट को सितम्बर, १९५८ के पहले जुलाई, १९५८ में प्रस्तुत हो जाना चाहिये था और उसी प्रकार . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, आप १५ मिनट में खत्म कर देंगे ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---जी हां।

श्री अध्यक्ष---और लोगों को मैं १० मिनट दूंगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद---फरवरी, १९५९ का बजट दिसम्बर, १९५८ में ही प्रस्तुत हो जाना चाहिये था, लेकिन इस तरह की प्रथा को न अपना कर जिस तरह से अनुपूरक बजट प्रस्तुत किये गये हैं उसके संबंध में मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी भविष्य के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे और उनको समय पर ही प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, १९५८-५९ के आम बजट को स्वीकार करते हुए सदन ने १०८ करोड़ रुपये की आय और ११२ करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकार किया था। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने प्रथम अनुपूरक बजट के द्वारा ४,१० लाख रुपये का दूसरा बजट प्रस्तुत किया और आज पुनः द्वितीय अनुपूरक बजट के नाम से, अगर हम उसमें से राजकीय व्यापार की योजनाओं और लिये गये ऋणों के ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध के अंश को निकाल दें जोकि लगभग १३ करोड़ होता है, तो फिर ४,५१ लाख रुपया शेष रह जाता है। इस प्रकार ११२ करोड़ रुपये और ४ करोड़ प्रथम पूरक बजट से और ४,५१ लाख इस द्वितीय अनुपूरक बजट से मिलाकर लगभग १२१ करोड़ रुपया हो जाता है। लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दुबारा जो तखमीने लगाये हैं उनके द्वारा सदन में उन्होंने बताया कि अब ११० करोड़ रुपये का खर्चा रहेगा। तो इस प्रकार सदन ने जो बजट स्वीकार किया था उससे भी १० करोड़ रुपये की कटौती की है और इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ४,५४ लाख रुपये का घाटा था उसको कम करके ३७ लाख रुपये के घाटे में परिवर्तित करके, जो ११२ करोड़ रुपये का राजस्व व्यय था उसको ११० करोड़ रुपये के राजस्व व्यय में परिवर्तित करना पड़ा और प्रथम पूरक बजट जो ४,१० लाख रुपये का था उसमें १० लाख रुपये की कटौती की है। इन सारी की सारी कटौतियों को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी स्वीकार किया है कि वह सब की सब सामाजिक सेवाओं से उनकी कटौती की है। उन्होंने स्वयं कहा है कि इस तरह से शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सहकारिता और उद्योग के खर्चों से लगभग ९४ लाख रुपये की कमी हुई है, तो इससे साफ जाहिर है कि जब सामाजिक सेवाओं में किसी तरह की कमी की गयी है तो सिक्योरिटी सर्विसेज, जोकि सुरक्षा की सेवायें हैं उनमें कहीं न कहीं इस तरह की बढ़ोत्तरी अवश्य की गयी होगी। तो मान्यवर, जब सदन ने पहले से ही १० लाख रुपया खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की और उसी खर्चे को वित्त मंत्री जी ने पूरा नहीं किया तो आज इस बात का कौनसा औचित्य है कि फिर से ४,५१ लाख रुपये का एक दूसरा बजट प्रस्तुत करें और हमसे इस बात की आशा करें कि हम फिर से उन्हें इस बात की स्वीकृति दें कि उस धन को वह व्यय करें ?

मान्यवर, जब कोई सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसका एक ही औचित्य रहता है कि अनफोरसीन काजेज, जिन प्रश्नों की पहले से शंका तक नहीं होती है उन्हीं को लेकर बजट तैयार किया जाता है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, उसमें कौन सी चीज है जिसको वह पहले से नहीं जानते थे। और यह किसी सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि ऐसी सम्भावना जिसमें कि किसी आदमी की पहुंच न हो, उन समस्याओं और उन प्रश्नों को छोड़ कर और बाकी बातें तो सरकार

को पहले से जानना ही चाहिये। अगर कोई सरकार उन समस्याओं को, उन प्रश्नों को पहले से नहीं जानती है तो यह कहा जायगा कि यह चीज सरकार की अयोग्यता की द्योतक है। मान्यवर, इस बात की भी शिकायत की गयी कि केंद्रीय सरकार समय से हमको सबसिडी या सहायता नहीं देती। इस बात को भी कहा गया है कि हम इसीलिये इस बजट को भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो ऐसे अनफोरसीन काजेज हैं, उनकी पूर्ति के लिये हम और धन उपलब्ध करें। लेकिन मेरी तो शिकायत यह है कि १० करोड़ रुपया जो पहले से सदन से स्वीकार कराया जा चुका है जब उसे खर्च नहीं किया गया तो फिर आज दूसरे सप्लीमेंटरी बजट को प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं दिखलायी पड़ता है। और फिर मान्यवर, स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को ही शुरू करते हुए यह कहा था कि यह प्लांड पीरियड है, प्लांड पीरियड में कोई खास चीज की उनसे आशा नहीं करनी चाहिये। मैं उनकी बातों से पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि प्लांड पीरियड में जब कोई प्लान तैयार होता तो जितने समय के लिये वह प्लान तैयार किया जाता है उतने समय की आमदनी व खर्चे की जितनी मदें हैं वे सब सामने न हों तो उन पर ठीक से विचार नहीं होता है। जो असाधारण समस्यायें हैं उनके बारे में पहले से तो ज्ञात नहीं हो सकता है लेकिन उनकी ओर सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये था जिन मदों के बारे में सरकार को जानकारी पहले से होनी चाहिये और उनकी ओर सचेत रहकर ही सरकार को अपना बजट प्रस्तुत करना चाहिये था।

मान्यवर, अगर हम इस अनुपूरक बजट को देखें तो केवल स्टेट ट्रेडिंग और वाटर लागिंग के प्रश्न को छोड़ कर और सारी की सारी मदें वे ही हैं जिनके बारे में सरकार को पहले से ज्ञात हो सकता था। इसके अलावा अगर कोई मद ऐसी और निकल सकती है तो वह मुकदमेबाजी के सिलसिले की मद हो सकती है। इस बजट के हर मद में ऐसे कर्मचारियों की डिग्रियों के लिये रकम रखी गयी है जिनको सरकार की ओर से व्यर्थ ही निकाला गया और उनको परेशान किया गया और सरकार को उनसे मुकदमेबाजी में हार पर हार खानी पड़ी। तो इस तरह से केवल तीन ही मदें ऐसी हैं जिनकी सम्भावना पहले से नहीं हो सकती थी, बाकी मदें ऐसी नहीं हैं जिनके बारे में कोई कह सके कि इसकी सम्भावना पहले से नहीं थी। मान्यवर, सरकार कर्मचारियों से मुकदमेबाजी में बराबर हारती गयी लेकिन उसके साथ-साथ उसने ११,२५,००० रु० की मांग इस बजट में वकीलों को फीस देने के लिये और की है कि इसे सदन स्वीकार करे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---११ लाख नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---जी हां, मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा ही अनुग्रहीत हूं कि जब मैं भटक रहा था तो उन्होंने मुझको ठीक कर दिया। इसके लिये ५,३२,००० रु० की मांग प्रस्तुत की गयी है। उससे यह जाहिर होता है कि ५,३२,००० रु० खर्च करने के लिये लिया जा सकता है। एक तरफ सरकार का यह दावा है कि हम मुकदमेबाजी को कम करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वह सदन से इस बात की आशा करती है कि मुकदमेबाजी बढ़ाने के लिये उसे और ज्यादा रुपया दिया जाय। और यह मुकदमेबाजी इस बात की द्योतक है कि इस प्रदेश में जुर्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मुकदमेबाजी बढ़ रही हो, जुर्म बढ़ रहे हों इस प्रकार की मदों को स्वीकार करने में कोई बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता।

यह बतलाया गया कि ऐसे तमाम कारण थे जिनकी सरकार को पहले से सम्भावना नहीं थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कृषिकर की उगाही के संबंध में जो मांग की गयी है क्या पहले से सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी कि इसके सम्बन्ध में किसी तरह के खर्च की आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन उसको भी इसी अनुपूरक बजट में रखा गया। फिर यह कृषिकर उगाही का कार्य अप्रैल से प्रारम्भ हो गया था तो प्रथम सप्लीमेंटरी बजट में इसको प्रस्तुत करना चाहिये था, लेकिन उस समय भी इसको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। जब द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो रहा है उसमें इसको सम्मिलित किया जा रहा है।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

इसी प्रकार चकबन्दी के काम के सिलसिले में १० एडीशनल सेटिलमेंट आफिसर्स की नियुक्ति करके उनके लिये १० मोटर गाड़ियों की मांग रखी गयी है। चकबन्दी पिछले ३–४ सालों से चल रही है और जहां पर एडीशनल सेटिलमेंट आफिसर्स की नियुक्ति की गयी है उनके सम्बन्ध में पहले से ही सम्भावनायें थीं और यह भी मालूम था कि उनके लिये गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि फिर ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण पहले से संभावना नहीं हो सकती थी ?

यह भी निवेदन कर दूं कि जब पैसे की कमी बतलाई जाती है तो इस प्रकार सरकारी पैसे से गाड़ियां खरीद कर सरकारी कर्मचारियों में वितरित करना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। आवश्यकता इस बात की थी कि ट्रांसपोर्ट विभाग से उनको किराये पर गाड़ियां दिलवाई जातीं और यात्रिक भत्ता उनको दिया जाता बजाय इसके कि १ लाख २८ हजार रुपये की मांग रख कर उनको मोटर गाड़ियां खरीद कर दी जातीं।

इसी प्रकार वन अनुदान में मांग की गयी है कि डाक लखनऊ से नैनीताल और नैनीताल से लखनऊ ले जाने और ले आने के लिये एक कर्मचारी रखा जायगा। हम २०वीं सदी में हैं, न कि १४ वीं या १५ वीं सदी में जिस समय कि मुगल कालीन समय था। उस समय ऐसी डाकें आया जाया करती थीं। आज चाहे जितनी बड़ी डाक हो, रोज रेलगाड़ी आती जाती है, उसे बुक कराया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की मदें अनुपूरक बजट के द्वारा स्वीकार कराना कोई उचित बात नहीं है।

इसी तरह कानपुर में एक लेक हाउस है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। अभी तक लेक दूसरे के कब्जे में थी तो उसे क्यों लेने की कोशिश की जा रही है यह बात समझ में नहीं आती और इस प्रकार एक झगड़ा पैदा क्यों किया जा रहा है ?

इसी प्रकार बिजली की स्कीम में २२ लाख रुपये की जरूरत डेप्रिसियेशन की स्कीम में है। डेप्रिसियेशन की प्रथा पहले से चालू है। सबको मालूम है कि हर चीज में डेप्रिसियेशन होता है। एकाउंटिंग का कायदा है कि ऐसा डेप्रिसियेशन किया जायगा। तो इस बात की क्या आवश्यकता पड़ गयी कि इसे अनुपूरक बजट में पेश किया गया। इसे मूल बजट में आना चाहिये था और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि सरकार को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। केवल दो ही कारण ऐसे थे जिनमें सरकार को जानकारी नहीं हो सकती थी। एक तो महंगाई के कारण स्टेट ट्रेडिंग के लिये १२ करोड़ की मांग की गयी और दूसरे राजस्व के कुछ ऋणों की अदायगी के लिये जो मांग की गयी है और जो डिग्रियां सरकार के ऊपर हुई हैं उनको अदायगी के लिये जो मांग की गयी है। इसके अलावा कोई चीज बाकी नहीं रह जाती जिसके सम्बन्ध में सरकार को पहले से जानकारी नहीं थी। लिहाजा यह जो बजट पेश किया है इसके संबंध में हम सब लोग किसी प्रकार की अपनी सहमति इसके स्वीकार करने में नहीं दे सकते

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों की प्रास्ताविक टिप्पणी में लिखा हुआ है कि "विनियोग लेखों के प्रयोजनों के लिये उनको उसी ढंग से तैयार किया गया है जैसा कि मूल अनुदान, भाग १ में कुल मांगें दी गई है.."। इन विनियोग लेखों के ढंग के संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। यह विनियोग लेखे इस उद्देश्य से तैयार किये जाते हैं कि सदन के सदस्य और जनता यह देख सके कि बजट पर अमल किया गया है या नहीं किया गया ? किया गया है तो कितना किया गया है और किस प्रकार किया गया है, ठीक ढंग से किया गया है या नहीं ? ऐसा तो नहीं हुआ कि अद्धा-पद्धा किया गया है, रुपये में ४ आने या ८ आने काम किया गया है। इन सब बातों को माननीय सदस्य देख सकें इसलिये ये विनियोग लेखे तैयार किये जाते हैं। लेकिन जिस ढंग से ये विनियोग लेखे तैयार किये जाते हैं वह ढंग इतना पुराना है बाबा आदम के जमाने का कि जिसमें ये विनियोग

लेखे विधाता के कर्म अक्षर बने हुए हैं। कर्मअक्षरों के बारे में यह कहा जाता है कि उनको विधाता ही समझ सकता है और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। यह तो दोनों तरह से कर्मअक्षर है कर्मअक्षर के बारे में यह भी कहा जाता है कि "कर्म रेख ना मिटे करे कोई लाखों चतुराई"। अनुपूरक अनुदान हो, चाहे बजट की मूल मांगें हों यह भी कर्मरेख हैं, संख्यासुर की वजह से नेता विरोधी दल या और कोई विरोधी पक्ष का माननीय सदस्य कितनी ही चतुराई क्यों न करे तब भी यह कर्मरेख मिटती नहीं हैं, ज्यों की त्यों पास हो जाती हैं।

तो इस समय मैं अपने को इसी बात पर सीमित रखता हूं कि ये विनियोग लेखे इतने दुरूह होते हैं कि समझ में न आने के कारण उनकी उपयोगी आलोचना नहीं हो सकती और उन पर पूरा जनतंत्रीय नियंत्रण नहीं हो सकता। इस बात की आवश्यकता को प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार किया है। प्लानिंग कमीशन की प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो रिपोर्ट है उसके पृष्ठ १२३ से १२४ में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह ढंग बदलना चाहिये। उस बात को ७ वर्ष हो गये और इतना ही नहीं क्योंकि अब यह सरकार डेवलपमेंट स्टेट हो गई है और अरबों के बजट को यह खर्च करती है इसलिये यह और भी आवश्यक हो गया है, बड़ी-बड़ी योजनायें चलाती है, इसलिये यह और भी आवश्यक हो गया है कि विनियोग लेखे इस ढंग से तैयार किये जायं कि सदन का हर एक सदस्य उसे समझ सके। इस समय तो जिस ढंग से तैयार किये जाते हैं जैसा मैंने कहा वित्त विभाग के अधिकारी ही उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सच बात तो यह है कि मंत्रि मंडल के बहुत से सदस्य भी नहीं समझ पाते होंगे, यह दूसरी बात है कि लोग लज्जावश इस बात को स्वीकार न करें कि उनकी समझ में नहीं आते, लेकिन अपने इस कथन की पुष्टि में मैं २० दिसम्बर, १९५६ में "कैपिटल" के सप्लीमेंट में इस विषय के विशेषज्ञ आचार्य बी०जी० रामकृष्ण अइयर का जो लेख है पृष्ठ ९७ पर उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि:—

"अनुदानों की मांगों के अनुसार जैसे शीर्षकों में व्यय के लेखे पेश किये जाते हैं उनके कारण उनके विश्लेषण का काम आसान नहीं होता। आइटमों के दोनों तरफ ग्रास आंकड़े दिये जाते हैं जिनसे खर्च का सही पता नहीं चलता। ऐस्टीमेट्स के जो संक्षिप्त व्याख्यात्मक नोट दिये जाते हैं उनसे यह जानने में पर्याप्त पथप्रदर्शन नहीं होता कि मांग में क्या है? उसकी कनटेंट्स क्या हैं, बजट के आंकड़ों व रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स की डिसक्रीपेंसीज क्या हैं? उनमें फर्क क्या है? प्रत्येक सचिवालय का प्रशासकीय व्यय और कास्ट आफ सर्विस व्हिच इट ऐडमिनिस्टर्स दिखाया तो अलग-अलग जाता है लेकिन यह पता नहीं चलता है कि दोनों में कास्ट्स का अलाटमेंट क्या है?"

यह एक विशेषज्ञ का कहना है कि हमारी समझ में नहीं आता, और जब मैं यह कहता हूं कि सदन के अधिकांश सदस्य नहीं समझ पाते, मेरा कहना तो यह है कि शायद ही कोई सदस्य हो जो अच्छी तरह से समझ पाता हो और मंत्रि-मंडल के सदस्य भी कम होंगे जो समझ पाते हों, तब मैं उनकी आलोचना नहीं करता, अपमान नहीं करता। केवल इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस ढंग से तैयार किये जाते हैं वह ढंग सदोष है इस कारण समझ में नहीं आता। इस समय मैं जो बात कह रहा हूं वह रचनात्मक कह रहा हूं, सदस्यों के भले के लिये, जनतंत्र की भलाई के लिये कह रहा हूं, किसी की आलोचना करने के लिये नहीं कह रहा हूं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में कह दिया कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में यह बात कही गई थी।

यू०एस०एस०आर० में जिसने प्लानिंग का काम सबसे पहले शुरू किया और जहां से पंचवर्षीय योजना की नकल शुरू की गई है, उस यू०एस०एस०आर० में यह काम बड़ी आसानी से किया जाता है और वहां दूसरे ढंग से बजट तैयार किया जाता है। हमारे देश में भी हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह कहा है कि साइंटिफिक इवैलुएशन इस बात का होता रहना चाहिये कि योजनाओं पर जो खर्च हो रहा है उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अपव्यय हो रहा हो, एक रुपये में मुश्किल से कुल चार आने का काम हो पाता हो। यह बराबर देखते रहना चाहिये।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी मालूम है कि हमारे ही सदन के एक भूतपूर्व राज्य मंत्री माननीय मंगलाप्रसाद ने इस्तीफा देने के बाद एक बयान दिया था। उसमें यह कहा था कि जो खर्च हो रहा है उसमें से मुश्किल से आठ आने का काम हो पाता है। मैं यह नहीं कहता कि उनका यह कहना सही है, मैं यह नहीं कहता कि जनता की आलोचना सही है कि चार आने का काम मुश्किल से होता है, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि इस बात की आवश्यकता है—जनता की आलोचना सही हो या न हो, माननीय मंगला प्रसाद जी की बात सही हो या न हो और सरकार की यह बात सही हो या न हो कि रुपये में सोलह आने या पंद्रह आने काम हो रहा है—कि इस बात की जांच होनी आवश्यक है कि विनियोग लेखे तैयार करने का ढंग बदला जाय, इसलिये मैं उस पर जोर दे रहा हूं। यहां हमारे प्रदेश में भी इसकी आवश्यकता को अनुभव करके इसका इवैलुएशन करने के लिये गोविन्दसहाय कमेटी बनाई गई है, उससे भी इसकी आवश्यकता प्रतिपादित होती है। लेकिन गोविन्दसहाय कमेटी से काम नहीं हो सकता जब तक कि विनियोग लेखे इस ढंग से तैयार न किये जायं कि सदन का हर एक सदस्य ठीक से समझ सके और जनता भी उसे आसानी से समझ सके। इसलिये इस ढंग को बदलने की आवश्यकता है।

मोलोतोव ने पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहा है "विदाउट चेकिंग आन फुलफिलमेंट योर प्लांस विल रिमेन आन पेपर ऐंड इन इमैजीनेशन"। यह यू० एस० एस० आर० के बारे में मोलोतोव का कहना है कि जब तक आप इस बात की बराबर चैकिंग नहीं करते रहेंगे कि आपके जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य निर्धारित है वह पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपकी जितनी भी योजनायें हैं सब कागज पर रहेंगी और केवल आपकी कल्पना में रहेंगी, उन पर अमल नहीं हो सकेगा। तो मोलोतोव साहब इस बात को कहते हैं, और वहां तो सिस्टेमेटिक, एक्सटेंसिव इस बातकी देख भाल होती है, बाकायदा विभाग की तरफ से विनियोग लेखे इस ढंग से तैयार किये जाते हैं कि इस कामको सदनके सदस्य भी कर सकें, जन-साधारण भी बजट को समझ सकें। इसलिये इसको बदलने की जरूरत है और इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन विनियोग लेखों के बनाने के, तैयार करने के ढंग को बदले; यह ढंग बहुत पुराना है। बाबा आदम के जमाने का है। यह ब्रिटेन की पद्धति की नकल है, उसकी भी सही नकल नहीं है। १९२१ से पहले ब्रिटेन में जो पद्धति थी उसकी नकल करके विनियोग लेखे तैयार किये जाते हैं। लेकिन स्वयं ब्रिटेन में श्री वारेन फिशर के सुझाव के अनुसार उस ढंग में जो सुधार कर दिया गया है वह ढंग अभी हमारे यहां लागू नहीं किया गया है। वही पुराना ढर्रा चला आ रहा है। लीक-लीक गाड़ी चल रही है। मेरी प्रार्थना कि ब्रिटेन की पद्धति का ही अनुसरण कीजिये इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह कोई बुरी पद्धति नहीं है, अगर कहीं की कोई पद्धति अच्छी हो तो उस का अनुकरण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वहां के अनुभवों के आधार पर कोई पद्धति खराब साबित हो चुकी हो, और जिसको उन्होंने भी छोड़ दिया हो, तो उसको छोड़कर हमें भी सन् १९२१ के फिशर के सुधारों को अपना लेना चाहिये, एक सुधार तो यह हुआ।

दूसरा सुधार यह है कि प्रोफेसर महालानोबिस जैसा कहते हैं, इसको भी सबने माना है, उनका कहना है कि बजट के तीन भाग होने चाहिये। एक भाग में तो केवल पुलिस, सामान्य प्रशासन और न्याय प्रशासन का हिस्सा रहे, जिसका कि प्लानिंग से कोई सम्बन्ध नहीं होता और जो पुरानी नौकरशाही पद्धति का अंग है। दूसरा भाग होना चाहिये योजना और विकास के बजट का और वह इस तरह से कि एक भाग में तो रेवेन्यू साइड रहे यानी जो व्यय राजस्व प्राप्तियों से होता है और दूसरे भाग में योजना का वह भाग रहे जो पूंजी की लागत या कैपिटल एक्सपेंडिचर से व्यय होता है। वैसे हम चाहें तो तीन की जगह दो भाग भी कर सकते हैं और इन दोनों को एक में ही रख सकते हैं। इस तरह से भी बजट का विभाजन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो शीर्षक, उपशीर्षक और विस्तृत शीर्षक होते हैं उनमें भी परिवर्तन होना चाहिये और फंक्शनल हेड्स होने चाहिये जिस तरह से कि मैंने श्री वी० जी० रामकृष्ण राव की राय अभी पढ़ कर सुनाई। अभी तक जैसे बनता है उसमें हमें पता ही नहीं चलता

कि ग्रास साइड में क्या है, विभाग में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च क्या है और क्या सही-सही आंकड़े हैं वह कुछ समझ में नहीं आते। तो एक तो यह कि फंक्शनल हेड्स होने चाहिये और दूसरे यह कि उन हेड्स के सब-हेड्स के यूनिट्स ऐसे हों कि जो हर एक की समझ में आसानी से आ सकें।

अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मेरी आदत है, मैं दो ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। लेकिन यह सब बताने के लिये मुझे समय अधिक चाहिये था, फिर भी अब मैं केवल संकेतमात्र ही करूंगा।

तीसरे सुधार की आवश्यकता यह है कि आडिट में भी परिवर्तन होना चाहिये। आडिट में दो प्रकार का सुधार होना चाहिये। एक तो यह कि आडिट का काम यह दखना ह कि वह इस बात को देखे कि ठीक से व्यय हुआ है या नहीं और फाइनेन्शियल स्टाक टेकिंग यानी रुपये का सदुपयोग हुआ है या नहीं। तो आडिट रिपोर्ट का तरीका भी बदला जाय, उसकी रिपोर्ट ८ भाग में प्रकाशित हो, समय न होने के कारण मैं उन ८ बातों का अलग-अलग वर्णन न कर सकूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि आडिट के परिवर्तन का सुझाव भी एग्जिस्टिंग आडिट कोड के मुताबिक काम में आ सकता है। हमारे कम्पट्रोलर जनरल और अकाउन्टेंट जनरल ने एक कोड बनाया है और उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि आडिट उस कोड के मुताबिक होना चाहिये। लेकिन हमारे देश में या प्रदेश में उस पर अभी अमल नहीं हो रहा है यानी कम्पट्रोलर जनरल या अकाउन्टेंट जनरल की राय के मुताबिक काम नहीं हो रहा है और न प्रोफेसर महालानोबिस के अनुसार ही कोई सुधार किया गया है। बजट में भी उनके मुताबिक अभी परिवतन नहीं हुआ यद्यपि बजट का अधिकांश भाग योजना का ही होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें विनियोग लेखे तैयार करने के पुराने ढंग को बदलना चाहिये और इन तीनों सुधारों को करना चाहिये। इस समय मैं केवल इतना ही निवेदन करके समाप्त करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार की ओर से सप्लीमेंटरी बजट आया है मुझे इसमें दो बातों पर बड़ा आश्चर्य है और मैं समझ नहीं पाता कि क्या कारण है।

(इस समय १२ बज कर ४६ मिनट पर अधिष्ठात्री, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

एक तो बड़े-बड़े बजट के विशेषज्ञों ने यह बराबर कहा है कि सप्लीमेंटरी बजट एक ही वर्ष में दो होने का अर्थ यह है कि कोई बहुत ही विशेष या तो एकोनामिक क्राइसिस है या कोई बहुत ही विशेष वार की स्टेज खड़ी हो गयी है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने इन दोनों स्टेजों में से कौन सा स्टेज खड़ा है कि तीन महीने के अन्दर दो-दो सप्लीमेंटरी बजट लाने की आवश्यकता हुई। या तो मैं यह समझूं कि ये जो सारे खर्चे हुये हैं इनकी यह सरकार कल्पना नहीं कर सकती थी, जिसकी इनके पास कोई योजना नहीं थी और सहसा ये खर्चे उनके सामने आ गये इसलिये उन्होंने सप्लीमेंटरी बजट बना कर रख दिया। अगर मैं यह मानूं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार बड़ी कल्पनाविहीन है, कौन से कार्य सामने हैं, उनमें कितना खर्चा लगेगा इस तक की कल्पना सरकार नहीं कर पाती।

श्रीमन्, जो दूसरी आश्चर्यजनक चीज है वह यह कि इनके सप्लीमेंटरी बजट में सौ-सौ रुपये के टोकेन ग्रांट्स अगर कोई गिनने लगे तो मैं समझता हूं कि जितने हेड्स हैं उतने ही टोकेन ग्रांट्स होंगे। क्या अर्थ है इसका ? जितना बजट इस सरकार ने पेश किया इस हाउस ने उसको पास किया, इनको खर्च करने का अधिकार दिया। अब इसके बाद यह तो यह सरकार बताती नहीं कि बचत खर्चे में कहां से हुई और क्योंकर हुई—किसी भी मद का टोकेन ग्रांट रखने का अर्थ यह हुआ करता है कि जो मेन हेड के सब हेड्स हैं उनमें कहीं सेविंग हुई। इस सप्लीमेंटरी बजट में सरकार ने कहीं नहीं बताया कि बचत क्यों और कैसे हुई। या तो बचत ऐसे हो सकती है कि सरकार के कर्मचारियों ने बहुत ही कुशलता के साथ कार्य किया है। या बचत ऐसे हो सकती है कि बजट बनाते समय एक ब्रेन वेव सरकार को आयी ऐसी योजना रख दी जाय और बाद में जब देखा कि वह योजना सफल नहीं हो सकती तो छोड़ दिया और वह रुपया बच गया। अब जब बच गया तो परेशानी होती है कि उसको खर्च कहां करें। तो किसी दूसरे आइटम में

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

जहां १० लाख की कल्पना की है और खर्च १२ लाख हो गया है उसमें लगा दिया। सरकार यह तो बताती नहीं कि खर्च फिर कैसे किया और अपनी गलती को छिपाने के लिये एक माइनर हेड का पैसा दूसरे सब हेड्स में कर देती है विदिन दि सैंक्शन्ड ग्रांट और कहती है कि हमने क्या कमाल किया।

किसी भी जनतांत्रिक बजट के अन्दर जहां अर्थ का प्रश्न होता है वहां हाउस सुप्रीम है। जिसने सैंक्शन दिया है खर्च का उस को यह भी जानने का अधिकार है कि पैसा ठीक से खर्च हुआ या नहीं। परन्तु यह सरकार यह प्रयत्न करती है और इस सप्लीमेंटरी बजट से यह ध्वनि निकलती है कि हाउस अन्धकार में रहे। सुप्रीमेसी आफ दि हाउस को यह फ्लाउट करता है। सौ-सौ रुपये के टोकेन ग्रांट्स को रखने का अर्थ यह है कि पैसे की बचत अवश्य होती है, लेकिन उस को दिखाना नहीं चाहती क्योंकि सरकार के आगे तो यह समस्या है कि उसको तो डेफिसिट बजट रखना है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि अगर बजट ठीक से बनाया गया तो इस प्रदेश का बजट सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट नहीं। परन्तु इच्छा यह रहती है कि वह यह बतलायें कि साल आखिर में हमने डेफीसिट को घटा दिया है। बराबर यह देखने में आता है कि बहुत से आइटम्स इस सदन द्वारा सैंक्शन किये जाते हैं और शुरू में यह दिखाया जाता है कि डेफीसिट बहुत ज्यादा है लेकिन वर्ष के अन्त तक वह सरप्लस हो जाता है और उधर से कहा जाता है कि हमने इस तरह से काम किया जिससे यह सरप्लस हो गया यानी पैसा बचा लिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस मद के लिये पैसा मांगा जाता है उसके लिये गवर्नमेंट कुछ सीरियस नहीं होती है। सीरियस ही नहीं होती है बल्कि हाउस को अंधकार में रखने का प्रयास किया जाता ह। मुझे बड़े दुख के साथ यहां पर यह कहना पड़ता है कि यदि इस तरह की टोकेन ग्रांट्स की पद्धति चलती है तो बड़ा भीषण परिणाम होगा और इसी के साथ-साथ इसमें हाउस की सुप्रीमेसी को भी चैलेंज है। दूसरे यह कि हाउस अंधकार में रहता है और किसी को आश्चर्य नहीं होगा यदि मैं यह कहूं जैसा कि पालीवाल जी ने कहा है कि मंत्री महोदय भी स्वयं अंधकार में रहते हैं।

जब इस तरह का बजट माननीय मंत्री जी रखते हैं तो मैं समझता हूं कि अर्थ मंत्री जी ने बजट को अच्छी तरह से देखा होगा और उस पर ध्यान भी दिया होगा और यदि उनके मस्तक में इस तरह का प्रश्न नहीं उठा तो मानना पड़ेगा कि वह स्वयं भी अंधकार में हैं और हम सब अंधकार में ही टटोलते हैं। बराबर देखा गया है कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट आती रहती है और उनमें संकेत होता रहता है और कई बार तो खुलकर भी कहा गया है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग सरकार द्वारा होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों होता रहता है? क्या हम यह मान लें कि सरकार में इतनी काबलियत नहीं है कि वह इस तरह के पैसे के दुरुपयोग को रोक सके या हम यह मान लें कि फायनेन्स सेक्रेटरी, फायनेन्स कमिश्नर जैसे बड़ी-बड़ी पदवी वाले ब्यूरोक्रेट्स के अन्दर इतनी समर्थता नहीं है कि वह इस दुरुपयोग को रोक सकें। मैं समझता हूं कि जड़ यही है कि इस तरह की टोकेन ग्रांट्स रखी जाती हैं और इसका अर्थ यह है कि किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कितना सेविंग हुआ है और कितना हम लाभ कर सके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सब कुछ अंधकार में है और सब अंधकार में ही टटोलते हैं और इसका भीषण परिणाम हम लोगों के सामने है कि राज्य के पैसे का दुरुपयोग होता है।

मैं एक उदाहरण इस बात का दूं कि किस तरह से सरकार के एक एक विभाग में वैकूम है। यह जो आप का कृषि विभाग है इसमें श्री अब्दुल अजीज मखदूमी एक आपरेटर बुलन्दशहर में थे। उनको इससे पहले सिंचाई विभाग ने बरखास्त किया था। इसके बार में रिपोर्ट यह थी कि :

"Abdul Aziz Makhdoomi was employed as Operator Tube Wells in the Irrigation Department at Bulandshahar. He was dismissed in 1947 from Irrigation Department as the District Authorities had declared his character

to be subversive of Law and Order and he was declared unfit for Government Service. After his dismissal from Irrigation Department he was appointed in Agriculture Department as Fitter on April 15, 1948."

अब इन शब्दों से स्पष्ट है कि यह व्यक्ति राजद्रोह और देशद्रोह दोनों कर रहा था। इधर वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से बरखास्त होता है और उधर कृषि विभाग उसको फिर appoint कर लेता है, एक ऐसे आदमी को जिसके ला एंड आर्डर के लिए सबवर्सिव होने का सर्टीफिकेट मौजूद है। यह हालत है हमारे सरकारी विभाग की कि एक विभाग से एक आदमी निकाला जाता है तो दूसरा विभाग उसको रख लेता है। जब विभाग की आंख खुलती है तो उसे बरखास्त किया जाता है। इस पर वह गवर्नमेंट पर दावा करता है और रुपया ले लेता है। यह तो इस तरह की बात हो गई कि एक देशद्रोही को इनाम दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सबवर्सिव आफ ला एन्ड आर्डर घोषित किया गया है तो उस व्यक्ति का नाम सरकार के सारे विभागों में सरक्युलेट किया जाना चाहिये जिससे इस तरह के लोग अन्य विभागों में दुबारा न रखे जा सकें। लेकिन यहां तो वाटर टाइट डिपार्टमेंट्स हैं। इस अंधकार का परिणाम होता है कि राज्य में गड़बड़ी होती रहती है और मंत्रिमंडल को पता नहीं रहता है। अभी झांसी के बारे में एक प्रश्न हुआ था। उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि कोई अरेस्ट नहीं हुआ और जब पालीवाल जी ने पूछा कि यह कब तक की सूचना है तो कहा गया कि आज तक की। लेकिन जब दूसरा प्रश्न होता है तो कहते हैं कि कुछ औरतें पकड़ी गईं। एक सूचना यह और दूसरी सूचना वह। इस तरह से शासन अच्छी तरह से नहीं चल सकता। यह रोग इतना ही नहीं है बल्कि किस तरह हाउस को फ्लाउट किया जाता है और किस तरह से उपेक्षा की जाती है इसका मैं एक उदाहरण दूं। इस सदन ने अपने अध्यक्ष महोदय के लिये एक पी० ए० सैंक्शन किया था अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के सब से बड़े अधिकारी हैं। राज्य की ओर से नोटिफिकेशन भी हुआ, उसके कर देने की आवश्यकता हुई, उसको भी सदन ने सैंक्शन किया। लेकिन, मैं नहीं जानता कि मंत्रिमंडल में क्या प्रखर बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ कि उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। न स्पीकर से पूछा गया, न सदन से कहा गया और सदन की पास की हुई चीज को अपनी इच्छा से उन्होंने समाप्त कर दिया। श्रीमन्, यह प्रथा बड़ी गलत है। एक ओर आप इस प्रकार के मामलों में सदन की उपेक्षा करते हैं और दूसरी ओर स्पष्ट आप प्रशासन के मामलों में, जिससे सदन का कार्य ठीक रूप से चल सके और जिसे सदन ने स्वीकार किया उसकी उपक्षा करते हैं। एक ओर आप कहते हैं कि हम कैडर बढ़ाते हैं, अभी आपने अखबार में भी दिया है, डिप्टी कलेक्टरों का कुछ कैडर बढ़ा रहे हैं। उत्तर दिया जाता है कि शासन के अन्दर जरा अच्छे आदमी हमको चाहिए और कैडर बढ़ाने के लिए नायब तहसीलदारी से डिप्टी कलेक्टरी में प्रोमोशन हो रहा है। इसी सेक्रेटेरिएट में मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि नायब तहसीलदारी से उन्नति पाये हुये डिप्टी सेक्रेटरी बने बैठे हैं जब कि उनसे अच्छा काम करने वाले सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। इस प्रकार की अव्यावहारिक शासन नीति, जिस प्रकार उसकी अर्थ नीति सदन की उपेक्षा पर आधारित है, मनमाने ढंग से सदन की उपेक्षा के आधार पर चल रही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं १९५८-५९ के अनुपूरक अनुदानों के सामान्य विवाद में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

पहला एतराज मेरा और मेरी पार्टी का यह है इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पहले रखा जा सकता था जब कि गत बार सदन बैठा था। उस समय हमारे पास काफी समय रहता और उस पर खुल कर विचार कर सकते थे। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि इस पर अच्छी तरह से विचार कर के अपने विचार रख सकें।

माननीया, मेरा दूसरा एतराज यह है कि इसमें बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिनमें पहले के बजट से रुपया बचा कर ले लिया गया है और उस की १०० रुपये की प्रतीक मांग रख दी गयी है। इससे हम लोगों को इस बात की जानकारी करने में और जनता को जानकारी

[श्री उग्रसेन]

करने में यह कठिनाई हो रही है कि वह रुपया सही मानों में कहां से आया और वह किस तरह से और किस मद में खर्च किया जा रहा है। जो विवरण दिया गया है वह नाकाफी है। उससे पूरा प्रकाश नहीं पड़ता।

तीसरी बात है मुकदमेबाजी के सिलसिले में। एक मुकदमें को चर्चा मैं करना चाहता हूं इस सदन के अध्यक्ष महोदय के अपमान में ब्लिट्ज के सम्पादक मिस्त्री साहब पर मुकदमा चला। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब से मुकदमा शुरू हुआ और अन्त तक जब तक कि बम्बई हाईकोर्ट का फैसला नहीं हो गया उस पर कितना रुपया खर्च किया गया ? इसके विवरण में दिया हुआ है कि वहां के सालिसिटर का चूंकि हजारों रुपये का बिल समय से न आ सका इसलिए बाद में पेमेंट किया गया। यह अनावश्यक पेमेंट क्यों किया ? अगर सरकार ने पहले से तत्परता दिखायी होती तो प्रदेश के राजस्व का इतना रुपया गलत ढंग से नहीं खर्च किया जाता। यही नहीं, उद्योग विभाग के बहुत से गजटेड अफसरों के खिलाफ कार्यवाहियां हुईं। उनके मुकदमें आज तक लटक रहे हैं और यह मैं इस माननीय सदन से कहना चाहूंगा कि उनके भी मुकदमें जब हाई कोर्ट में जायंगे तो बहाल होंगे। तो सरकार को हजारों रुपये देने पड़ेंगे और प्रदेश के राजस्व पर एक नया भार पड़ेगा। आज से बीस वर्ष पहले इस प्रदेश की सरकार का बजट १२ करोड़ ३९ लाख था। मगर आज २० वर्ष में इसका अनुपूरक बजट १८ करोड़ से ज्यादा हो जाता है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर इन २० वर्षों में सरकार ने क्या किया ?

बाढ़ की बड़ी चर्चा की गयी है। बलिया जिले में घाघरा नदी सुरेमनपुर में रेलवे लाइन काट रही थी। रेलवे बोर्ड ने इस बात का आश्वासन दिया कि यदि प्रदेश की सरकार अपना धन दे तो ५० फीसदी हम देंगे और उसने दिया। लेकिन इतनी जल्दी में वहां काम हुआ कि अललटप ठेकदारों को ठेका दे दिया गया और बोल्डर्स गिराये जान लगे। आश्चर्य होगा यह जानकर कि विभाग द्वारा हजारों रुपये पेमेंट किया गया मगर वहां देखा जाय कि जो बोल्डर्स रेलवे लाइन को बचाने के लिए डाले गये वहां आया या नहीं। वह कितना सफल रहा ? बिलकुल असफल रहा। छितौनी का बांध कट रहा था। सरकार को सूचना मिली और यही नहीं इससे पहले भी सरकार को सूचना मिली थी कि अगर छितौनी बांध की रक्षा के लिये कोई ठोकर इस वर्ष नहीं बना दी जायगी तो बांध बिलकुल समाप्त हो जायगा। लकिन सरकार के सिंचाई विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब मुसीबत सर पर आ गयी तो अन्त में सरकार के सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि इसमें कुछ होना चाहिये। कुछ बोल्डर्स डाल कर दिखाने के लिये कुछ बचाव किया गया। वह भी पर्याप्त नहीं। अगर सरकार पहले से ऐसी योजनाओं को स्थानीय रिपोर्टों के आधार पर, जो वहां के लोग, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय सदस्य दिया करते हैं उस पर तुरन्त कार्यवाही करे तो इस तरह का अनावश्यक खर्चा न हो। आदरणीय माननीया, सिंचाई विभाग के लोग प्रदेश की योजनाओं को जिस तरह से चलाते हैं और जिस तरह से साढ़े बारह से बीस प्रतिशत की रिश्वत लेते है वह सभी को मालूम है। सिंचाई विभाग का काम सब उनको घूस में बह गया। मैं चकिया चंदौली के चुनाव में गया और देखा कि वहां डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हो गया। चन्द्रप्रभा बांध बना। उसके बाद ही जरगो बांध बनाया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो पहले से वहां रजबहा बने हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है। पहले गांव वालों को उस समय के सिंचाई मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि गांव उसमें नहीं लिया जायगा। लेकिन अब गांव उजाड़ कर गांव से नहर निकाली जा रही है। छोटे पुलों को ज्यादा पानी गुजरने के लिये चौड़ा किया जा रहा है। मेरा खयाल तो यह है कि अगर सिंचाई विभाग ५० लाख से भी ज्यादा रुपया खर्चा करे तो शायद फिर से, जो उन्होंने गलतियां की हैं, उनको सुधारा जा सके। माननीया, समय कम है। जब कभी हम कामरोको प्रस्ताव रखते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि बजट के समय बोलिये। क्या बोलें ? पुलिस के लिए मांग की गयी है कि कुछ आकस्मिक खर्चा पुलिस पर बढ़ गया। दिया आपने कुछ पुलिस के सिपाहियों को ? एक पी० ए० सी० जरूर सरकार ने रख छोड़ी

है कि सरइया और छबैला में गोलियों से गिरा दो। क्या छबैला गोली कांड की जांच करायी गयी ? मगर कलेक्टर ने नहीं कराया। आई० जी० पुलिस, मिस्टर माथुर उस समय गये और उनके सामने जब सरदार साहब रोये तो गोली का निशाना किसानों को बनाया गया। अब हम से कहा जाता है कि आप की रक्षा की जरूरत है इसलिये पुलिस बढ़ा दी जाय। क्या हम अपने बच्चों को गोली मारने के लिये रुपये दें। और जिस तरह से पुलिस मंत्री की पुलिस आज निरीह जनता पर गोलियां चलवाने में तत्पर हैं क्या उसको बढ़ाया जाय ? आप उसके लिये हमसे रुपया मांगते हैं और लेते हैं। संख्यासुर के बल पर ले लीजिये लेकिन कब तक लेते रहेंगे।

दुर्भिक्ष और अकाल के समय संचित धन से ३७ लाख रुपये से अधिक खर्च कर दिया गया। तकाविया दी गयीं। किस को दी गयीं ? मामा के मामा और साले के साले और रिश्तेदारों को दी गयीं। बड़े जमींदारों को दी गयीं जिनको देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बलिया, गाजीपुर और देवरिया के लोग भूखे मरते रहे और उनको आपने आम की गुठली की रोटी भी नहीं दी।

मैं इन शब्दों के साथ केवल यही कहना चाहता हूं कि आपकी बजेटिंग गलत है। आपको हमको कुछ देना चाहिये था तब हमसे लेने के लिये मांगना चाहिये था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की। मैं इस सप्लीमेंटरी बजट पर बहुत थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं।

एक बात तो यह है कि जो मूल बजट पास हुआ था वह ११२ करोड़ का था। फिर सप्लीमेंटरी बजट आया ४ करोड़ ९ लाख ८६ हजार ६ सौ रुपये का, वह भी पास हुआ और यह अब दूसरा सप्लीमेंटरी बजट १८ करोड़ ६४ लाख ३१ हजार २ सौ रुपये का आया है। यह जो दूसरा सप्लीमेंटरी बजट आया है वह सारे प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता को धोका देने के लिये, उसके साथ मजाक करने के लिये, उसके साथ खिलवाड़ करने के लिये और उसको भुलावे में डालने के लिये आया है। इसका एक मूल कारण है। इस बजट में दिखाई देता है कि ११० करोड़ रुपया कुल खर्च किया गया है जब कि ११२ करोड़ मूल बजट में, ४ करोड़ प्रथम अनुपूरक बजट में और १८ करोड़ इस बजट में अर्थात् कुल १३४ करोड़ रुपये का खर्च होना चाहिये था। अगर इन ११० करोड़ में से और १२ करोड़ रुपये स्टेट ट्रेडिंग का निकाल दिया जाय तो भी १२ करोड़ रुपया यह सरकार खर्च नहीं कर पायी। इस सरकार में इसको खर्च करने की कैपेसिटी नहीं थी और इसमें इतनी एफीशियेंसी नहीं है कि उसको खर्च नहीं कर सकी। यह उसकी इन्काम्पिटेंसी है।

सब से बड़ी बात यह है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत इसको निश्चित रूप से यह मालूम था कि हमारे सामने क्या-क्या खर्च है और किस-किस मद में खर्च करने हैं। सब चीजों का टार्गेट पहले से निश्चित किया जा चुका था, हर एक चीज का अन्दाज था फिर वह १२ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकी।

किन चीजों में नहीं कर सकी ? ऐग्रीकलचर पर नहीं कर सकी, पशुपालन पर नहीं कर सकी, सहकारिता पर नहीं कर सकी, और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स पर नहीं कर पायी। इस तरह से यह १२ करोड़ रुपये खर्च होने से बच गये। जब यह कहा जाता है कि फलां जगह पुल नहीं है और फलां जगह पर सड़क नहीं है तो सरकार बड़ी मुंह कराती हुई अदा से जवाब देती है कि धनाभाव है। एक तरफ तो धनाभाव के लिये २८६ आवाजें उठती हैं मगर दूसरी तरफ १२ करोड़ रुपया इस बजट में बच गया जो खर्च नहीं हो पाया।

मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह बजट दिसम्बर में आना चाहिये था मगर दिसम्बर में ये इस बजट को न ला सके। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो दिसम्बर में सरकारी पक्ष में आपसी कशमकश की बात हो सकती है। तबेले की लतिहाउज के कारण बजट

[श्री शिवप्रसाद नागर]

बनाने से रह गया। और या तो फिर यह १२ करोड़ रुपये के खर्चे का हिसाब ही सोचते रहे कि वे कितना खर्चा करें और कहां करें। आपके सामने कोई स्कीम नहीं थी इसलिये यह १२ करोड़ रुपये का खर्चा होने से रह गया।

अधिष्ठात्री महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने एक बात और रखना चाहता हूं। जब कभी कोई बात कंस्ट्रक्शन की सामने लाई जाती है तो ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार रुपया नहीं देती और केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह अनुदान नहीं मिला। आपको क्यों केन्द्रीय सरकार दे? क्या केन्द्रीय सरकार आपको इसलिये दे कि आप उसको बचा-बचा कर रख दें इस हाउस के सामने। केन्द्रीय सरकार आपको खर्च करने के लिये देती है, लेकिन आप बजट के अन्दर उसको रखकर भी बचा देते हैं। मूल अनुदान में रखने के बाद भी वह बच जाता है तो फिर केन्द्रीय सरकार क्यों आपको रुपया फूंकने के लिये दे। केन्द्रीय सरकार के सामने आप अपना हिसाब-किताब ठीक रखें और केन्द्रीय सरकार को आप अपने खर्चे का ब्यौरा सही तरीके से दिखायें तो केन्द्रीय सरकार आपको रुपया अवश्य देगी। लेकिन यदि आपके हिसाब गलत हैं और उसको सही तरीके पर खर्च नहीं करेंगे तो केन्द्रीय सरकार आपको रुपया नहीं देगी जिस तरह से कि आपने इस १२ करोड़ रुपये को बचा कर रखा है।

अधिष्ठात्री महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह बात यह है कि ग्रान्ट नम्बर ५ में ६० लाख रुपये से एक लेक हाउस बनाया जायगा। क्या मजाक है कि ६० लाख रुपया एक लेक हाउस के बनाने में व्यय किया जायगा। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और सन् १९४६ में सरकार बनी थी तो उस समय जो सबसे पहले आवाज लगी थी उसमें यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान से जब अंग्रेज जायेंगे तो लग्जरी भी उनके साथ चली जायगी। लेकिन अब मालूम होता है कि अंग्रेज तो चले गये लेकिन अब यह सरकार लग्जरी को बढ़ा रही है जिसके लिये यह ६० लाख रुपया रखा गया है। इससे क्या जनता का भला होगा। मैं समझ नहीं पाया कि यह लेक हाउस की क्या योजना है। माननीय मन्त्री जी जब अपना जवाब देंगे तो इसको बतलायेंगे।

एक सदस्य---यह ६० हजार है।

श्री शिवप्रसाद नागर---हो सकता है कि ६० हजार हो लेकिन आप तो करोड़ों की गलती करते हैं। यह लाख की भूल तो मामूली बात है। ४३,६२,४०० रुपया वाटर लागिंग के लिये खर्च किया गया। अपने जिले में तो मैंने देखा कि एक पैसा भी वाटर लागिंग के लिये खर्च नहीं किया गया। ओयल से लेकर लखीमपुर के किनारे तक एक पैसा खर्च करने का प्रस्ताव नहीं किया गया। अभी हमारे वित्त मन्त्री जी लखीमपुर गये थे। वहां लखीमपुर की जहां से सरहद शुरू होती है और सीतापुर की सरहद के आगे सड़क के दोनों तरफ का एरिया मीलों तक पानी में डूबा रहता है जहां पर ६, ६ मील लम्बी झील है। उसमें हजारों एकड़ भूमि डूबी रहती है। लेकिन उसके लिये कोई रुपया खर्च नहीं किया गया।

बताया गया कि १२ करोड़ रुपया स्टेट ट्रेडिंग और मुकदमों की डिग्री में खर्च हुआ है और हो रहा है। अगर इस तरह से सरकार का काम चलेगा तो उसको डिग्री में रुपया देना ही पड़ेगा।

एक डालमिया साहब की जूट मिल कलकत्ते में है। वह कानपुर में सोडा ऐश फैक्टरी बनाना चाहते थे। उनको हमारी सरकार ने १ करोड़ ४५ लाख रुपया कर्जा दिया। उस कर्जे को देने के लिये सरकार ने उनके उस जूट के मिल को कलकत्ते में है मारगेज कर लिया। मारगेज करने पर यह अनुमान लगाया गया कि यह मिल २ करोड़ रुपये का होगा और २ करोड़ का स्टीमेट लगाकर १ करोड़ ४५ लाख रुपया उनको दे दिया गया, लेकिन आडिट रिपोर्ट यह कहती है कि इस मिल की कीमत २० लाख से ज्यादा नहीं है। रुपया उनको दे दिया गया है तो इस रुपये के लिये मुकदमा जरूर चलेगा। खर्चा होगा और डिग्री भी जरूर होगी मगर कुर्की न होगी सरकार का खजाना खाली हो जायगा।

एक बात मैं और बताऊं कि जिस समय यहां पर पिछला एलेक्शन का दौर चल रहा था उस समय गोंडा शुगर मिल को ८ लाख रुपया, गोरखपुर के शुगर मिल को १० लाख रुपया और नैनीताल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को २० लाख रुपया सरकार ने दिया। लक्ष्मी रतन काटन मिल कोई कानपुर की फर्म है उसको ५० लाख रुपया इस सरकार ने दिया और ९० लाख जुग्गीलाल कमलापति को दिया और १ करोड़ ४५ लाख रुपया डालमियां को दिया गया किन्तु यह उद्योग में नहीं लगा। कहा यह गया था कि उद्योग को बढ़ाने के लिये दिया जा रहा है, लेकिन वह कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। यह जवाब अभी पिछले विधान परिषद् के सेशन में मिला है और अखबारों में छपा है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इसमें मुकदमेबाजी होगी और सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होगा और उत्तर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता की जो खाल खींच कर रुपया वसूल किया जाता है, खेत-खेत और मेड़-मेड़ से, पौधे-पौधे और डाल-डाल और बाल-बाल और दाने-दाने से जो पैसा वसूल किया जाता है वह पूंजी पतियों के खजाने में भरा जा रहा है और उसके बाद उसके लिये मुकदमेबाजी होगी और उसमें १२, १२ करोड़ रुपया और बर्बाद किया जाय। यह बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो अनुपूरक बजट मूल बजट के साथ लाया गया है यह जनता के साथ एक मजाक किया गया है, खिलवाड़ किया गया है। बात बहुत कहना है समय कम है, लेकिन मैं अपने इस बयान के साथ इस बात की सख्त मुखालिफत करूंगा कि यह बजट इस समय जो लाया गया है वह एक गलत तरीका है और ऐसा करना हमारी जनता के साथ अन्याय और अत्याचार करना है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैंने जैसा पहले अर्ज किया था, यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है यह है Just a Camouflage to hide real things सरकार अपनी कमजोरियों और बढ़े हुए टैक्सों को छिपाने के लिये इसको लायी है और जैसा अन्य मित्रों ने भी कहा, प्लानिंग के जो अन्य विभाग हैं और उनमें किये जाने वाले जो कार्यकलाप हैं उनमें, टैक्स भी ज्यादा लगाया जाता है और उसके बाद योजना के कामों में बचत करके उन टैक्सों का रुपया ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करके उसको छिपाने की यह एक योजना है। माननीय महोदया, इसमें आप देखेंगी कि १८,३४,३१,००० रुपये का यह बजट और ४,०९,८०,६०० रुपये का पिछला, कुल मिला कर २३ करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट की मांग, दुनिया भर की सरकारों में, जिस पैमाने पर यह सरकार चल रही है, उनमें, केवल यही एक सरकार कर सकती है कोई दूसरी नहीं। इधर के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसी मदें इसमें हैं कि जिनके बारे में सरकार पहले से जान सकती थी, लेकिन सरकार ने जान बूझकर उन मदों का जनरल बजट में समावेश नहीं किया। हम लोगों को भी पता था। मैं फारेस्ट विभाग की बात बतलाऊं जिसमें १६, १७ लाख रुपये मांगने की बात कही गयी है। उसका हमको पता था कि यह ग्रान्ट आने वाली है और जुलाई और अगस्त में मालूम था, लेकिन वहां ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं कि जिन्होंने जानबूझ कर उस समय उसको बताया नहीं। उस समय इस सिलसिले में मैंने प्रश्न भी किया था मगर मेरी बदकिस्मती से वह स्वीकार नहीं किया गया। चूंकि समय कम है इसलिये मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं।

इस बजट में भू-राजस्व की मद में २०० अमीनों को ट्रेन्ड करने के लिये रुपया मांगा गया है और उसका कारण यह बतलाया गया है कि अमीनों की कमी के कारण सर्वे नहीं हो पाता। मैं बाअदब गुजारिश करूंगा, मंत्री जी की अनुपस्थिति में खाली बेंचों से, क्योंकि यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंचों से कहा जाय अथवा मिनिस्टरों से, यहां न बेंचें सुनती हैं न मिनिस्टर, बहरहाल, आपके द्वारा मैं निवेदन कर दूं कि यह कहा जाना कि अमीनों की कमी के कारण सेटिलमेंट नहीं हो पा रहा है, गलत है। अल्मोड़ा जिले में बहुत ज्यादा अमीन ट्रेन्ड किये गये और उन में से १०० से ज्यादा बेकार हैं। पहले जो कुछ तो रख लिये गये थे, वह भी बाद में बड़ी संख्या में अलग कर दिये गये इसलिये कि जो सर्वे एक्सपर्टस कहे जाते हैं या उनके अपने हेड्स हैं उनको इन लोगों ने घूस का रुपया नहीं दिया लिहाजा उनको बिला वजह अलग कर दिया गया। आपके

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

पास सैकड़ों ट्रेन्ड अमीन अकेले अल्मोड़े जिले में मौजूद हैं और घर बैठे हैं एक-एक साल नौकरी करने के बाद । दूसरी तरफ हमसे फिर इस बहाने रुपया मांगा जाता है कि पूरे अमीन ट्रेन्ड नहीं हैं । इस तरह से गलत बात नहीं कहनी चाहिये ।

आबकारी विभाग में कुछ रुपया मांगा गया है । इस सिलसिले में मैं आप को अल्मोड़ा का एक हाल का एक्सीडेन्ट बताना चाहता हूं । वहां पर एक आबकारी के इंस्पेक्टर छापा मारने के लिये गये और साथ में एक गवाह शहादत के लिये लेते गये थे जिसे कि वे हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे । जिसके घर में वे छापा मारने गये थे उसके लड़के को कुछ अक्ल आ गई और उसने कहा कि पहले इसके कि आप लोग हमारे घर में घुसें, पहले मैं आप लोगों की तलाशी लेना चाहता हूं । तो तलाशी लेने के बाद उस आदमी के पास जिसे कि इन्सपेक्टर अपने साथ ले गये थे, चरस पकड़ी गई । इस तरह से यह साफ मालूम होता है कि जानबूझ कर सरकार व अधिकारी लोगों को फंसाना चाहती है, जिनसे कि उनकी रंजिश हो । चूंकि वह मामला तमाम लोगों के सामने हो गया था इसलिये गवाह पर मुकदमा चला लेकिन उस इंस्पेक्टर के खिलाफ जिसने कि उनको फंसाने की जालसाजी की, कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

इसमें कुछ रुपया स्टाम्प के बारे में मांगा गया है । कहा गया है कि स्टाम्पों की बिक्री में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई जितनी कि आशा नहीं थी इसलिये कमीशन वगैरह में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा । पहले जब माननीय वित्त मन्त्री ने इन्हान्समेन्ट किया था तो मैंने कहा था कि करीब ६० लाख रुपये की आमदनी होगी । उस पर वित्त मन्त्री ने कहा था कि १० लाख से ज्यादा आमदनी नहीं होगी । बढ़ी हुई आय उन्होंने १० लाख रुपया बताई थी । लेकिन अगले वर्ष के बजट, ओरीजिनल एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट को आप देखें तो आप को पता चलेगा कि उन थोड़े से महीनों में ही २५ लाख बढ़ गया है और अगले साल में हम उम्मीद करते हैं कि कि ५५ लाख क्या ८० लाख इस स्टाम्प ड्यूटी के इन्हान्समेन्ट से गरीब जनता का रुपया वसूल किया जायेगा । टैक्स की इंतहा है । इस तरह से वे पीसमील बजट पेश करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि पब्लिक मेमरी बड़ी शार्ट है । पुरानी बातों में हम क्या कह चुके हैं उसकी कौन जांच करने आता है ।

अब इसमें जो सबसे भयंकर बात है वह वन विभाग के सम्बन्ध में है । इसमें कहा गया है कि जंगल के हाकिम का शिविर कार्यालय लखनऊ शिफ्ट किया गया है । अगर यहां पर वह कार्यालय शिफ्ट किया गया है तो १०, १५ दिन या महीने डेढ़ महीने के लिये होना चाहिये लेकिन वह तो यहां पर इस लिये लाया गया है कि वे लखनऊ में हजरतगंज की सैर करें । इस तरह से तो जंगल का इन्तजाम हो गया । माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बड़े-बड़े आदमियों के हाथ में जंगल का पोर्टफोलियो देना क्या शोभा देता है ? जब दफ्तर लखनऊ में रहेगा तो जंगलों में जाने का भत्ता बढ़ेगा । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि डाक लाने और ले जाने वाले कुछ कर्मचारी यहां रखे हुए हैं । लेकिन हाउस को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जो आदमी डाक लाने और ले जाने के लिये रक्खे गये हैं वे तो कम जाते हैं बल्कि नैनीताल में डिवीजनल कार्यालयों के चपरासी यहां आते हैं डाक लाने के लिये । तो इस तरह से जनता का पैसा लुटाया जाय और वहां के हाकिम यहां पर ऐशोआराम करें, यह क्या शोभा देता है ? इस विभाग में आज इतने कर्मचारी हो गये हैं जितने कि शायद पहले कन्स के राज्य में भी नहीं हुए होंगे ।

अब इसमें आप देखेंगे कि एक नये आमोद गृह की भी जरूरत पड़ी है । ६० हजार रुपये की कीमत से एक नया आमोद गृह बनाया जायगा । कानपुर में उसे खरीदने की जरूरत पड़ गई ।

वन उपज की बात आप ने कही । वन उपज के बारे में तफसील में तो मैं बाद में जाऊंगा । सामान्य प्रशासन में मिस्त्री साहब पर सदन के अध्यक्ष की मानहानि का मुकदमा चला । उसमें

जीते और उसकी कास्ट्स उनसे रियलाइज़ होनी चाहिये थी लेकिन इस माननीय सदन की इजाजत लिये बिना ही पीछे से उनके साथ राजीनामा कर लिया गया। सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था और ब्लिट्स अखबार को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया था लेकिन प्लानिंग विभाग से उसको हजारों रुपये के विज्ञापन दिये गये। फिर पीछे से चुपचाप उससे राजीनामा कर लिया गया। हमसे कहा गया था कि इसमें कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक्र नहीं होती है लेकिन एडवोकेट जनरल के अलावा सोलीसिटर्स के लिये काफी रुपया इसमें मांगा जा रहा है। एक रकम तो २२,७५० रुपये की है। इतना ही नहीं है इसके अलावा वह खर्चा तो इसमें शामिल ही नहीं है जो कि दावतों और शराबबाजी में उड़ाया गया है। यद्यपि उनका इसमें जिक्र नहीं है लेकिन जनता इसको जानती है।

इसी तरह से न्याय प्रशासन में है। गवर्नमेंट ने ११,२५,००० रुपये की पहली मांग की है और उसके बाद ५,४१,६०० रुपये की मांग की है। लेकिन इस विधि विभाग की हालत क्या है? सन् १९४९ में एक साहब बरखास्त किये गये, उनको तनख्वाह नहीं दी गयी, उनकी डिग्री हो गयी। अब वह सन् ४९ की रकम का भुगतान इस अनुपूरक बजट द्वारा किया जा रहा है। ७-७ और ८-८ साल हो जाते हैं लेकिन पेन्शन तक निर्धारित नहीं होती है, गैर कानूनी तरीके से लोगों को निकाल दिया जाता है और फिर इस तरह से व्याज का नुकसान किया जाता है। ऐसी बातों को सरकार को मद्देनजर रखना चाहिये। अगर नहीं रखेगी तो यह सरकार चल नहीं सकती।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, आज हम लोग चालू वित्तीय वर्ष के पूरक बजट पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले भी इसी वर्ष एक पूरक बजट पास हो चुका है। आज फिर इसको पेश करके, जिन खर्चों की पहले व्यवस्था नहीं थी, उनको लाया जा रहा है। इसमें से बहुत-सा रुपया तो खर्च भी हो चुका है और आशा करते हैं कि यह रकम पास भी हो जायगी। लेकिन जिस तरह से ये रकमें खर्च की जा रही हैं और जिन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये इस पैसे को खर्च किया जा रहा है, उन नीतियों के संबंध में हमें दो चार शब्द कहने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सामने बैठने वाले सदस्य हैं हमारी इन बातों को गौर से सुनेंगे और अमल में भी लाने की कोशिश करेंगे।

हमारा राज्य करीब साड़े छै करोड़ की आबादी का है। इस आबादी में से ७१ प्रतिशत जनता खेती पर गुजर करती है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी तादाद मजदूरों की भी है। इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य का दम भरने वाली सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि जब वह बजट बनाये और उसको खर्च करे तो उन नीतियों को कार्यान्वित करे जो लोक कल्याण-कारी हैं। जब इस दृष्टि से हम इस बजट को तोलते हैं तो जो नीति इस सूबे में इस वर्ष और पिछले वर्षों में कार्यान्वित की जा रही है, वह न तो किसानों के हित में है और न मजदूरों के ही हित में है। इसलिये इस सरकार को जो पैसा उसकी वर्तमान नीति को कार्यान्वित करने के लिये दिया जा रहा है, वह बेकार है। किसानों के हित के बारे में तो एक बात यह भी हमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि इस माननीय सदन ने प्रस्ताव पास करके किसानों को गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आ० मन दिये जाने के लिये कहा था, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिये जो पूरक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें किसानों को उनके गन्ने की अधिक कीमत दिलाने का प्रयत्न किया गया ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सर्वसम्मत प्रस्ताव इस सदन ने पास किया था उसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने इस अनुपूरक बजट में कौन सा प्रयत्न किया है? क्या इस बजट में एक पैसा भी उस चीज को कार्यान्वित करने के प्रयत्न के लिये मांगा गया है? मैं समझता हूं कि इस सदन द्वारा सर्व सम्मति से गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये जो मांग की गयी थी, उसको पूरा करने के लिये किसानों ने जो आन्दोलन किया उसके कुचलने के लिये ही यह पैसा इस्तेमाल किया गया है। इसलिये मैं इस सदन से निवेदन करता हूं कि चूंकि यह मांग जो की गयी है उसकी रकम किसानों की विरोधी नीति के लिये इस्तेमाल की जा रही है इसलिये इसको यह सदन मंजूर न करे।

[श्री मदन पांडेय]

अभी माननीय उग्रसेन जी ने छबेला गोलीकांड की याद दिलाई है । आज इस बजट को प्रस्तुत करते समय मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि छबेला गोलीकांड के बारे में कामरोको प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के बाद वहां की स्थिति के संबंध में कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे ? चेष्टा नहीं करेंगे बल्कि अवश्य ही प्रकाश डालेंगे ।

अब मजदूरों के संबंध में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं । यह सभी को मालूम है कि पिछले १२ वर्षों से यहां कांग्रेस की हुकूमत है । लेकिन इस १२ वर्षों का समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, कांग्रेस सरकार की मजदूर विरोधी नीति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी । मैं तो यहां तक कहूंगा कि सन् १९५६ तक जितनी प्रोग्रेसिव नीति कांग्रेस सरकार की मजदूरों के सम्बन्ध में थी आज उसका ५० प्रतिशत भी प्रगतिशील नहीं रह गयी है और रोजमर्रा की जिन्दगी में, मजदूरों के हर काम में अड़ंगा डालने के लिये उसने अधिकार ले लिया है और इस तरह उसके द्वारा उनको परेशान करने वाला प्रयत्न किया जा रहा है । अभी हाल ही की बात है कि अमृत पत्रिका कांड को लेकर उसके ६०० कर्मचारी बेकार पड़े हुए हैं लेकिन उनकी पूछताछ करने वाला कोई नहीं है । इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर भी माननीय मुख्य मंत्री जी से तथा सरकार के प्रत्येक सदस्य से यह अपील की गयी कि इस मामले को जल्दी तय किया जाय लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है । वेज बोर्ड का जो फैसला है उसको भी इम्पलीमेंट नहीं किया गया है और बराबर टालमटोल की नीति अपनायी गयी है । यह पढ़े-लिखों का एक सेक्शन है जिसके प्रति ऐसी उपेक्षा की नीति बरती गयी है ।

अब जो दूसरा सेक्शन बे पढ़े लिखे लोगों का है उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । चीनी मिल मजदूरों का मामला आज से नहीं बल्कि सन् १९४८ से चल रहा है । आज के माननीय मुख्य मंत्री तत्कालीन श्रममंत्री थे उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० की नींव चीनी मिलों के मजदूरों में उस समय डाली और तब से आज तक उसको बढ़ावा देते आ रहे हैं । इस समय जब मजदूरों के सम्बन्ध में यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की ओर से मांग की गयी तो कहा गया कि इसकी ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि सरकार की श्रम नीति प्रगतिशील नहीं है । इस सरकार को बिहार की सरकार से इस मामले में सबक लेना चाहिये जहां मजदूरों को इस समय भी रिटेनर एलाउन्स दिया जाता है । जब सरकार से वहां का उदाहरण दिया जाता है तो कहा जाता है कि आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों और मिल मालिकों के बीच एक समझौता हो गया है तथा यह चीज केवल बिहार के लिये ही लागू होती है, उसका यू० पी० के मजदूरों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इन बातों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यहां की सरकार शुगर मिल के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है । इसी तरह से चाहे बोनस का मामला हो चाहे और कोई मामला हो सब में सरकार अड़ंगा डालने वाली नीति अपना रही है । जो लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल के फैसले बोनस के सम्बन्ध में हुए उसका ६० प्रतिशत लेकर आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों ने समझौता कर लिया । इससे मालूम होता है कि सरकार मजदूरों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रही है ।

श्रीमन्, श्रम मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन जो फाइनेंस के या और मिनिस्टर मौजूद हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि १५ फरवरी से चीनी मिलों में जो हड़ताल की नोटिस दी गयी थी उसको तो हटा लिया गया है लेकिन १ मार्च से आमरण अनशन की घोषणा फेडरेशन के सभापति प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, ठाकुर मुकुन्दसिंह तथा मदन पांडेय, एम० एल० ए० द्वारा की गई है उसकी ओर उचित ध्यान दें तथा अपने प्रयत्नों से ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि अनशन की नौबत न आवे । क्या मैं उम्मीद करूं कि श्रम विरोधी नीति जो सरकार चला रही है उसको खत्म करेगी तथा इसके सबूत में १ मार्च के पहले मजदूरों के मनाने के मामले में ऐसा कदम उठायेगी जिससे इस अनशन की नौबत न आये और सरकार बदनाम न हो,

मजदूरों का भला हो । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि लाल बत्ती हो गयी है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी और अगर सरकार ध्यान न दे तो सदन इस मांग को मंजूर न करे ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इस वक्त हम लोग चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर बहस कर रहे हैं । सबसे पहले मैं अनुदान संख्या २---जोतों की चकबंदी के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब नागपुर कांग्रेस में हदबन्दी की योजना को ले कर एक प्रस्ताव पास किया गया ह तो फिर समझ में नहीं आता कि इन दोनों योजनाओं का मेल कैसे खा सकता है ? इसलिये सरकार अपनी राय साफ-साफ प्रकट करे कि सरकार हदबन्दी योजना लागू करना चाहती ह या चकबंदी योजना जो पहले से चल रही ह । उसे लागू करना चाहती ह । अभी हाल में राजस्व मंत्री जी ने मेरठ में वक्तव्य देते हुये कहा था कि कुछ दिनों के लिये हमको चकबंदी योजना स्थगित करनी होगी । ऐसी स्थिति में जो अधिकारी बढ़ाये गये हैं और उनकी जीपों के लिये जो १ लाख २८ हजार रुपये की स्वीकृति मांगी जा रही है उसका क्या होगा ? इस सम्बन्ध में सरकार अपनी सफाई देने की कृपा करेगी ।

दूसरी बात, जैसा कि उग्रसेन जी ने भी कहा, यह पैसा जो हम खर्च करते हैं योजनाओं के ऊपर यह हमारे सूबे की आम जनता का पैसा है । इसलिये हमको यह भी देखना है कि यह जो पैसा ह वह ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा ह । इसके बारे में भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी होती है ।

अभी हमारे एक भाई ने जिक्र किया कि इस सरकार ने १ करोड़ ४५ लाख रुपये शांति प्रसाद जैन को सोडा ऐश फैक्टरी खोलने के लिये दिये और उसके लिये कुछ शर्तें रखीं वे जब तक पूरी नहीं हो जातीं तब तक यह रुपया नहीं दिया जायगा । मेरा ऐसा खयाल है कि अब तक साहू जैन ने एक भी शर्त पूरी नहीं की है । इस शर्त में यह भी था कि उनकी जूट फैक्टरी जो बंगाल की है वह जमानत में रखी जायगी और कुछ कायदे कानून बनेंगे जो हाई कोर्ट के जज बठ कर तय करेंगे और उस रुपये पर सूद साढ़े ४ रुपये फी सैकड़ा के हिसाब से लिया जायगा जिसे भी साहू जैन ने अब तक नहीं दिया है । इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी सफाई दे कि जो शर्तें साहू जैन के साथ रखी गयी थीं वे अब तक पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं ।

तीसरे कानपुर कि बिजली कम्पनी का कुछ जिफ है कि उसका विस्तार किया जाय । उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है । लेकिन जो रुपया इस सम्बन्ध में अनुदान के रूप में रखा है खर्च करने के लिये उसके सम्बन्ध में यह माननीय वित्त मंत्री बतलायें कि कानपुर के मिल मालिकों के ऊपर जो बिजली का बकाया ह २८-२९ लाख के करीब वह वसूल किया गया या नहीं किया गया और यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ?

मैं वित्त मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि यह बजट तो पास हो ही जायगा, क्योंकि सरकारी पक्ष सबल ह और हम लोग कमजोर ह लेकिन उनको यह जानना चाहिये कि यह जनता का पैसा है । उसका सदुपयोग होना चाहिये । माननीय वित्त मंत्री जी इसकी सफाई करें और सदन को भरोसा दिलायें कि जनता का पैसा सार्वजनिक हित में खर्च हो रहा है ।

इसमें एक मद अध्यापिकाओं के लिये गांवों में क्वार्टर्स बनाने के लिये रखी गयी है तो अभी हाल में पिंडरा में एक कन्या पाठशाला खुलवा दी है वहां भी कोई बिल्डिंग नहीं है, न क्वार्टर ह । इसलिये मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इनकी व्यवस्था कराने की की कृपा करें ।

*श्री देव नीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अधिष्ठात्री महोदया, साधारण तौर से मेरा अनुपूरक बजट पर कुछ कहने का विचार नहीं था और मैं समझता हूं थोड़े से समय में अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

जब कि मूल बजट हमारे सामने आने वाला है उस पर विचार होने वाला है तब कोई मुझे विशेष आवश्यकता इस अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में बहस में भाग लेने की न थी। परन्तु एक खास बात जो मैंने इसमें पायी वह यह कि प्रदेश की जो कुछ बिजली कम्पनियां हैं जिनकी व्यवस्था मार्टिन ऐन्ड बर्न कम्पनी करती है उसको १,००,००,००० रु० का लोन देने की व्यवस्था की गई है। उसमें से ६०,००,००० रु० इस अनुपूरक बजट में लिया गया है। जिसमें से २०,००,००० रु० यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को, १०,००,००० रु० यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद को, ६०,००,००० रु० आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, आगरा को और १०,००,००० रु० बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एन्ड पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी को दिया जा रहा है। इस तरह से १,००,००,००० रु० का लोन उन्हें देना स्वीकार किया गया है और अभी उसमें से ६०,००,००० रु० की स्वीकृति इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा मांगी जा रही है। प्रदेश में बिजली की व्यवस्था करना चूंकि आधारभूत चीज है, प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये बिजली की उपलब्धि आवश्यक है इसलिये यह विषय हमारे लिये सदा चिन्ता का विषय रहा है। मेरा खुद का अनुमान यह रहा है कि हमारा प्रदेश बिजली के मामले में पिछड़ा हुआ है और उसका विकास एक प्लान्ड तरीके से आवश्यकता के अनुसार नहीं हो रहा है। तो मैं इस वक्त उसकी कोई विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं मार्टिन ऐन्ड बर्न कम्पनी के विवरण में तो नहीं जाऊंगा परन्तु यह अवश्य सदन के सामने कहना चाहता हूं कि इधर कुछ वर्षों से इस कम्पनी की जो नीति बिजली के सम्बन्ध में रही है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। बड़े शहरों की बिजली की व्यवस्था इस कम्पनी के हाथ में है और मुझे खेद है कि इसकी नीति प्रदेश के औद्योगीकरण के विकास के लिये बाधक रही है और मुझे तो आश्चर्य है कि बराबर यह कम्पनी सरकार के नियमों, इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट और आदेशों की अवहेलना करती रही है। बहुत से हमारे माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि एक बड़े समय से इस कम्पनी ने नये कनेक्शंस देने बन्द कर दिये हैं जिससे कि करीब करीब हमारे काबाल टाउन्स के प्रमुख शहरों का विकास ही रुक गया और वह था एक ब्लैकमेलिंग का तरीका। वह गवर्नमेन्ट से चाहते थे कि एक लम्बा लोन मिले और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उस ब्लैकमेलिंग में सफलता प्राप्त हुई। मैं इसका कोई कारण नहीं समझता था। आज अगर उनकी व्यवस्था को देखें तो इधर जो उनकी नीति रही वह जनता के बराबर शोषण की रही। जो डिपोजिट था उसमें इंटरेस्ट जो जनता को देते थे उसका रेट कम कर दिया। उसके बाद लो वोल्टेज, जो कानूनन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के खिलाफ है, उन्होंने दिया जिससे जनता को काफी आर्थिक हानि होती है और तीसरे यह कि नये कनेक्शन की मद में जो रकम वह चार्ज करते हैं वह जो कि उनकी एक्चुअल लागत होती है, उससे कहीं ज्यादा होती है।

इसी तरह से हम देखें कि देहली इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी और हमारे देश की अन्य इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीज किस रेट से बिजली दे रही हैं और मार्टिन बर्न कम्पनी हमारे प्रदेश में किस रेट से बिजली दे रही है पावर के लिये और लाइट के लिये, तो मालूम होगा कि इनके इलेक्ट्रिसिटी के रेट काफी ऊंचे हैं बनिस्बत और कम्पनियों के। मैं इसका कोई कारण नहीं समझता कि जब कारपोरेशन बनने जा रहे हैं और आपके इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट को बराबर तोड़ा जाता था, सरकार के आदेश का जब वह पालन नहीं करते थे तो क्यों बिजली कम्पनी को हाथ में लेकर कारपोरेशन को नहीं दिया गया। मैं वैसे भी समझता हूं, कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक कारणों से भी, कि कोई कारण नहीं है कि बिजली का प्रबंध जो मौलिक और आधारभूत चीज है उसको क्यों हमने मार्टिन बर्न कम्पनी के हाथ में दिया। मुझे यह पता नहीं कि आया अभी तक मार्टिन बर्न कम्पनी का लाइसेंस जो खत्म हो रहा है उसको रिन्यू किया गया या नहीं और अगर रिन्यू किया गया तो किन शर्तों के साथ। मैं सरकार से सिर्फ यही चाहता हूं कि लोन उनको दिया जा रहा है, खैर दिया जाय, लेकिन उनसे जो एग्रीमेन्ट किया जाय उसके ऊपर काफी नियंत्रण रखना चाहिये और उनको देखना चाहिये कि उनकी वर्किंग जो है वह जनहित में होती है या नहीं और जहां जनहित में नहीं करती है, सरकार को, शक्ति का पूरा प्रयोग करना चाहिये

कि वह देखे कि मार्टिन बर्न कम्पनी इस प्रदेश में जो कम्पनियां चला रही हैं वह जनहित में हैं, हमारी इन्डस्ट्रीज़ के लिये शक्ति की जो आवश्यकता है उसके अनुकूल है और उससेकम रेट पर बिजली प्राप्त की जा सके। मुझे मालूम है, मैंने उनकी कम्पनियों की बैलेन्स-शीट को देखा है कि उनका फायदा बराबर बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

*वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली ज़हीर)---अधिष्ठात्री महोदया, इस वक्त जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड के ऊपर बहस हुई है, मैं यह देख रहा हूं कि अधिकतर माननीय सदस्यों की जो बहुत बड़ी संख्या एतराज़ करने वाली थी जवाब भी सुनने को तैयार नहीं हैं। इसी से जाहिर है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, बाकया यह है कि महज खानापूरी की है और अपनी उस आम खफगी का जो कि किसी सरकार की तरफ से विरोधी दल के दिल में होनी चाहिये, उस का इज़हार किया है। ४-५ मुख्य बातें हैं उन का जवाब मैं संक्षेप में दे दूंगा।

कहा गया कि जो फार्म है और जिस तरह से बजट बनता है, जो हेडिंग है वह बहुत पुराने हैं और कर्मलेखा उन्होंने उस का नाम रखा और कहा कि उनको क्यों नहीं बदला जा सकता और उन में तरमीम क्यों नहीं की जा सकती। मुझे खास तौर से इस बात का अफसोस है कि यह इजहार एक ऐसे साहब ने किया कि जो इसी सूबे में कुछ दिन पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन को तो जानना चाहिये था कि यह लेखा न हमारा बनाया हुआ है और न इसके फार्म को बदलने का हमें अधिकार है, यह एक ऐसा फार्म है कि जिसको आडिटर और कम्ट्रोलर जनरल जो कि संसद के नातहत भी नहीं हैं और एक इंडिपेंडेंट अथारिटी हैं, वह खाली इसी स्टेट के लिये नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के लिये हैं और उन्हीं के बताये हुए तरीके पर बजट बनते हैं और किसी को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह सब समझते हुये मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह के एतराज़ के क्या मानी हैं--जैसे कि हमने बजट बनाने के लिये अपना कोई नया फार्म बना लिया हो, या किसी चीज़ को छिपाने की कोई कोशिश उसमें की हो या कोई नामुनासिब तरीका अपना लिया हो। ऐसी सूरत में अगर कोई एतराज़ का मौका होता तो वह करते। हम तो जो रूल्स हैं, जो कायदे हैं जो कांस्टीट्यूशन में हैं उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।

एतराज़ किया गया कि सप्लीमेंटरी बजट इतनी देर में क्यों आया। मेरी समझ में नहीं आया, ज़ाहिर है कि सप्लीमेंटरी बजट तो आखिर में आयेगा ही। पुराना फाइनेंशियल ईयर ३० मार्च को खत्म हो गया, उसके लिये तो जितनी देर हो सकती है वह की जाती है। दिसम्बर तक मुखतलिफ विभाग अपना खर्च करते हैं बजट के हिसाब से और करोड़ों का वह मामला होता है और उसके खर्च करते वक्त थोड़ा बहुत रद्दोबदल होता ही रहता है। हमारे यहां का क़ानून है कि कोई भी रद्दोबदल किया जाय उसे लेजिस्लेचर के सामने लाना होता है। इसलिये जब दिसम्बर तक का हिसाब जनवरी में फाइनेंस विभाग को भेजते हैं कि मार्च से दिसम्बर तक जो खर्च हुआ उसमें यह तरमीम होनी चाहिये, यह खर्च कम हुआ और यह इधर से उधर हुआ तो इस तरह से वह सब हिसाब जनवरी में खत्म कर के फरवरी में पेश होता है। कोई नई बात इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अंधाधुन्ध जो कुछ एतराज़ गलत सही किये जा सके वह किये गये। कहा गया कि १८ करोड़ का इतना लम्बा चौड़ा बजट ला दिया गया। अगर गौर से देखा जाय तो इस में सबसे बड़ी रकम १२ करोड़ ४ लाख की है और वह कोई खर्च की रकम नहीं है। वह तो गल्ले को खरीदने के लिये एक रकम थी क्योंकि राशन की दुकानों की जिन की तमाम मेम्बर साहबान मांग करते हैं कि दुकानों की कमी है और खोली जायं, उनके लिये गल्ला खरीदने की ज़रूरत थी। जब हम गल्ला लायेंगे तो दाम तो ज़रूर देने पड़ेंगे और यह भी कोई खर्च नहीं है जब गल्ला बिकेगा तो उस का पैसा तो वापस आ ही जायगा। जून के महीने से गरानी शुरू हुई, तब से दुकानें बढ़नी शुरू हुईं और अनाज खरीदने की ज़रूरत हुई और आखिर में उसके लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

अगर रुपया नहीं मागेंगे बजट आपके सामने नहीं रखेंगे तो कैसे वह मीट किया जायगा। इसी तरह से बहुत सी रकमें क़र्ज़ की शक्ल में हैं और कर्जा दिया जायगा और सरकार को फिर वापस मिलेगा और उसकी वजह से कोई ऐसी मद नहीं है जिसके ऊपर गलत खर्चा हो जाय।

इसी तरह से टोकेन ग्रान्ट का मामला है। आप देखेंगे कि उस मद में खर्चा मौजूद है, लेकिन डिपार्टमेन्ट यह चाहता है कि उसको किसी और फार्म में खर्च करें। उसके लिए लेजिस्लेचर के सामने कांस्टीट्यूशन के मुताबिक आना पड़ता है। यही नहीं, पारसाल जो बजट पास हुआ था उसमें ४ करोड़ रुपया आप लोगों ने खुद पास किया है कि यह कांटिंजेंसी फंड में रखा जाय और कांटिंजेंसी के माने यह हैं कि जो पिछले साल में जरूरतें पूरी न हो सकीं उसके लिए यह रुपया रखा गया था और ऐक्चुअली उसमें से सिर्फ २०९ लाख रुपया हमने लिया है और उसके लिये यह मांग आई है कि उसमें दे दिया जाय। गुजिश्ता साल जिस रकम की मंजूरी हमने ली थी उसमें से महज़ आधा खर्च किया है और आधा अभी तक महफूज़ है। तो कोई चीज़ बेउसूली या गलत नहीं की गयी। जितना बड़ा काम होगा उसमें कुछ न कुछ तो तब्दीलियां होंगी ही। करोड़ों रुपये अगर खर्च होंगे तो नये खर्चे कुछ न कुछ किये ही जायेंगे।

हमारे एक दोस्त ने यह शिकायत की कि साहब, यह लेक हाउस क्यों खरीदा गया। पहले तो कहा गया कि ६० लाख रुपये पर खरीदा गया, बाद को बताया गया तो तसलीम किया कि ६० हजार है। लेक हाउस का किस्सा यह है कि वह हमारे जंगल के बीच में जो कानपुर के करीब है वह जगह है और वह जंगल है हमारा कोई साढ़े तीन सौ या ढाई सौ एकड़। वह प्रापर्टी एक अंग्रेज की थी और मुद्दत से चली आती है, चारों तरफ हमारा जंगल है। वह प्रापर्टी बेचना चाहता था। अगर वह बेचता तो वह ३ एकड़ जमीन चूंकि वहां पर डेवलपमेन्ट हो रहा है और कानपुर से ५-६ मील के फासले पर है तो उसकी कीमत ६०,००० से ज्यादा आ सकती थी, लेकिन हमने उसको मजबूर किया कि वह हमें बेचे। क्योंकि हमारे लिए वह जमीन और मकान जरूरी है।

(इस समय १ बजकर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

जंगल के बीच में वह है और अगर हमने वह मकान और जमीन न ली होती और दूसरों की प्रापर्टी हो जाती तो बड़ी जहमत का बायस होता। वहां लेक है जिसमें मछलियां होती हैं, उसका ठेका होता है। ५-६ हजार रुपया आमदनी जंगल को होती है। वहां एक मकान भी उस जमीन पर खड़ा हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने देखा तो महसूस किया कि इसको खरीदना निहायत मुनासिब है और किसी और को देने से मुनासिब नहीं होगा। चुनांचे हमने तय किया कि वह प्रापर्टी खरीदी जाय। उसकी मंजूरी एक साल पहले के बजट में भी हो चुकी है। सारी चीज़ नोट में लिखी हुई है। चूंकि उस साल खरीदारी नहीं हुई किसी वजह से रुपया लैप्स हो गया तो उसके लिये दोबारा हाउस की मंजूरी के लिये आना पड़ा। तो मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि जितने एतराजात किये गये हैं अगर माननीय सदस्य इसकी जहमत गवारा करते कि जो मेमोरेंडम आफ डिमांड में लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया जाय तो मालूम हो जाता कि हर एक के लिये माकूल वजह और सबब दे दिया गया है। हो सकता है कि उससे हमारे कुछ दोस्त मुत्तफिक न हों, जैसे हमारे विभव जी मुत्तफिक नहीं हैं कि मार्टिन बर्न ऐंड कम्पनी को १ करोड़ रुपया लोन दिया जा रहा है, लेकिन वह दूसरी चीज़ है। लेकिन यह कि कोई वजह नहीं दी जाती है यह सही नहीं है।

इसी तरह से फारेस्ट के ऊपर यह एतराज किया गया कि आदमी क्यों रखा गया डाक लाने के लिये? चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट नैनीताल में बैठा रहे तो काम कैसे चलेगा? तो काम कैसे चले? होता यह था कि हर चीज़ में हमारे यहां देर होती थी। इस वजह से यह जरूरत हुई कि कम से कम जाड़ों में वे यहीं रहें जिस जमाने में लेजिस्लेचर वगैरह मीट करता है, लखनऊ में बहुत काम रहता है इसलिये कैम्प आफिस उनका यहां रहे। वहां से हेडक्वार्टर हटाने के लिये हमारे पहाड़ के दोस्त किसी तरह से राजी नहीं होते। सिर्फ एक आफिस नैनीताल

से हटा कर मैंने देहरादून भेज दिया क्योंकि तमाम टेहरी-गढ़वाल का काम वहां से आसानी से हो सकता है। उस पर भी एतराज हो रहा है। तो पूरा आफिस तो मैंने डर की वजह से हटाया नहीं। कहा जाता है कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट को एक बैरिस्टर को क्यों दे दिया। इस हिसाब से तो मैं समझता हूं कि किसी जंगली को जंगल का विभाग देना चाहिये लेकिन बदकिस्मती से कोई जंगली इधर है नहीं। तो जब इस किस्म के ऐतराजात हाउस में होंगे तो जाहिर है कि कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस होती कि हम किस बात पर एतराज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, महज कहने से मकसद है, सच्ची, झूठी, गलत, जो भी बात हो कह दी जाय और गवर्नमेन्ट के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---एक लफ्ज आपने "झूठा" इस्तेमाल किया है इसे कृपा कर वापस ले लें।

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, मैंने कहा था "झूठी बात"।

श्री उपाध्यक्ष---आपने 'झूठी' लफ्ज का इस्तेमाल किया.....

श्री सैयद अली जहीर---अगर मैंने किया हो तो वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---चार, पांच ऐसे अनुदान हैं जिन पर कटौती के प्रस्ताव हैं।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रीमन्, यह तय हुआ था कि जिन पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है पहले उनको आप ले लें फिर कटौती वालों पर बहस होगी।

१९५८-५९ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---

अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक ४---कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १---कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय---लेखा शीर्षक ४---निगम कर तथा सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत ८८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १---कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय---लेखा शीर्षक ४---निगम कर तथा सम्पत्ति शुल्क को छोड़ पर आय पर दूसर कर के अन्तर्गत ८८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---भू-राजस्व (मालगुजारी)

श्री बलदेवसिंह आर्य---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प के अन्तर्गत ९०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प के अन्तर्गत ९०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत १७,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत १७,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन-लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ५,४६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान [संख्या १५--न्याय प्रशासन--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ५,४६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियां

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १२,०९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १२,०९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्य १७---पुलिस---लेखा शीर्षक २९---पुलिस के अन्तर्गत ११,५८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---पुलिस---लेखा शीर्षक २९---पुलिस के अन्तर्गत ११,५८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८---लेखा शीर्षक ३७---शिक्षा

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८---शिक्षा---लेखा शीर्षक ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १५,८४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८---शिक्षा---लेखा शीर्षक ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १५,८४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९---चिकित्सा-लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा के अन्तर्गत १,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९---चिकित्सा---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा के अन्तर्गत १,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं के अन्तर्गत ६४,०६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं के अन्तर्गत ६४,०६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४७—श्रम

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—श्रम—लेखा शीर्षक ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—श्रम—लेखा शीर्षक ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—परिवहन विभाग तथा ४४—उड्डयन

श्री बलदेवसिंह आर्य—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग-लेखा शीर्षक:४७—प्रकीर्ण विभाग तथा ४४—उड्डयन के अन्तर्गत ६६,४८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--परिवहन विभाग--लेखा शीर्षक ४७--प्रकीर्ण विभाग तथा ४४--उड्डयन क अन्तर्गत ६६,४८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ५,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ५,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२--यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ५,३०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ५,३०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य

श्री रामस्वरूप यादव--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें

श्री रामस्वरूप यादव--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

श्री रामस्वरूप यादव--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--बुढ़ौती भत्ते तथा पेंशनें--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत १,४१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--बुढ़ौती भत्ते तथा पेंशनें--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत १,४१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना

श्री रामस्वरूप यादव--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--लेखन-सामग्री और छपाई--लेखा शीर्षक ५६--लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत २,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८--लेखन-सामग्री और छपाई--लेखा शीर्षक ५६--लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत २,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण व्यय

श्री रामस्वरूप यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--प्रकीर्ण व्यय--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--प्रकीर्ण व्यय-लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--समाज कल्याण

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--समाज कल्याण--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--समाज कल्याण--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

श्री बलदेव सिंह आर्य---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय--लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के अन्तर्गत ७,५६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत ७,५६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, आदि के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, आदि के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध, और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)--लेखा शीर्षक ८१-क--के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)--लेखा शीर्षक ८१-क--के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक ८२---कृषि अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री बलदेवसिंह आर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९---कृषि अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत---लेखा शीर्षक ८२---राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,१०,४३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---कृषि अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत---लेखा शीर्षक ८२---राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,१०,४३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२---लेखा शीर्षक---त---व्याज वाले ऋण तथा अग्र-ऋण

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२---व्याज वाले ऋण तथा अग्र-ऋण---लेखा शीर्षक त---राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण के अन्तर्गत १,३८,५९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२---व्याज वाले ऋण तथा अग्र-ऋण---लेखा शीर्षक त---राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण के अन्तर्गत १,३८,५९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन

श्री उपाध्यक्ष---अब मद संख्या ४ पर विवाद शुरू होगा । ५ आइटम्स ऐसे हैं जिन पर माननीय सदस्य विवाद चाहते हैं और मैं समझता हूं कि ढाई घंटे का समय भी है, पौने ५ बजे तक का समय है । ऐसी सूरत में अगर आप लोग चाहें कि कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय हर आदमी के लिये तो मैं ऐसे प्रस्ताव का स्वागत करूंगा ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, बोलने वाले कम ही मालूम होते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि जो लोग बोलने वाले हैं उनको समय मिलना चाहिये । मेरी राय यह है कि समय का बंधन न किया जाय, माननीय सदस्य जितना समय लेना चाहें लें और वे इस बात का भी ध्यान रखें कि कितना समय है ।

***श्री सैयद अली जहीर**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---वन---लेखा शीर्षक १०---वन के अन्तर्गत १७,५०,५०० रु० की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सैयद अली जहीर]

जैसा कि इसके साथ एक सूचना का वाल्यूम है उसमें इसके मुतालिक लिखा हुआ है कि उसमें से एक रकम ११,७५,७०० रु० की है मगर हम इसके सिलसिले में सिर्फ १०० रु० मांग रहे हैं। उसके लिये यह वजह है कि चूंकि जो अखराजात हैं जिसमें बहुत से प्लान के हैं और बहुत से आर्डिनरी डेवलपमेन्ट्स के हैं उनमें एक दूसरे में कुछ तब्दीलियां होनी है लिहाजा इसकी जरूरत पड़ी कि लेजिस्लेचर के सामने इसको लाया जाय और उससे इसकी मांग पूरी की जाय। इसमें सबसे बड़ी रकम जो है ६०,००० रुपये की वह कानपुर में एक एलेन स्टेट की खरीदारी के लिये है। जैसा कि मैंने जनरल डिबेट के जवाब में बताया था कि ये मिस्टर एलेन ने एक जमाना हुआ कानपुर में एक बहुत उम्दा फारेस्ट लगाया था और वह इसलिये लगाया कि गंगा की वजह से वहां जमीन कट रही थी उसको बचाने के लिये। चुनांचे उन्होंने जो फारेस्ट लगाया उसके एवज में उन्होंने कोई कीमत नहीं ली लेकिन उन्होंने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की उसके एजव में उन्होंने सिर्फ एक कोठी की जगह ली और फारेस्ट के बीच में उन्होंने कोठी बनवाई, तीन एकड़ जमीन पर और वह जमीन उनको फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दे दी गयी थी। वह फारेस्ट है कोई ३००, ३५० एकड़ का। सवाल यह हुआ कि इसको क्या किया जाय। जब उनको जमीन दिये जाने का मुआहिदा हुआ था तो पहली शर्त यह थी कि अगर कभी वह मकान और जमीन बेचेंगे तो पहला आप्शन गवर्नमेंट को होगा और अगर गवर्नमेंट न खरीदे तो वह चाहे जिसे बेच सकते हैं। हमारे लिये यह सरल था कि हम न खरीदते लेकिन उसकी वजह से दूसरे शख्स की प्रापर्टी फारेस्ट के बीच में आ जाती और हमको रास्ता देना पड़ता। दूसरी बात यह है कि हम कानपुर में अपना विभाग भी बढ़ा रहे हैं और हमने एक ट्रेड सेंटर भी वहां कायम किया है। यह कानपुर से सिर्फ ५, ६ मील के ही फासले पर है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं। यह आइटम पहले लेजिस्लेचर से सन् १९५५-५६ में स्वीकार हो चुकी है, लेकिन चूंकि उस वक्त बातचीत खत्म नहीं हो पायी थी इसलिये उस साल खरीद नहीं हो सकी थी। अब बातचीत हो गयी है और हम खरीदने जा रहे हैं। उसके लिये ६०,००० रुपया मांगा गया है।

इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के हेड में कुछ सप्लीमेंटरी डिमांड ५ लाख १० हजार रुपये की हैं चूंकि विभाग का काम बढ़ा है और हमारे कुछ अफसर गवर्नमेंट आफ इंडिया में ट्रेनिंग के लिये गये हुए हैं। और भी वजूहात हैं, इसलिये इतना खर्चा हो रहा है।

डेवलपमेंटल स्कीम्स के लिये आप देखेंगे प्रिजर्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ जिसे हमने फिर से आर्गानाइज किया है, मुमकिन है उस पर कुछ एक्सट्रा खर्च हो जाय। लेकिन इसके लिये हम सिर्फ १०० रुपये की टोकिन ग्रान्ट मांग रहे हैं और जो कुछ खर्चा होगा वह उसकी मद से खर्च किया जायगा जो कि लेजिस्लेचर से मंजूर हो चुकी है।

इसी तरह से ४,६०० रुपये की रकम है। चीफ कंजर्वेटर जो लखनऊ में रहते हैं और उनका हेड आफिस नैनीताल में है उनके यहां की डाक लेजाने-लाने के लिये जरूरत होती है। यह तय किया गया है कि ६ महीने वह यहां रहें और ६ महीने नैनीताल में। यहां सेशन वगैरह होते हैं और गवर्नमेंट की सीट होने से उनसे वक्तन-फवक्तन बातचीत करने की जरूरत होती है। हम उनका आफिस नैनीताल से मुस्तकिल तौर से भी नहीं हटाना चाहते हैं चूंकि हमको नैनीताल की भी फिक्र है। यहां पहले से एक फारेस्ट-रेस्ट हाउस बना हुआ था, उसमें कुछ इमारत बनाकर उनका कैम्प आफिस बनाने का इरादा है। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है कि वन नीति का विरोध किया जाय और वन उपज की कीमतों की वृद्धि करने की नीति का विरोध करना।

श्रीमन्, अगर मैंने अभी ठीक सुना तो मंत्री जी की वन के बारे में वहां के लोगों से भी ज्यादा जानकारी मालूम होती है, ऐसा उनकी बातों से जाहिर हुआ। उन्होंने कहा कि संरक्षण और निर्माण-कार्य की सबसे बड़ी मद है ११ लाख रुपये की लेकिन वह सिर्फ १०० रुपये मांग रहे हैं। मैं इस बात को कहने को बड़ी जुर्रत से कहूंगा, करता हूं कि मंत्री जी को बजट पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है। दो लाइन का छपा हुआ बजट पढ़ने की उनको फुर्सत नहीं है, तो वह वन विभाग का इन्तजाम कैसे कर सकते हैं? लखनऊ के तकल्लुफ व नाजोअदा में पले हैं न? सही है वे बड़े ऊंचे बैरिस्टर हैं, बड़े काबिल हैं मगर वन की बातें वे क्या जानें?

श्री उपाध्यक्ष--मैं आप को मंत्री जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--मैं उसे छोड़ता हूं। जिनको यह पता नहीं है कि कौन सी ग्रान्ट मूव कर रहे हैं, कितने रुपये की होगी, तो उसकी डिटेल्स उन्होंने क्या पढ़ी होंगी।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह फर्ज नहीं है कि जो चीजें माननीय सदस्यों को सप्लाई कर दी गयी हैं और जिनको वे खुद पढ़ चुके होंगे मैं उन्हें यहां पढ़कर सुनाऊं। दो चार खास बातें मैंने बतला दी हैं।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--छोटे लोग पढ़ते हैं, बड़े लोगों को कहां फुर्सत है कि वे लाख या हजार की बात पढ़ें? इस राज्य के क्या कहने यहां तो टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, यह कहावत चरितार्थ होती है। मैं समझता हूं कि यह देखने की आवश्यकता है कि वनों की उपज क्या-क्या निकलती है। मंत्री जी इधर वालों की बात न भी मानें तो अपने पीछे बैठे हुए १२ एम० एल० एज० और तीन एम० एल० सीज० ने जो पहाड़ के चार जिलों से आते हैं उन्होंने जो लिख कर दिया है उसे ही मानने की कृपा करें। चाहें तो मंत्री जी उनसे प्राइवेटली पूछ लें या ओपेन हाउस में पूछ लें। उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। वह मुख्य मंत्री जी को लिखा गया था। उस पर्वतीय प्रदेश के लोगों को जहां बर्फ पड़ती है, शीत रहता है और अब तो जलजले भी आ रहे हैं, और आधी रात घर से निकल कर लोगों को बाहर पड़े रहना पड़ता है, वहां लकड़ी जैसी चीज जो उनके जीवन-मरण का प्रश्न है, उनको मंहगी कर दी गयी है। कोयले के दाम एक दम बढ़ा दिये गये हैं।

श्री सैयद अली जहीर--किस आइटम से ताल्लुक है?

श्री गोविंद सिंह विष्ट--वन की उपज से है। मैंने कटौती में भी कहा है कि वन की उपज की क़ीमतों के बढ़ाने का विरोध करना है। वन की उपज सिनेमा फिल्म तो नहीं होती है कि जिसमें सुरैया का गाना हो बल्कि वह तो लकड़ी, कोयला, लीसा वगैरह है। ११ लाख ७५ हजार ७०० रुपया वह मांग रहे हैं। दोनों तरफ के लोगों ने मंत्री जी की सेवा में यहां भी रखा और जब वह दौरे पर गये हुये थे तब भी कोयले का दाम बढ़ा कर ४.४० रुपया कर दिया गया है। इसकी पुष्टि में कहा जाता है कि नजदीक के जंगल कट जाने से दूर से कोयला लाया जाता है यह लंगड़ी दलील है। मगर अल्मोड़े में इस साल भी पुरानी जगहों से ज्यादातर कोयला आया। दूसरी तरफ स्टार पेपर मिल को २ लाख क्यूबिक फीट लकड़ी १ आने क्यूबिक फीट के हिसाब से दी जाती है १,२५० रुपये में और पहाड़ के लोगों को जो जंगलों के नजदीक रहते हैं, वही चीड़ की लकड़ी १ रुपया और सवा रुपया मन दी जाती है। कहा जाता है कि मिल को एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर दी जा रही है। बिजली भी उसे अभी दी गई है सस्ते दाम पर। इतनी ज्यादा लकड़ी मिल को दी जा रही है। पहाड़ के २२ लाख गरीब निवासियों को लकड़ी के बिना परेशान करना कहां तक मुनासिब है?

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

गांवों के निकट के पेड़ों को स्टार पेपर मिल को सरकार पेड़ कटा कटा कर देती जाती है और उस पर बहाना यह है कि टेढ़े-मेढ़े, पेचदार पेड़ उनको दिये जा रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि यह मेरी आंखों देखी बात है कि उनको ऐसे पेड़ दिये जाते हैं जिनसे घरों की चौखट आदि बन सकती हैं और यह पेड़ उनको दिये जाते हैं एक आना फी क्यूबिक फुट के हिसाब से।

अब तो सरकार ने सिद्धांत ही बदल दिया है। पहले तो सरकार कोयले का दाम निर्धारित करती थी और निर्धारित रायल्टी के टेंडर मांगती थी, लेकिन अब सप्लाई के लिये सरकार टेंडर मांगती है और रायल्टी ऊपर से फिक्स की जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरी गलती सरकार ने यह की कि अल्मोड़ा और रानीखेत में जो कोयला बनता है उसकी नजदीक से सप्लाई नहीं की जाती है। तीसरी गलती यह की कि टेंडर जो मांगे गये उसका विज्ञापन नहीं किया गया। उस टेंडर में जो शर्तें थीं उनको नहीं माना गया। उस ऐग्रीमेंट में सातवीं शर्त यह थी कि अल्मोड़े में अक्तूबर, १९५८ तक ५०० मन तक कोयला आयेगा और एक नवम्बर को एक-एक हजार मन कोयला तीनों टालों में रिजर्व रखना होगा। लेकिन ये शर्तें पूरी नहीं की गयीं। यहां तक कि २९ नवम्बर से १२ दिसम्बर तक एक टुकड़ा भी कोयला नहीं था जबकि चारों ओर बर्फ पड़ रही थी। उसका कारण क्या था? मुख्य अरण्यपाल को आप यहां रक्खे हुए हैं, क्योंकि वह आपको बजट में सहायता देते हैं। अल्मोड़ा में डी०एफ०ओ० के दफ्तर से कोयला बनाने सम्बन्धी काग़ज़ात आधे अगस्त में ही नैनीताल अरण्यपाल के पास चले गये थे लेकिन ३०-४० मील की दूरी पर से वे काग़ज़ात डेढ़ दो महीने तक भी नहीं लौटे और कोयला बनाने का परमिट जंगलात विभाग से इश्यू नहीं हुआ। लोगों को कतई कोयला नहीं मिला और लोग जाड़े में ठिठुरते रहे। बिहार का पत्थर का कोयला तो वहां पर ४.८० रुपया प्रतिमन बिकता है और वहीं का कोयला ४.४८ रुपया मन बिकता है। जब डी० एफ० ओ० को टैकल किया गया तो कहते हैं कि यह तो पालिसी मैटर है जो उच्च स्तर पर तय होता है। कोयला पहले साढ़े तीन रुपया मन था फिर ४ हुआ और अब सरकार ने उसको ४.४० रुपया मन कर दिया है।

जहां तक लीसे का सवाल है, लीसा वहां की मुख्य उपज है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोआपरेटिव को तरजीह दी जायगी। दूसरी ओर टेहरी-गढ़वाल में कोआपरेटिव सोसाइटी को उस वक्त तक लीसा नहीं दिया गया। इसी प्रकार कोटद्वार की कोआपरेटिव सोसाइटी को बहुत ही कम लीसा दिया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ ए०जी० उत्तर प्रदेश आडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि एक प्राइवेट कम्पनी को २८,२२७ मन लीसा सस्ते भाव पर दे दिया गया जिसमें गवर्नमेन्ट को ६१ हजार रुपये का नुकसान हुआ। इसी प्रकार से खैर और कत्थे में भी सरकार ने कितना ही नुकसान सहा। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने ३०,४२,०२२ रुपये का घाटा सह कर खैर के बड़े-बड़े पेड़ मिल मालिकों को दे दिये और बहुत सस्ते में दे दिये। नीलाम की दर पर इन पेड़ों के रेट्स १३४ रु०, १४३ रु०, १०२ रुपया, १०८ रुपया, १४० रुपया ५०-५१ से सन् ५६ तक रहे। लेकिन उनको ७२ रु० फी पेड़, ९० रु० फी पेड़ और ९५ रु० फी पेड़ की दर से दिये गये और इस तरह से करीब साढ़े ३० लाख से ज्यादा रु० की लखपतियों और करोड़पतियों को सरकार ने मदद दी है। इसके अलावा दूसरे दो डिवीजन हैं जिनमें १०,००० खैर के पेड़ हैं। ए० जी० ने सरकार से उसका हिसाब मांगा है लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की दुहाई देने वाली इस सरकार ने बावजूद ए० जी० के हिसाब मांगने के आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। इतना ही श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने ३-९-५७ को इस सदन में जवाब दिया था कि--"हलद्वानी डिवीजन में ४,५०३ पेड़ थे खैर के जो १३२ रु०४ आना फी पेड़ के हिसाब से कृष्णा कत्था फैक्टरी को बेच दिये गये। जबकि नीलाम की दर २४३ रु० १५ आ० फी पेड़ थी"। आखिर यह ५ लाख रुपये की रियायत सेठ लोगों को क्यों दी गयी? कहा गया है कि इसे इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना समझा जायगा। प्रोत्साहन देने की बात लखपतियों और करोड़पतियों के लिये कही गयी है और की गयी है। लेकिन वे गरीब बेचारे जो अपनी जरूरत के लिये ईंधन के लिये लकड़ी तक नहीं खरीद सकते हैं उनको तो १ रु० और सवा

रुपये मन तक दी जाय और इनको १ आना घनफुट याने २ आने मन के हिसाब से दी जाय यह कैसी बात है, मसल है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं।

इसके अलावा अरण्य-संरक्षण के लिये जो मांग की गयी है, वह मूल बजट में तो २,५७,२०० रु० है जबकि पूरक बजट में १,३९,८०० रु० की मांग की गयी है। श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि पूरक बजट मूल बजट के ५० प्रतिशत से भी एक्सीड कर जाय। यानी जितनी मांग पहले थी उसके आधा से ज्यादा और मांग रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब बजट बनता है उस समय ये क्या करते रहते हैं। कोई नयी योजना भी नहीं है जिसके लिये यह रुपया मांगा जा रहा है। अगर आप उस आइटम को देखें तो उसमें कहा गया है कि यह पुरानी योजना थी जिसमें अरण्य के लिये गेम वार्डेन के रखने की बात थी और उसी के लिये आज रुपया मांगा जा रहा है। यानी यह बात पहले भी आ चुकी है, सन् ५६ से यह बात चल रही है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आपका बजट इतना गलत कैसे बनता है कि ५० प्रतिशत से ज्यादा की मांग पूरक बजट के द्वारा करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर कोई नयी स्कीम होती, कहीं पानी भर जाता, कहीं जलजला आ जाता और उसके लिये रुपया मांगा जाता तो बात समझ में आ भी सकती थी लेकिन जब पुरानी स्कीम ही चल रही है और एकाएक इस तरह से मांग की जाती है तो यह बात मेरे या किसी के समझ में आने वाली नहीं है। श्रीमन्, यह फरवरी का महीना चल रहा है और ३१ मार्च तक उस रुपये को खर्च हो जाना है। श्रीमन्, मैं आपको इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दूं कि हमारे यहां कफड़खान धौलछिना-सेराघाट मोटर सड़क बनाने की बात थी जिसकी तरफ मैंने कई बार तवज्जह दिलायी थी, आज तक उस पर कोई काम ही नहीं लगा। अब फरवरी का महीना आ गया है और ३१ मार्च तक ही उसे खर्च होना है तो फिर काम ठीक कैसे पूरा हो सकता है। सड़कों के सम्बन्ध में एक उदाहरण और दूं कि लास्ट ईयर हमारे यहां दोड़म—सुवरवान एक सड़क बननी थी जिसके लिये जल्दी-जल्दी रुपया दिया गया और उसे खत्म करने की कोशिश की गयी वह सड़क बहुत खराब बनी। इस पर बाद को कहा गया कि सड़क ठीक नहीं बनी। अब उस पर ८ हजार रुपया फिर खर्च किया जाने वाला है। मैंने खुद कहा कि खराब काम के लिये पेमेंट मत करो लेकिन कौन सुनने वाला है। उनको क्या मतलब है कि यह रुपया किसी करदाता के खून की कमाई है? इस विभाग का ३१ मार्च को खर्चा बहुत ही बढ़ जाता है, इसे आप किसी डी०एफ०ओ० के दफ्तर में जाकर देखिये कि रुपया कैसे बहाया जाता है।

न जाने कितने टेलीफोन काल्स आते हैं कि इतना रुपया शेष है इसमें चटाई खरीदो या फर्नीचर। ऐसे बिल पास हो जाते हैं लेकिन चटाई कई महीनों तक आती नहीं। १९५७ में पिथौरागढ़ में सेनिटरी फिटिंग्स करने के लिये पेमेन्ट कर दिया गया लेकिन सेनिटरी फिटिंग्स हुई नहीं। ८ हजार के फर्नीचर के लिये आर्डर्स दिये गये, बिल पास हो गया लेकिन फर्नीचर अभी तक नहीं आया। जंगल में तार बाड़ को हाता लगाये जाते हैं। पहले डी०एफ०ओ० खुद तार ले लिया करते थे लेकिन नये कंजरवेटर जैन साहब ने कहा कि तुम मत खरीदो हम सस्ता खरीद देंगे। उनके द्वारा करीब ८० हजार के बिल का पेमेन्ट तक हो गया लेकिन आज तक तार बाड़ दो साल हो गये पूरा नहीं हो पाया। मंत्री जी के ध्यान में यह बातें मैं लाता हूं लेकिन वे ध्यान नहीं देते। मैं २२ लाख पहाड़ की जनता और ६ करोड़ इस प्रदेश की जनता के नाम पर कहना चाहता हूं कि गरीबों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ मत करो। जनतंत्र कोई चीज है तो इधर के बैठने वाले प्रतिनिधियों के साथ नहीं तो उधर के बैठने वाले प्रतिनिधियों की बात को मानिये। वन संरक्षण और प्लान्टेशन के नाम पर गांव वालों को इस कदर परेशान किया जा रहा ह, उनके मवेशी जहां चरते थे, जहां पानी पीते थे उन सब दरवाजों को बन्द कर दिया गया। बितई और फालसिमा तथा शहरफाटक के नजदीक तार बड़ा कर दी गयी ताकि मवेशियों को पानी न मिल सके, न उनके लिये चरने की जगह रह जाय। दूसरी ओर गरीबों की दुहाई दी जाती है। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

हमारे यहां की जनता इन्तहाई तबाही पर पहुंच गयी है लेकिन हम लोग शोर करते ही रह गये। हर बार हमने मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वन मंत्री को लिखते है तो जवाब नहीं मिलता। चीफ मिनिस्टर से कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। मकान बगैर छत छाये पड़े हुए हैं। शोर किया तो हमसे कहा ठीक हो जायगा। स्लीपर्स भेज दिये गये जिनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता और वैसे ही वे पड़े रहे और रेट भी बहुत हाई किये गये हैं। मंत्री जी को मेरी बातें कड़ुवी जरूर लगेंगी। मैं लखनऊ का रहने वाला नहीं हूं और यहां के नाज व नखरे जानता नहीं हूं। लेकिन गरीबों की तकलीफ इस वक्त न कहूं तो किस वक्त कहूं। गरीबों, देश व दरिद्रनारायण के नाम पर, जिनके लिये गांधी जी ने सारा जीवन लगा दिया, उनकी तरफ तवज्जह दे कर माननीय मंत्री उनकी दिक्कते हालत को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—एक जनरल भाषण हो चुका है। जितना कम समय अब आप लोग ले सकें उतना ही ठीक होगा और कटमोशन के विषय पर ही बोलें।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मैं माननीय गोविन्दसिंह विष्ट के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इससे पहले कि मैं प्रस्ताव पर बोलूं मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के द्वारा रुपया मांगना इस बात का द्योतक है कि बजट सावधानी से नहीं बनाया जाता है और बजट बनाने से पहले एक्नामिक कमेटी तथा फाइनेंस कमेटी की राय पर कार्य नहीं किया जाता है। इसी का नतीजा है कि कल हम जनरल बजट पर डिसकशन करने जा रहे हैं और आज सप्लीमेंटरी डिमांड्स की स्वीकृति के लिये हमसे कहा जा रहा है और इसके जरिये वन विभाग के मातहत १७,५०,५०० रुपये की धनराशि सामान्य संचालन, संरक्षण और निर्माण कार्य, स्थापना और विकास योजनाओं के लिये मांगी जा रही है।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम मुख्य अरण्यपाल के दफ्तर को लखनऊ लाना चाहते थे लेकिन हमको नैनीताल का भी खयाल है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जैसा लिखा हुआ है कि रिआर्गेनाइजेशन स्कीम के कारण वह कैम्प कार्यालय लखनऊ लाया गया था इसलिये उसमें खर्च होने की आवश्यकता है, उस पर किया गया। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रिआर्गेनाइजेशन स्कीम खत्म हो गई है तमाम फाइलें फिर सेक्रेटेरियट में वापस आने लग गई हैं। तो क्या मैं मंत्री जी से इस्तेदुआ कर सकता हूं कि जो कैम्प आफिस यहां बना हुआ है उसको समाप्त किया जाय। मैंने दिसम्बर में एक सवाल किया था कि मुख्य अरण्यपाल का जो कैम्प कार्यालय लखनऊ में है उस पर कितना खर्चा हुआ तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो कौन-सा जवाब सही मानूं? सन् १९२३ में यह सवाल आया था कि मुख्य अरण्यपाल का दफ्तर कहां रहे तो उस समय भी फारेस्ट बोर्ड ने कहा कि नैनीताल में ही वह दफ्तर रहे और कहीं नहीं जाना चाहिये। आज सदन में मंत्री जी तस्लीम करते हैं कि ६० फीसदी जंगल पहाड़ों में लगेंगे, लेकिन मुख्य अरण्यपाल को लखनऊ में रखेंगे। मैं मानता हूं कि अपोजीशन की बात नहीं मानते तो कम से कम आपकी तरफ जो १५ एम० एल० ए० और एम० एल० सी० हैं अगर वह कोई गलत बात कहते हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये पार्टी द्वारा नहीं तो जो मेमोरेंडम उन्होंने पेश किया है और उसमें कही गई बातें सही हैं तो उनको तो मानना ही चाहिये, हमारी बात चाहे आप मानें या न मानें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप अपने साथियों की बात भी नहीं सुनते।

इसके अलावा वर्किंग प्लान की बात कही गई। फारेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि प्लान ऐसा बनना चाहिये जिससे जनता को लाभ हो। मान्यवर, जंगल मानव के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, मानव जंगलों के लिये नहीं हैं। आज कुमायूं की २२ लाख जनता चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि हमारे प्रतिनिधियों के साथ मंत्री जी बैठें और बातें सुनें। मैं कहता हूं कि आज से ५ साल पहले जनता की वन विभाग में जो आस्था थी वह अब नहीं है। इसलिये मैं फिर कहता हूं कि वन विभाग की स्टैंडिंग कमेटी और कुमायूं फौरेस्ट कमेटी के मेम्बरों की बातें सुनें। क्या मैं पूछ सकता हूं मंत्री जी ने कभी इस बात की तकलीफ की? हां, एक दफा नैनीताल में इसी सिलसिले में कोयला और लकड़ी के संबंध में बातचीत हुई, आपने अपने घर पर लोगों को दावत दी, बातें हुईं, इस सदन के सदस्य भी मौजूद थे, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन उस कमटी की प्रोसीडिंग्स पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं पूछता हूं कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है? हम असेम्बली में कहे जायं और आप उनको न मानें? क्यों आप कमेटीज बुलाते हैं और उनकी बातों पर कार्यवाही नहीं की जाती? आखिर पब्लिक ऐक्सचेकर पर भार पड़ता है, हम अपने सुझाव देते हैं और आप के कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं आपसे यह चाहता हूं, मैं आपसे इस्तदुआ करता हूं कि आपने अपने यहां कमेटी बुलाई, जन प्रतिनिधियों को बुलाया जिनसे मीठी-मीठी बातें कीं, उनके फैसलों पर अमल करने की कृपा करें। अरण्यपाल को हुक्म दें कि उन प्रोसीडिंग्स को कार्य-रूप में परिणत करे। यह भी कहा गया कि ६० हजार रुपये का मकान खरीद रहे हैं, इसलिये चाहते हैं कि उसके चारों तरफ रिजर्व फारेस्ट है अगर दूसरा आदमी खरीद लेगा तो नुक्सान होगा। क्या उत्तर प्रदेश में फारेस्ट ऐक्ट लागू नहीं है? रिजर्व फारेस्ट में लोगों के राइट्स भी हैं, फारेस्ट ऐक्ट भी लागू होता है। जो दर्द हमको है माननीय मंत्री जी को नहीं है इसलिये आपको हंसी आ रही है। सुझाव देना हमारा काम है, आप मानें या न मानें।

मान्यवर, यह जो ग्रांट हमसे ली जा रही है १७ लाख ५० हजार रुपये की, तो अगर गौर से ध्यान दिया जाय तो यह हमें लेखा परीक्षा, आडिट रिपोर्ट बतायेगी कि २ लाख ६७ हजार ६७३ रुपया बट्टे खाते में डाला गया। दो लाख अगर यही कम होता तो मंत्री जी को कहने को होता कि इतना रुपया मेहनत के साथ उन्होंने बचाया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के लिये एक हाई पावर कमेटी की स्थापना होनी चाहिये, हाई पावर २०-२५ आदमियों की नहीं, बल्कि वहां के नुमाइंदों को, हमें नहीं तो कांग्रेस के एम० एल० एज० को लीजिये। आज फारेस्ट डिपार्टमेंट का सारे उत्तर प्रदेश में रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये। आप पहाड़ों में जंगल बढ़ाते जाते हैं लेकिन मैदान में कोई प्लांटेशन नहीं हो रहा है। पहाड़ पर जंगल हैं वहां तो खूब प्लांटेशन हो रहा है, जहां पर चारे की जरूरत है, वहां पर भी हो रहा है। मान्यवर, यह कब तक चलेगा? विकास की बात कही जाती है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विकास में प्रिंसिपल आफ प्रायरटी को ताक में रख दिया जाता है? फारेस्ट डिपार्टमेंट में यही हुआ है। वहां की जनता को कोयला सवा तीन रुपया मन मिलता था, आज सवा रुपया बढ़ा दिया है। नैनीताल, रानीखेत, अलमोड़ा और गढ़वाल की जो जनता है उसके लिये कोयला लक्जरी नहीं, आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है। एक कुली, पी० डब्लू० डी० का कुली जिसको कि कांग्रेस के राज्य में १२ साल की आजादी के बाद साढ़े तैंतीस रुपया तनख्वाह मिलती है, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह सवा चार और पांच रुपया मन कोयला खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, लेकिन मंत्री जी तो हंसते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप इस विषय को व्यापक बना रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---मुझे आखिरी बात जो कहनी है वह यह है कि विभाग ने एक जी० ओ० भेजा है कि ६ फिट से लम्बी बल्ली जो होती है उसे नहीं दिया जायगा। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मकान इतने ही बड़े होते हैं? १९२३ से लगातार फ्री मारकेट में वहां पर टिम्बर बिकता था लेकिन आज वह नहीं बेचा जायगा। यह आखिर क्या है? फिर अन्त में दोहराते हुये समाप्त करता हूं कि आज केवल कुमायूं, नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता ही

[श्री प्रताप सिंह]

नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सारी जनता फारेस्ट डिपार्टमेंट से नाराज है उसकी नाराजगी को दूर करना मंत्री जी का कर्त्तव्य है।

आखिरी बात जो कहनी है वह यह है कि कैम्प आफिस जिसके लिये रुपया मांग रहे हैं खुदा के नाम पर उसे वापस कीजिये। रिआर्गेनाइजेशन स्कीम खत्म हो गई। आज गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। क्या कारण था कि पांच साल पहले फारेस्ट में श्रीमन्, जरा सी आग लग जाती थी तो लोग कहते थे कि पहले आग बुझा दें, लेकिन आज रेंजर, फारेस्ट गार्ड खुशामद करते हैं लेकिन कहा जाता है कि अली जहीर साहब से कहो, लखनऊ जाओ। क्या कारण है? आपके विभाग के जो कर्मचारी हैं जनता उनसे नाराज है क्योंकि वह जनता की मांगों को नहीं सुनना चाहते हैं इसलिये इस ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना है। अन्त में मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि आप नाराजगी को जो उधर के लोगों की है उसको दूर करें और वहां की जनता का कल्याण करें।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोबिन्द सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस के विषय में उन्होंने लिखा है कि उनका उद्देश्य है वन नीति का विरोध करना। जहां तक सरकार की वन नीति का संबंध है वह फाइनेंस विभाग में डिफाइंड है और उसका आर्टिकिल ११० में जिक्र है। जब अंग्रेजी राज्य था उसी समय की वन नीति बराबर चली आ रही है और उसी नीति को हमारे राष्ट्रपति ने दोहराया है और उसमें कोई संशोधन आजादी आने के बाद नहीं हुआ है। उस में साफ-साफ लिखा है कि जो इलाके जंगलों की आबादी में हैं और जंगलों से लगे हैं उन्हें जंगलों की पूरी सुविधा मिलनी चाहिये। इस बात का कतई ख्याल नहीं होना चाहिये कि जंगलों से सरकारी रेवेन्यू घट रही है या बढ़ रही है बल्कि यदि उसे घाटा भी हो तब भी उन इलाकों के लोगों को वह सुविधायें मिलती रहनी चाहियें ताकि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

विरोधी पक्ष की तरफ से जो शिकायतें हुई हैं उन में से काफी शिकायतें मेरे खयाल से सही हैं। हमारे कुमायूं के जो पर्वतीय जिले हैं उन का जंगलों से ऐसा ताल्लुक है जैसा आदमी की जिन्दगी के लिये हवा और पानी का होता है। जंगलों से जो सुविधायें उन को पहले से मिली हुई हैं उन में कोई भी हस्तक्षेप होता है तो मानों वह पहाड़ के लोगों की जिन्दगी के साथ हस्तक्षेप होता है। इस कटौती के प्रस्ताव में माननीय गोबिन्द सिंह जी ने लिखा है कि उन का मतलब वन उपज की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उन का विरोध करने से है और उन्होंने इस संबंध में केवल कोयले का जिक्र किया है, वहां पर जो कस्बों की बस्ती है----रानीखेत, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ में दस पांच दुकानें हैं। कोयले की समस्या केवल उन्हीं की है, लेकिन उस से भी और ज्यादा जरूरी और गम्भीर बात यह है कि आम लोगों को जलाने की लकड़ी नहीं मिलती, उन लोगों तक को जो जंगलों में बसते हैं जलाने की लकड़ी नहीं मिल पाती। उसका कारण है प्लांटेशन। हमारे यहां यह काम अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था और वन विभाग का एक प्लांड तरीके पर पहले से ही काम होता था। जब यहां कुमायूं में अंग्रेजों का राज्य शुरू हुआ और कुमायूं भी अंग्रेजों के राज्य में आया तब उन्होंने जंगलों के लिये एक वर्किंग प्लान तैयार किया और उनके जमाने में भी उसी के मुताबिक जंगलों का काटा जाना और वृक्षारोपण हुआ करता था। अब प्लांटेशन दूसरी तरह से होता है और २०–२० एकड़ में वह प्लांटेशन होता है। कुमायूं की जनता को प्लांटेशन पर एतराज नहीं है लेकिन अब भी कितने ही ऐसे नंगे पहाड़ पड़े हैं जहां पर कोई आबादी नहीं है वहां वह लगाये जायं। इसके अलावा जहां जंगल लगाये गये हैं वहां पर अगर इस तरह से घेर दिया जाय कि जानवर भी न चर सकें, ऐसे घेरे बनाने से जो पनघट पहले १/२ मील के फासले पर पड़ते थे वह १२ मील पर पड़ते हैं। उनको पानी से भी महरूम कर दिया और यह एक जगह नहीं, व्यापक पैमाने पर चारों जिलों में यह बात हो रही है।

दूसरी सब से बड़ी दिक्कत टिम्बर की है। मैं गांव का जिक्र कर रहा हूं, कस्बों का नहीं। गांव में अंग्रेजों के वक्त भी यह बात मानी गयी थी जिस वक्त कि कांग्रेस ने आज़ादी

की तहरीक छेड़ी थी तब पर्वतों में जो हम लोगों का सबसे बड़ा काम था वह जंगल के सम्बन्ध में था। अंग्रेजों ने भी हमारी तकलीफों को जेनुइन समझा और ग्रीवांस कमेटी के नाम से एक कमेटी बनायी थी क्योंकि वह जानते थे कि बिना जनता के सहयोग के ये जंगल खड़े नहीं रह सकेंगे। जब १९२१ में फारेस्ट ग्रीवांस कमेटी बैठी तो उसकी रिपोर्ट के बाद कई सहूलियतें दी गयीं। उसके पेश्तर जब फारेस्ट डिपार्टमेन्ट पहले पहल कायम हुआ तो फारेस्ट सेटिलमेन्ट के नाम से एक सेटिलमेन्ट हुआ और उसमें कुछ हक निश्चित किये गये कि फलां गांव वालों को फलां जंगल से टिम्बर के लिये लकड़ी मिलेगी और जंगल के इतने पेड़ तय कर दिये गये। लेकिन आबादी के बढ़ जाने से और वह सेटिलमेन्ट भी इस प्रकार दूषित था कि तब बहुत से गांवों का हक भी निश्चित नहीं किया गया था। गांव तो यहां हैं और उसका हक ३०मील दूर निश्चित किया गया कि वहां से उसको लकड़ी मिलेगी ताकि वह लकड़ी ले ही न सकें। वह दिक्कतें आज बढ़ करके यह हालत हो गयी है कि नामुमकिन हो गया है कि कोई लकड़ी ले सके। वह हक सिर्फ काग़ज़ में लिखने के हक रह गये हैं। पिछले दो साल पहले भी यह प्रैक्टिस रही कि जिस गांव वाले को ज़रूरत हो टिम्बर की मकान छाने के लिये तो उन्होंने जंगलात को अर्जी दी कि मुझ को कीमत पर लकड़ी मिल जाय और नाम मात्र की कीमत पर लकड़ी मिल गयी। लेकिन इधर दो साल से यह हुआ कि लोगों को टिम्बर के लिये लकड़ी पूरी कीमत देने पर भी नहीं मिल रही है, वह कीमत जोकि ठेकेदारों से ली जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक दिक्कतें बढ़ गयी होंगी।

इसके अतिरिक्त कोयले का ज़िक्र अभी आया था। मुझे बड़ा ताज्जुब है। अभी पिछले दिनों एक सरकारी बयान निकला था अखबारों में जिस समय कि कोयले की क़ीमत बढ़ जाने और लकड़ी न मिलने की शिकायत अखबारों में छपी। उसमें इस बात का खंडन किया गया था। मुझे ताज्जुब हुआ कि उसमें लिखा था कि रानीखेत में लकड़ी की कमी नहीं थी। वह तो मेरी आंखों की देखी हुई दास्तान है, मेरी कांस्टीट्यूएंसी का मामला था। जब कोयले की कमी हुई और कीमत बढ़ी तो मैं वहां मौजूद था। लोगों के क्यू बंधे हुये थे और चूंकि कमी थी लिहाजा लोग धूल-मिट्टी लिये जा रहे थे और ५ सेर की जगह दो तीन सेर ही की तोल मानने को बाध्य हुए।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध।

श्री हरिदत्त कांडपाल--श्रीमन्, जब निष्कर्ष आयेगा तो मालूम होगा। तो रानीखेत में कोयले की कीमत बढ़ने की कहानी अजीब हुई है। मई के महीने में ढाई रुपये पर वहां ठेकेदार कोयले को बेच रहे थे। अब डिपार्टमेन्ट बीच में आया और उन्होंने ठेकेदार को हुक्म कर दिया कि यह कोयला अब डिपार्टमेन्ट को बेचे और डायरेक्ट जनता को नहीं बेच सकते और बजाय ढाई के २ रुपया ६ आने जंगलात विभाग ने ठेकेदार से कोयला खरीदा। ठेकेदार से जब मालूम किया गया था तो उन्होंने बतलाया था कि दिसम्बर तक के लिये पूरा का पूरा स्टाक है। इधर २ रुपया ६ आने में जंगलात विभाग ने कोयला खरीदा और साढ़े चार रुपये उसका दाम कर दिया। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, यह हमें मालूम नहीं हुआ और जो जवाब दिया गया हमें उससे भी पूरा संतोष नहीं हुआ। एक पैरिटी की बात कही गयी कि प्लेंस के साथ पैरिटी होनी चाहिये, तो यह कहां तक तर्कसंगत बात है कि जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों को अगर कोयला सस्ता मिल जाता है तो कौन-सी बड़ी भारी बात हो गयी और क्या अपराध हो गया? और यह भी कहा जाता है कि स्म लिंग होती है, लेकिन हमारे सामने तो एक भी उदाहरण नहीं है कि स्मगलिंग हुई हो। और स्मगलिंग कहना डिपार्टमेन्ट के लिये खुद एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनके चेक पोस्ट्स हैं, उनके कर्मचारियों की एक फौज है तब यह कहा जाय कि स्मगलिंग हो रही है और उसके नाम पर २ रुपये ६ आने में तो खुद खरीदें और साढ़े ४ रुपये में बेचें, इससे जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जब मंत्री जी रानीखेत पहुंचे तो बड़ी कृपा करके उन्होंने साढ़े ४ रुपये के बजाय साढ़े ३ रुपये का रेट किया।

[श्री हरिदत्त कांडपाल]

इसके बाद मैं वन विभाग के एक जी० ओ० की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके मुताबिक प्रोटेक्टेड फारेस्ट में लोगों को गाय चराने, घास काटने, लकड़ी काटने और खलिहान बनाने की भी मुमानियत की गयी है। फारेस्ट ऐक्ट के मुताबिक 'प्रोटेक्टेड फारेस्ट' की परिभाषा है बेनाप जमीन। यह जी० ओ० फारेस्ट ऐक्ट की दफा ३२ के मुताबिक निकाला गया है। हालांकि यह जी० ओ० कार्यान्वित नहीं हो सकता लेकिन लोगों को सताने के लिये बहुत काफी है। सन् १९५५ में यह जी० ओ० निकला था लेकिन वह कार्यान्वित नहीं किया गया। लेकिन यह जी० ओ० अब काम में लाया जाने लगा है जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरी कांस्टीटुएंसी में बहुत काफी लोग प्रासीक्यूट हुये और उनको सजायें हुईं। अगर इसको बहुत रिजिडली फालो किया जाय तो यही हो सकता है कि वहां के रहने वालों को कह दिया जाय कि तुम लोग यहां से चले जाओ। इसलिये इस सम्बन्ध में हमारी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस पर विचार करें और अविलम्ब इसे वापस ले।

स्टार पेपर मिल का जिक्र अभी हमारे भाई ने किया था। असल में हमारी मुसीबतों का एक कारण स्टार पेपर मिल भी हो गयी। क्लियर फैलिंग का जो सिलसिला चालू है कि हर साल इतनी क्लियर फैलिंग होगी तो बजाय इसके कि वह लकड़ी गांव वालों के काम में आये स्टार पेपर मिल वालों को दे दी जाती है। कहा जाता है कि वह लकड़ी किसी काम की नहीं होती। किसी काम की भले न होती हो लेकिन कम से कम जलाने के काम की तो वह होती ही है। हमारा जो जी० ओ० है जिसके मुताबिक लोगों को लकड़ी जलाने का हक दिया गया है उसमें यह बात साफ है कि गिरी पड़ी तमाम लकड़ी पर कुमायूं के किसी भी बाशिन्दे का हक होगा। लेकिन अब वह गिरी-पड़ी लकड़ी स्टार पेपर मिल को दी जाती है...

श्री उपाध्यक्ष---आप इसको आम वाद विवाद का विषय बना रहे हैं। आप कृपया खत्म करें।

श्री हरिदत्त कांडपाल---वन मंत्री जी कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट की बहुत सी बातों का उनको ज्ञान नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि वे इसकी जानकारी प्राप्त करके जनता को राहत दें। इसी आशा से मैं मंत्रीजी की इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम (जिला बदायं)---उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ की बात तो हमने सुन ली अब जरा मैदानी हालत भी सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह किसको ललकार रहे हैं आप मैदान में? (हंसी)

श्री टीकाराम---हमारे जिले में कछला में एक फारेस्ट है। वहां पर पहले जब जमींदारी थी तो गांव के किसान उसमें खेती किया करते थे लेकिन जब से फारेस्ट विभाग खुला है तब से यह हालत हो गयी है कि अगर हमको कुइयां बनाने के लिये बीड़ लगाने की जरूरत पड़े तो झाऊ की लकड़ी नहीं काटने दी जाती और आज जंगलों में जानवरों का चराना तक मुश्किल हो गया है और जो खेत तोड़े गये थे वह भी बेदखल किये जा रहे हैं। यही हालत सीतापुर में भी है। वहां जो जमीन जंगलात में आगई है उससे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जंगलात के जानवरों को .....

श्री उपाध्यक्ष---मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो विषय इस ग्रांट में है उसी का खंडन-मंडन किया जाय; इसको आम विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है।

श्री टीकाराम---मैं फारेस्ट की नीति पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---वह गलत बतला दिया गया है।

श्री टीकाराम—फारेस्ट का जो चीफ कंजरवेटर का दफ्तर नैनीताल से लखनऊ लाया जा रहा है उस पर बहुत सा रुपया व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। इससे तो बेहतर यही है कि वह नैनीताल में ही बदस्तूर रहे क्योंकि जंगलात नैनीताल में हैं, लखनऊ में नहीं हैं। इससे पब्लिक के ऊपर बोझा पड़ रहा है।

दूसरे महकमों में ऐसा है कि वहां के कर्मचारी अपना काम करते हैं लेकिन फारेस्ट के कर्मचारियों की बेगार अभी तक नहीं छूटी है। जब और विभागों के कर्मचारियों से बेगार नहीं ली जाती है तो फारेस्ट के कर्मचारियों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करें और उनसे बेगार लेना बंद कर दिया जाय। इस सूरत में खर्चा कम करने के लिये, रक्षा के लिये और पब्लिक की भलाई के लिये सरकार यह खर्च करना चाहती है। लेकिन वह इसको इस तरतीब से लाना चाहती है कि इसका उल्टा असर पड़ सकता है। जैसा कि गोविन्दसिंह जी ने और कांडपाल जी ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि नैनीताल से दफ्तर न हटाया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह वन के इंतजाम की ओर विशेष ध्यान दें। वह शहर के निवासी हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं इसलिये हम चाहते है कि उनकी निगाह शहरों की ओर ही सीमित न रहे और वह बराबर पहाड़ों के ऊपर, घाटियों में, विन्ध्याचल और हिमालय की ओर भी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी जौनपुर के रहने वाले हैं आप लोगों को गलतफहमी हो रही है कि वे लखनऊ के हैं और इसी कारण उन पर काफी बौछार हो रही है।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम पहाड़ी नहीं हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—वन की नीति जो सरकार ने निर्धारित की है उसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरह से उसको कार्यान्वित किया जा रहा है वह काबिले एतराज है।

फारेस्ट मैनुअल या फारेस्ट कानून में यह कहीं नहीं लिखा है और खास कर हमारी सरकार न्यू सेट अप में कोआपरेटिव द्वारा स्टेट को आगे बढ़ाना चाहती है और जनता का अधिक सम्पर्क, हमारी तिजारत से और उत्पादन के जरिये से और आय बढ़ाने के जरिए से गहरा संबंध करना चाहती है तो मैं यह कहता हूं कि व्यक्तिगत लोगों को जो जंगलात के ठेके रियायत पर दिये जाते हैं या बड़ी बड़ी फैक्टरियों को जंगलात की प्रोड्यूस छोटी कीमत पर दी जाती हैं वह काबिले एतराज है। जंगल के जो ओपिन आक्शन नहीं होते हैं उससे जो लाखों रुपया पब्लिक ऐक्सचेकर में आना चहिए था उसका सारा फायदा व्यक्तियों को पहुंचता है और हमारा राष्ट्र इससे पीछे हटता है। आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता है। भले ही चन्द व्यक्ति हमारे देश में धन दौलत को इकट्ठा करके, गरीबों के ऊपर जोर जुल्म करके अपनी माली हैसियत को अधिक बढ़ा लें। लेकिन केवल इससे यही नतीजा निकलता है कि लोगों के लिए एक और अड़चन खड़ी कर दी जाती है। जिनको दूर करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करती चली आयी है। जैसे हमारे यहां लीसा फैक्टरी है। क्या यह उचित नहीं है कि वहां के लोगों को ही लीसा के ठेके दे दिये जायं ताकि उनको जीवनोपार्जन के साधन मिल सकें? उन लोगों को महरूम करके मिल मालिकों और चन्द धनियों को और मोटा बनाने के लिए ठेके दे दिये जायं या उनको कंसेशन रेट्स दिये जायं क्या यह उचित है? बरेली की लीसा, फैक्टरी की प्रोड्यूस बम्बई में जाकर बहुत कम कीमत पर बिकती है उसके कई गुना रेवेन्यू यू० पी० में बिकने से आ सकता है। मैं नहीं कह सकता कि बम्बई में कम कीमत पर बेचने का क्या कारण है। यह उस फैक्टरी के मालिक या वही लोग जान सकते हैं। मैं नहीं जानता कि यह अलायंस कम कीमत पर बेचने का क्यों? अगर हम इस देश की धन दौलत की रक्षा के लिए इस सदन में आये हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन कमियों को

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मंत्री महोदय को बतायें जिससे हमारे राज्य को नुक्सान पहुंच रहा है। इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि आज कल शहरों में लकड़ी और कोयले की बड़ी दिक्कत है। फारेस्ट मैनुअल और फारेस्ट के कानूनों के अनुसार इस विभाग के Officers should forecast the future demands of the citizens of the State or particular area or City. चार पांच साल पहले उन्हें देखना चाहिए कि क्या मांग होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वह अनुदान तक ही सीमित रहें।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं पालिसी की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो "पालिसी" शब्द आ गया है, अनुपूरक बजट में पालिसी पर ज्यादा बहस नहीं की जा सकती।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं चन्द शब्दों में रख देता हूं। मैने माननीय मंत्री जी को एक लेटर लिखा था कि मुझे खेद है कि आप के अफसरों ने क्या काम किया है, वह सोते रहे हैं। जब कोयले और लकड़ी की कमी थी तो गवर्नमेंट को आगाह कर देना चाहिए था। और अगर कोई इस तरह की फोरकास्ट की गयी है तो मुझे उसकी एक नकल दे दी जाय। मैं यह मान लेता हूं कि माननीय मंत्री जी या उनके डिपार्टमेंट के पास कोई इस प्रकार का डाकूमेंट नहीं था जिसकी कापी वह मुझ को देते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो माननीय मंत्री जी उसका जिक्र अपने लेटर में करते कि आप को वह मिल सकती है या कीमत दे कर मिल सकती हैं। वह इसके मुताल्लिक अपने लेटर में बिलकुल साइलेंट हैं। मैने अपने क्षेत्र में दौरा किया, गवर्नमेंट की जो प्लांटेशन पालिसी है उसको मैं एप्रीशिएट करता हूं। ऊसर और नंगी जमीन को हरा भरा करना बहुत अच्छा है। इसका मैं स्वागत करता हूं और होना ही चाहिये, परन्तु यह पालिसी जो प्लांटेशन की है उसको इस प्रकार से एक्जीक्यूट किया जाना चाहिये कि लोगों की रोजमर्रा की जो आवश्यकतायें हैं उनको नहीं नजरंदाज किया जाना चाहिये और उनको उनके हकों से बिलकुल ही महरूम करना मुनासिब बात नहीं है। गांवों के रहने वालों के पास जानवर हुआ करते हैं। गांवों की खेतीबारी का सम्बन्ध उनके पास के जंगलों से पड़ता है, लेकिन गांव के पास जंगलों के नजदीक की जमीन को तारों से घेर दिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रिजर्व फारेस्टस में जिन गांव वालों के राइट्स थे वहां भी जाने के लिये १२ मील की दूर पर घास और लकड़ी लाने के लिये जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी रिस्पांसिबिल आफिसर वहां आन दि स्पाट गया होता और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता तो मैं समझता हूं कि वहां की जमीन हरगिज तारों से न घेर दी गयी होती। अगर मान भी लिया जाय कि तारों से घेर दिया गया है, लेकिन रिजर्व फारेस्ट्स तक जाने के लिए उनको अवश्य रास्ता दिया जाना चाहिये था। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें विभाग को कौन सी दिक्कत होती थी। यह तो एक मानवता की बात है। जब एक छोटे से गुडविल से आप वहां की जनता को संतोष दिला सकते हैं तब उनमें असंतोष के बादलों को पैदा करना कौन सी बुद्धिमानी की बात है। मैं निहायत अदब के साथ माननीय मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे फौरन अपने विभाग को इस बात के अहकामात जारी करें कि जहां लोग एक्स्ट्रीम डिफीकल्टीज में हैं उन लोगों को राहत देने के लिये फारेस्ट डिपार्टमेंट फौरन इंतिजाम करे जहां लोगों की गाय बछियों के पीने के पानी का इंतजाम कर रखा है वहां पर भी फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तार घेर दिये गये हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कहीं कहीं पर लोगों को पानी तक के लिये तकलीफ है। मैं समझता हूं कि यह तो इंसानियत के दायरे के बाहर की बात है। जिन्हें मकान बनाने के लिये लकड़ी की जरूरत है या दूसरी चीजों की जरूरत है, क्या आप उनको उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं, छोटी मोटी रियायतों से महरूम करना चाहते हैं ?

अब मैं कुमायूं फारेस्ट के बारे में एक नकशा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने आपसे निवेदन किया, लेकिन आप आम विवाद में जो बात कही जानी चाहिये वही कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं तो पालिसी की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कह दिया कि पालिसी के बारे में बातचीत नहीं हो सकती।

श्री चन्द्रसिंह रावत--श्रीमन्, यह एक बहुत बड़ी चीज है। मैं जनता के दुखों को रख रहा हूं और आप खुद ही फैसला करेंगे कि यह असंगत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, वह बजट के वाद-विवाद पर आप कहियेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत--श्रीमन्, मैं भी थोड़ा बहुत वकील हूं और जानता हूं। ऐसी गलती मुझसे नहीं हो सकती। कानून के दायरे के अन्दर ही रहने वाले हम बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं। कम से कम मुझसे आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिये।

जहां तक कुमायूं फारेस्ट की बात है कहा जाता है कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी ने पास कर दिया। हम कहना चाहते हैं कि उसको फौरन अपनावें।

जहां तक जनता को फैसिलिटीज देने की बात है हमारी कमेटी ने जब कोई बात कह दी है तो फौरन कह दिया जाता है कि यह तो एक ऐडवाइजरी कमेटी है हम उससे बाउन्ड नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि सरकार को अपने अधिकारियों को इतने अधिकार नहीं देने चाहियें। जिससे वह जो चाहें, करें। हम लोग भी अदालतों के अन्दर बहस करते हैं और बेइमान को ईमानदार बताते हैं और मर्डर करने वाले को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यह तो दोनों साइड से कुछ न कुछ कहा ही जा सकता है, लेकिन इस मसले पर हमको हमदर्दी के साथ विचार करना चाहिये, जिससे वहां की जनता की कठिनाई दूर हो।

जहां इन फिगर्स की बात है अगर वहां जाकर इन्क्वायरी की जाय तो मैं चैलेन्ज करता हूं कि ये गलत निकलेंगे। हम लोग भी कुछ समझते हैं और दिमाग से काम लेते हैं और इन फिगर्स की सच्चाई को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वहां पर लकड़ी और कोयला बहुत महंगा लोगों को दिया जाता है। यह कहा जाता है कि ठेकेदार को बहुत खर्च पड़ता है यह बिलकुल गलत है और फाल्स ग्राउन्ड है। जिस तरह से आपको बताया जाता है वह बिलकुल गलत है। आखिर इस सदन में हम इस मुल्क का इन्तजाम करने आये हैं। अगर इस सदन से इन्तजाम नहीं होना है तो मैं यह समझता हूं कि इस सरकार का काम किस प्रकार से चलेगा। मैं कहता हूं कि इस मुल्क के लिये इतनी बड़ी संख्या में शासन करने वालों की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर जरूरत है तो वह जरुरत जनता के हित को सोचने की है। हम लोगों का यह कर्त्तव्य है कि सद्भावना के साथ उनकी परेशानियों पर विचार करें तभी देश का निर्माण हो सकता है और इस देश में डेमोक्रेसी चल सकती है अन्यथा यह डेमोक्रेसी नहीं रह जायगी। इसलिये हमारे इस डेमोक्रेटिक मुल्क में हमको यह शोभा नहीं देता कि हम सद्भावना के साथ उनकी कठिनाइयों पर विचार न करें। इस वजह से मैं निहायत अदब के साथ मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि आप हमदर्दी के साथ इन कठिनाइयों के ऊपर अपना फैसला दें। विभाग के अफसरों के हाथ में यह काम नहीं देना चाहिये। हम यहां पर अपने मुल्क और प्रदेश के लोगों का कल्याण करने के लिये बैठे हैं और उसके कल्याण की बात को ही हमें यहां पर सोचना चाहिये।

(श्री बंशीधर शुक्ल का नाम पुकारने पर)

श्री उग्रसेन--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं श्री बंशीधर जी शुक्ल को बुला चुका हूं। उसके बाद यह ले लिया जायगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव विन्द सिंह विष्ट जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने जिले की परिस्थिति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे जिले में भी बन विभाग है। १६ लाख एकड़ जमीन हमारे यहां है जिसमें ५ लाख एकड़ जमीन में बन लगा हुआ है। ९ लाख एकड़ जमीन में खेती होती है। यह बन किसी ने लगाया नहीं प्राकृत है सदियों पुराना है बाकी कुछ और जमीन है। वहां जो भी जंगल विभाग द्वारा जुल्म हो रहे हैं उसका वर्णन तमाम भाइयों ने कर दिया है। मैं कहूंगा कि सब बातों को देखते हुये पहले लोगों को रोटी का प्रबन्ध करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस बन विभाग को और बन को समाप्त कर दिया जाय। इसका कोई औचित्य नहीं है। इस ५ लाख एकड़ जमीन में खेती करवाई जाय तो २।। लाख लोगों को रोटी मिल सकती है और २५ लाख रु० मालगुजारी में मिल सकता है। अभी आपने देखा कि हमारी सरकार ने रहीमाबाद का जंगल साफ किया वहां पर खेती के लायक बहुत जमीन निकली। नीलगांव में भी जंगल साफ कराया वहां पर भी खेती के लायक जमीन बनाई गई। इसी तरह से यहां जंगल साफ करके खेती के लायक जमीन बनानी चाहिये।

अभी कल ही समाचार मिला है कि सीतापुर जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खेती की कमी है। लोग मिट्टी भूनकर खा रहे हैं। भूनने से मिट्टी के अन्दर जरा सोंधापन आ जाता है। अखबार वालों को यह जानकर ताज्जुब होगा, कोई छापने को तैयार नहीं, कोई सुनने-मानने को तैयार नहीं, लेकिन यह बात सही है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि बन विभाग की भुखमरी के युग में कोई जरूरत नहीं है। सन् १९५६ में सरकार ने एक सरकुलर निकाला जिसमें कहा गया कि जिनके पास बन विभाग के पट्टे हैं उनको जमीन दी गई अब उनकी जमीन नहीं ली जायगी। सन् १९५८ में एक सरकुलर और निकाला गया जिसमें कहा गया कि जिनको जमीन दी गयी है वह खेती नहीं कर सकते और न दरख्त काट सकते हैं, पहले के सर्कुलर रद्द किये जाते हैं बृहत जोतकर माफ नहीं, पट्टा कैंसिल नहीं, लगान कैंसिल नहीं मगर जोत नहीं सकते। क्या सरकार है? जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर के जंगल को छुआ नहीं गया। जब हम सवाल पूछते हैं कि सरकार ने यह दोनों सर्कुलर क्यों निकाले तो जवाब मिलता है कि यह सर्कुलर सरकार की ओर से नहीं निकले और सर्कुलर राज्यपाल की ओर से निकले उनके दस्तखत किये हुए हमारे पास रखे हैं। हम कहते हैं तो कोई सुनता नहीं। ३३ हजार एकड़ जमीन हमारे पड़ोस में औरा के जंगल में है जिसमें महुआ से ३०० रुपये की साल भर में आमदनी सरकार को होती है। अगर उसे खेती के काम में लाया जाय तो १६,००० आदमियों को रोटी मिल सकती है। और डेढ़ लाख का लगान मिल सकता है। अगर उन जंगलों में जरूरी पेड़ लगाये जायं तब भी ठीक है, लेकिन उसमें महुआ ऐसे पेड़ रहते हैं। अगर लगाना ही है तो विजयसार, साखू, बबूल, सागौन, कत्था, असैना, छांजन, चीड़, देवदार, सीसम आदि पेड़ जंगल में लगाये जाने चाहिये, ताकि उनसे आपको आमदनी भी हो सके। इसके अलावा वन विभाग की सड़कें बनी हैं उन पर कोई खेतिहर निकलने नहीं पाता।

एक साधु अभी आ रहा था नैपाल से। उसके पास कुछ चंवर थे। जंगल वालों ने कहा कि यह हमको दे दो, उसने नहीं दिये। तो वह चंवर उन्होंने उससे छीन कर उसे यह कह कर ५ साल की सजा करवा दी कि यह तो जंगल में आग लगाने के लिये आया था। वह आज भी लखनऊ जेल में पड़ा सड़ रहा है, आप देख सकते हैं। हाल यह है कि मुरदा जलाने के लिये भी जंगल से लकड़ी नहीं मिलती और जंगल भी इस क्रम से लगे हैं कि पहले जंगल फिर आबादी फिर जंगल और फिर आबादी। ६ क्रम इस प्रकार से चलते हैं। इसके अलावा गोमती के किनारे का जो जंगल है उससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। इसी तरह से कठना के किनारे के जंगल से भी कोई आमदनी नहीं होती। तो जिस प्रकार से अंधा लकड़ी पकड़ कर उसके सहारे चलता है उसी प्रकार यह सरकार अफसरों की पूंछ पकड़ कर चलती है। जहां देखो वहां जंगल, ऊसर में भी जंगल और ढाक का भी जंगल, महुआ भी जंगल में है और घास दुद्धी, करौंदा का जंगल भी, सभी जगह वन विभाग छा रहा है।

दो आदमी सरकार की ओर से बोले और इतने हमारी ओर से, किसी ने भी वन विभाग की नीति का समर्थन नहीं किया। अभी हम लोग कह रहे हैं, थोड़े दिन बाद जनता कहगी और उसके बाद भी यदि आप नहीं माने तो आपको वह दुनिया के बाहर फेंक देगी, यह आप समझ लीजिये। हमें वहां एक स्कूल बनवाने के लिये साखू की लकड़ी चाहिये थी, दौड़ रहे हैं लेकिन मिलती नहीं। आपने जानवर छोड़ रखे हैं वह खेतों को चरते हैं। किसान अगर उनको बन्द करें तो आप उनको गिरफ्तार करते हैं और वह खेती को उजाड़ते फिरते हैं। गिरदानिवासी एक मुकाम है हमारे यहां, जहां चारों ओर जंगल है। वे लोग एक कोने में सब मिल कर अपना खेत बनाते हैं और झोंपड़ों की दीवारों और टट्टरों को लगा कर खेत की हिफाजत करते हैं। तो यह दशा है और यह आपका वन विभाग है। प्राइवेट जंगलों को भी आपने रोक लिया और उनमें से लकड़ी नहीं देते, तो आपका मंशा क्या है समझ में नहीं आता। किसानों के पास लकड़ी पाने के लिये कोई साधन नहीं और अधिकारी चोरी करके लकड़ी बेचते हैं। कोई भी १००-५० रुपया रिशवत देकर चाहे जितने भी दरख्त काट ले उसकी कोई रोक-टोक नहीं। जब आप अफसरों की पूंछ पकड़ कर चल रहे हैं तो आपको वैतरणी पार करना भी कठिन हो जायगा, यह नौकरशाही भेंड़ पूंछ भादौं नदी है। हमारे जिले में शारदा नहर ५२ मील चल कर...

श्री उपाध्यक्ष---आप तफसील में न जायं और अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बंशीधर शुक्ल---तो मैं कह रहा था कि हमारे जिले में शारदा नहर ५२ मील चल कर गोला में जंगल से पार होती है। उसके किनारे कितने आदमियों को रोटी मिल सकती है। कितनी पैदावार बढ़ सकती है, कितनी मालगुजारी मिल सकती ह, कितने भूखों को रोटी मिल सकती है। ५२ मील पर जब नहर बाहर आती है और तब तक कुछ नहीं। अन्त में मैं और अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विष्ट जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि वह वन विभाग को समाप्त करे जिससे कि किसानों का कुछ भला हो। देश की भुखमरी दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि चूंकि जनरल बजट हमारे सामने आ रहा है इसलिये माननीय सदस्य नियम १९१ को देखकर अपने कटौती के प्रस्ताव रखें। आज थोड़ी सी रियायत कर दी गई है लेकिन आगे रियायत करना सम्भव नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के ठने वाले हों, जितने भी सदस्य बोले सब ने एक स्वर से मेरी बात का समर्थन किया। यही मेरी बात की सत्यता और उसके तथ्यों की अकाटचता का प्रमाण है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन बातों को ध्यान में रखें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को कुछ एतराजात हुये उसका जवाब भी मैं थोड़ा दे दूं। उन्होंने यह कहा था एक सदस्य के लिये कि वे जौनपुर के हैं, पहाड़ के नहीं। यद्यपि मैं उसी वक्त बोलना चाहता था, लेकिन फिर मैंने बोलना ठीक नहीं समझा। तो अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनको पहाड़ से इतना परहेज क्यों है? पहाड़ से हमारे पं० गोविन्द बल्लभ पन्त आये जो कि आज कल भारत के गृह मंत्री हैं। पहाड़ से ही पं० जवाहरलाल नेहरू आये जो कि आज हमारे प्रधान मंत्री हैं। स्टालिन, हिटलर और न मालूम कितने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पहाड़ से आये। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें पहाड़ से परहेज नहीं करना चाहिये, बल्कि वहां की ग्रीवान्सेज को दूर करना चाहिये।

***श्री सैयद अली जहीर**---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जंगल के मुताल्लिक आम तौर से गलत खयाल हो गये हैं, जैसा कि अभी एक माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

सदस्य ने इस विधान सभा में जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उपजाऊ जमीन पड़ी हुई है इसलिये जो जंगल लगे हुये हैं उनको काटिये और उन पर खेती कीजिये ताकि दरख्त कम होते जायं और खेत बढ़ते जायं। जिन माननीय सदस्यों ने वन विभाग पर एतराज किये अगर उनकी भी यही राय हो कि दरख्त सब कट जायं, उनकी जरूरत नहीं है, और जो लकड़ी लगी हुई है उसे जो मांगें उसे दे दी जाय या उसे बेंच दी जाय तो फिर ऐसा है कि यह सब एतराजात आपके सही हैं लेकिन अगर कोई नियंत्रण लगाना है, अगर हमको यह एहसास है कि हमारे यहां जंगल भी होने जरूरी हैं और कितने जंगल होने चाहिये .....

श्री वंशीधर शुक्ल---माननीय मंत्री जी किसानों को जंगल लगाने की इजाजत दें।

श्री सैयद अली जहीर---शायद माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि किसानों को बहुत सी रियायतें दी जाती हैं अगर वे जंगल लगायें। उनको कोई मुमानियत नहीं है, अगर मुमानियत है तो सिर्फ काटने की। तो अब अगर यह आइडिया हो कि जो जंगल हैं वे काट दिये जायं और उसमें जो चाहे चराई करे, जितनी लकड़ी चाहे ले या जो सामान चाहे ले जाय और उससे दाम न लिये जायं या अगर दाम लिये जायं तो बहुत सस्ते लिये जायं और उसके बाद अगर जरूरत हो तो काश्तकार दरख्त लगाये, तो अगर आप यही पालिसी जंगल की चाहते हों तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जरा आप सोच लें कि क्या इस बात से हालत होगी। राजस्थान का नक्शा हमारे सामने है। जो माननीय सदस्य इस तरह से बातें करते हैं वे जरा एक दफा जाकर राजस्थान घूम आवें और वह किनारा भी घूम आवें जो राजस्थान और हमारे प्रदेश के बीच में है। वहां पर क्या हालत हो गयी है किस तरह से रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है। शायद १० साल में एक मील बढ़ जाता है। अगर यही रफ्तार रही खुदा जाने क्या हश्र होगा। आज तो जंगलों के काटे जाने से लकड़ी और जमीन मिल जायगी लेकिन उसके बाद भी जो हश्र होने वाला है उसके बारे में भी आपको लिहाज रखना होगा। इसको देखकर आपको कुछ न कुछ नियंत्रण करना ही होगा। दरख्त जो काटा जाता है वह तो कोई शिकायत कर नहीं सकता है, लेकिन जो शख्श पेड़ काटता है वह बहुत कुछ आवाज कर सकता है। किसी शख्स पर अगर चार आना कीमत बढ़ जायगी तो उसको ऐतराज होगा, लेकिन उसकी सूरत क्या है ? मैंने इस मामले में दरियाफ्त किया कि दाम क्यों बढ़ गये। आप देखें कि नैनीताल में सवा रुपया मन लकड़ी की कीमत है। लेकिन ५ मन लकड़ी में एक मन कोयला बनता है यही कोयला साढ़े तीन रुपया मन नैनीताल में बिकता था। अगर वही कीमत रहती तो बहुत अच्छा था। लकड़ी के हिसाब से उसके दाम सवा छै रुपया होते हैं। यही वजह है कि हलद्वानी में कोयला साढ़े पांच रुपया फी मन बिक रहा है और लखनऊ में वह ७-८ रुपया फी मन बिक रहा है। लेकिन हमने वहां पर जो दाम रखा है वह ४.४० रुपया प्रति मन रखा है। इसके बावजूद भी हमें नुकसान हो रहा है। ६१,६०० रुपया हमको सब्सीडी के रूप में देना पड़ रहा है और यह सब्सीडी फी मन हम ८० पैसा दे रहे हैं। सरकार भी जो सब्सीडी देती है वह भी जनता का ही पैसा है। लकड़ी आप लखनऊ में खरीदते हैं और बाहर भी खरीदते हैं उसमें भी हमको ४० हजार रुपया सब्सीडी देनी पड़ती है। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि जब तक जंगल करीब थे तब दूसरी बात थी, लेकिन अब कोयला दूर से लाना पड़ता है इसलिये उसकी कीमत बढ़ रही है। अब एतराज होता है कि कीमत क्यों बढ़ाई गयी है, लेकिन हमने लकड़ी का दाम नहीं बढ़ाया है।

स्टार पेपर मिल के बारे में शिकायत की गयी कि उसको सस्ते दामों पर लकड़ी क्यों दी गयी। उनको गिरी पड़ी लकड़ी नहीं दी गयी। गिरी पड़ी लकड़ी का कोई सवाल नहीं है। चीड़ के दरख्तों की दो किस्में हैं। एक तो सीधी लकड़ी निकलती है जिससे लीसा वगैरह निकलता है और दूसरी बल खायी हुई लकड़ी होती है जो बहुत सख्त किस्म की होती है। उससे फर्नीचर आदि का कोई काम नहीं हो सकता। वह लकड़ी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि उस पर कुल्हाड़ी चलाना भी मुश्किल ही होता है। इस तरह से ट्विस्टेड चीड़ की लकड़ी और किसी मसरफ में नहीं आती। तो खाली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पेपर इंडस्ट्री के लिये २ लाख

क्युबिक फीट लकड़ी २ आने क्युबिक फीट के हिसाब से बेची गयी और फैक्टरी वालों के लिये जंगल से काट कर वहां भेजवायी गयी। अगर कोई फैक्टरी सहारनपुर में है जिसे लकड़ी देनी पड़ी तो उसे तो सस्ती से सस्ती देनी ही पड़ेगी, क्योंकि फैक्टरी तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा ही जिसमें अपने यहां पेपर की इंडस्ट्री कायम हो सके। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में पेपर की बहुत कमी है और हमारी हर तरह से कोशिश यह है कि कागज अपने यहां ही तैयार किया जाय जिससे बाहर से मंगाने की जरूरत न पड़े। हम हर तरह से पेपर इंडस्ट्री को इनकरेजमेंट देना चाहते हैं ताकि हमारे मुल्क की जरूरत अपने यहां के कागज से ही पूरी हो सके। इस तरह से हम काफी फारेन एक्सचेंज बचा सकेंगे।

लीसा की बाबत भी कहा गया है कि उसे क्यों दिया गया। हमारी कोशिश तो यह है कि गवर्नमेंट फैक्टरी जो बरेली में कायम है वहां अधिक से अधिक लीसा की खपत हो। इसके अलावा जो प्राइवेट तौर पर एकाध कम्पनी हैं या कोआपरेटिव सोसाइटीज वगैरह की हैं, उनको हम मुनासिब कीमत पर देते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें एतराज की कौन-सी बात है।

एक एतराज यह किया गया कि खैर के पेड़ बहुत सस्ते दर पर दिये गये हैं। एक जमाना था जब कि खैर के दरख्त फी दरख्त ४ आने के हिसाब से बिकते थे। इसके लिये एक कम्पनी बरेली में कायम हुई उसको हम इस कीमत पर ही खैर के दरख्त देते थे। उस कम्पनी ने खैर से कत्था बनाना शुरू किया। खाली कत्था बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि उससे एक बाई प्रोडक्ट और निकलता है जो रंग के काम में आता है और जिससे वे जाल रंगे जाते हैं जो समुद्र के साल्टेड वाटर में मछली पकड़ने के शिकार में इस्तेमाल किये जाते हैं। वह रंग उन जालों की उस तरह के पानी से हिफाजत करता है। एक बाई प्रोडक्ट और होता है जिसको कछ कहते हैं। यह बहुत ही वल्यूएबिल प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल पहले यूरोपियन फैक्टरी वाले करते थे। बाद में बरेली की फैक्टरी में इसका इस्तेमाल करना भी शुरू किया गया। असल बात यह है कि यूरोपियन एक कम्पनी थी जो पहले ४ आने फी पेड़ के हिसाब से कीमत देती थी, बाद में ८ आने फी पेड़ कीमत देने लगी और अब जो उससे आखरी कंट्रैक्ट हुआ वह फी दरख्त ११४ रु० के हिसाब से हुआ। हमारे यहां ३०,००० खैर के पेड़ हैं जो कि नीलाम होते हैं। १६,००० पेड़ तो हम उस फैक्टरी को दे देते हैं जो कि कछ बनाती है। हमारी कोशिश रही है कि हम अपने यहां भी कछ की फैक्टरी कायम करें। चुनांचे तीन वर्ष हुए हल्द्वानी में एक फैक्टरी कायम हुई है जिसको हम साढ़े ४ हजार दरख्त कछ और कत्था बनाने के लिये देते हैं। उसको १२४ रुपये फी दरख्त के करीब दी गयी थी।

इसी तरह से तीसरी फैक्टरी को इस साल इजाजत दी गयी और उसको २ हजार या १,५०० दरख्त दिये गये हैं। यह चीज इस वजह से की जा रही है कि एक इंडस्ट्रियल एक्सपैंशन करना जरूरी है। पुराने तरीके से एक कत्था बनाने का जो सिलसिला चला आ रहा है उसी तक महदूद रहा जाय यह ठीक नहीं है। जब कोई मुल्क इंडस्ट्रियलाइज होता है, फैक्टरीज कायम होती हैं तो माइनर इंडस्ट्रीज भी चालू होती हैं और उससे तमाम किस्म के फायदे होते हैं। बगैर इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप आगे नहीं चल सकते हैं। इस वजह से कंसेशन देना पड़ा और मुनासिब समझ कर ही दिया गया।

आइन्दा साल बरेली वाली फैक्टरी का ठेका खत्म हो रहा है। इसलिये तीनों फैक्टरीज का हम नया अरेंजमेंट करने जा रहे हैं।

जहां तक लोगों के पुराने राइट्स का ताल्लुक है हमारे तीन सर्कुलर्स जा चुके हैं और अफसरों को आर्डर्स दिये हैं कि जो पुराने राइट्स हैं उनमें कोई मदाखलत न की जाय। जो लकड़ी लिया करते थे उसी तरह लिया करें, जितनी घास लिया करते थे, जितनी चराई होती थी वह बरकरार जारी रहे, लेकिन आप यह समझें कि हर चीज में ज्यादती है। लकड़ी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, चराई की ज्यादा जरूरत है। जो लोग सर पर लकड़ी का गट्ठा लाद कर ले जाते थे अपने इस्तेमाल के लिये उसको वे आज बेंचना भी चाहते हैं। तरह-तरह

[श्री सैयद अली जहीर]

की बातें बढ़ती जाती हैं। एक प्रेशर जंगल पर बढ़ता जा रहा है। लोगों को महसूस होता है कि एक खड़ी हुई चीज है। इसे ले चलो, कुछ पैसे जेब में आयेंगे। इस वक्त इस पर बड़ा झगड़ा चल रहा है।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि जो लोग यह महसूस करते हैं कि यह बेकार की चीज है और यह समझ कर वे जंगल की लकड़ी काटना चाहते हैं या जानवर मनमाने तौर पर चराना चाहते हैं उनको समझाया जाय और इसको रोकने की कोशिश की जाय। १९५८ में हमने तीसरा सर्कुलर भेजा है और आर्डर्स दिये हैं कि जो पुराने हुकूक हैं उनमें मदाखलत न की जाय और अगर कोई मदाखलत करता है तो उसके लिये वह अफसर जरूर जवाबदेह होगा। लेकिन अगर नई चीज मांगी जा रही है तो फिर वह मजबूर होगा रोकने के लिये। तो इस पालिसी पर सरकार चल रही है।

फिर पुराने जंगल और नये जंगल का सवाल पैदा होता है प्राइवेट फारेस्ट्स सरकार के पास आ गये हैं जो पहले जमींदारों के हाथ में थे। जो लोग उनके आस-पास रहते थे वे उन जमींदारों के काश्तकार थे। उस समय क्या मजाल थी कि उन जंगलों में जाकर कोई ज्यादती करे। उनके हकूक बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब से सरकार के पास वे फारेस्ट्स आये लोगों की जरूरत बढ़ गयी है कि लकड़ी हमको हल के लिये चाहिये, मकान के लिये चाहिये, जलाने के लिये भी चाहिये और तरह-तरह के कामों के लिये लकड़ी चाहिये। हमारे पास मुश्किल यह है कि कोई रेकार्ड नहीं है कि उनके क्या हुकूक थे। इसलिये हमने फैसला किया है कि सेटिलमेंट आफिसर्स मुकर्रर किये जायं जो हर फारेस्ट एरिया में जा कर जो हुकूक होंगे लोगों के उन्हें रेकार्ड करें और फिर उनके राइट्स को गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी। उसमें हम मदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन मालूम होना चाहिये कि क्या हुकूक थे। यह नहीं कि वे यह कहें कि ऐसे हुकूक थे जो बिलकुल नहीं थे, जिनको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उनको वे इस्तेमाल करने लगे।

फारेस्ट की अहमियत मुल्क की एकनामी के डेवलपमेंट के लिये कितनी बड़ी है इस एहसास के आमतौर से फैलाने की जरूरत है, बजाय इसके आप इसको अन्डरमाइन करें और यह समझें कि फारेस्ट की कोई वेल्यू नहीं है, यह तो बेकार की चीज है और इससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा कि अगर इस प्वाइंट आफ व्यू से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो कुछ हम करते रहे हैं और कर रहे हैं वह जंगलों को बचाने के हित में ही है और इस कदर जरूरी चीज है देश की तरक्की के लिये कि अगर यह न रहे तो खुदा जाने देश का क्या हाल होगा। कुछ दिन बाद .....

श्री प्रतापसिंह--६ फीट बल्ली वाले आर्डर के बारे में भी बता दें।

श्री सैयद अली जहीर--ऐसा कोई आर्डर नहीं है।

नैनीताल में मैंने मीटिंग की थी। उनके सामने सब बातें रखी गईं और उन्होंने ऐग्री किया कि हां साहब ४.४० नये पैसे दाम ठीक हैं। लकड़ी के लिये उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड चार्ज ले ले और म्युनिसिपल बोर्ड को जंगलात विभाग सप्लाई कर दे। जंगलात विभाग को बता दे कि हमको इस साइज की लकड़ी चाहिये। मैंने उस पर आर्डर दे दिये कि जितनी भी चाहें उनको दे दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मान की चीज नहीं है आप डायरेक्टली सप्लाई कीजिए। तो फिर हमने मुनासिब समझ कर और पूछ कर कि इस साइज की जरूरत होगी ठेकेदारों को आर्डर्स दिये। वह सब लकड़ी मौजूद है उसकी कीमत फिक्स हो गई है उसी मीटिंग के अनुसार, आप ले सकते हैं। एक दिन की कमी जरूर कोयले की पड़ गई थी लेकिन लकड़ी बराबर आती रही। कोयले की कंजम्पशन की बात यह है कि एक जमाने में १६,००० मन इस्तेमाल होता था अब वह ७२ हजार मन हो गया है। तो हमें इसका आलटरनेटिव पथ्रूअल जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं तो सारे जंगल जल जायेंगे और नतीजा यह

होगा कि इरोज़न होगा, ऐरिड हो जायगा और सब प्लान्टेशन खत्म हो जायगा। मुल्क में चटियल पहाड़ ही दिखाई देंगे और सब रेगिस्तान हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--वन, लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत १७,५०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं सदन को बतला देना चाहता हूं कि केवल आधा घंटे में यह मांग जो अब प्रस्तुत होगी, खत्म हो जायगी।

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

राजस्व मंत्री (श्री चरण सिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख के अन्तर्गत ४३,६२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९ के अन्तर्गत मद ख--अनुत्पादक निर्माण-कार्य जिनके लिये पूंजी के लेख रक्खे जाते हैं के भाग २--अनुरक्षण और मरम्मत की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो खर्च किया गया है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और वह एक जुमले में कह दूं कि यह बिलकुल बेकार खर्च हुआ है और इसका जितना भी भार जनता पर पड़ा वह उस के किसी भी हित में नहीं आया। उसके कई कारण थे। जहां तक पालिसी की बात है, उपाध्यक्ष ने पहले ही संकेत किया है कि पालिसी की बात कम कही जाय क्योंकि जनरल बजट सामने है उसमें कह दी जाएगी। मैं अपनी बात केवल जहां तक गवर्नमेन्ट की असफलता का ताल्लुक है वहीं तक सीमित रक्खूंगा।

बावजूद इसके कि पहले बाढ़ आई प्रदेश में वह बहुत हलकी थी और यह आज की बात नहीं है पिछले साल भी इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों ने बार-बार जोरदार शब्दों में कहा था और चारों कोनों से यह आवाज आई थी कि केवल नदियों से ही बाढ़ आने का कारण नहीं है अपितु यह नहर जो बनाई गई हैं उनके जो साइफन वगैरह बन्द हो गये उससे पानी इकट्ठा हो गया, वह भी कारण था जिससे बाढ़ आई और नुकसान हुआ गत वर्ष भी और इस वर्ष भी। इस विषय में मेरे और राजस्व मंत्री जी के बीच काफी लिखा-पढ़ी हुई। मेरे क्षेत्र, जिला लखनऊ में मोहन लाल गंज, तहसील में जितना रकबा बाढ़ में डूबा उसमें नदी के पानी से बहुत कम डुबा। लेकिन जितना भी नुकसान हुआ फसल का उसका ३/४ नुकसान केवल यहां पानी इकट्ठा होने से, वाटर लागिंग से, हुआ।

हमारी मोहनलालगंज तहसील में सन् १९५६ से, गालिबन सन् १९५५ से चकबन्दी चल रही थी। चकबन्दी विभाग से भी यह बात कही गई कि मोहनलालगंज तहसील में वाटरलागिंग काफी होता है, बी० ए० सी० कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जरिये से बार-बार सुझाव आते रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका। इस वक्त भी जब पिछली बाढ़ आई उस समय भी मैंने राजस्व मंत्री और सिंचाई

[श्री रामशरण यादव]

मंत्री जी को दो-तीन पत्र लिखे और उनसे कहा कि यह आपत्ति आज की नहीं है यह बहुत पहले से है और करीब-करीब ७ ड्रेन्स के लिए मैंने लिखा था। जब से नहर बनी तब से सफाई नहीं हुई। तीन गांव पांच-छः घर छोड़ कर, मोहनलालगंज तहसील में बिलकुल डूब गये। ३-४ गांव बिलकुल डूबने वाले थे, चारों ओर पानी था, बिलकुल टापू बन गया था। जनता परेशान थी। जानवर डूबने लगे। डी० एम० को लिखा गया, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा गया, टेलीफोन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी पर गांव वालों से कह दिया कि नहर काट दीजिये। दो नहरें जाती है। दो नहरों को काटने में सरकार का कितना नुकसान हुआ और उनको दोबारा बनवाने में कितना भार पड़ा ? अगर वह साइफन पहले ही बनवा दिया गया होता, लेविल को पहले से ठीक करा दिया गया होता तो शायद न यह किसानों को परेशानी होती और न जनता को होती। यह हर साल की बात है। अगर इस पर एक बार खर्च कर दिया जाता तो जनता को तकलीफ न होती, यह भिखारी न होते। जानवर भी बीमार हुए और कोई डाक्टर भी वहां नहीं पहुंचा। सैकड़ों जानवर बीमारी से मर गये। टेलीफोन करने के २० रोज बाद मेडिकल आफिसर जाता है बड़ी मुश्किल से और वह भी दो दिन होकर चला आता है लेकिन जिस तरह से जनता बरदाश्त करती है, मंत्री जी और सरकार सुने या न सुने लेकिन वह तो जो रिपोर्ट नीचे से आती है उसी पर काम होता है।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन कर रहा हूं कि इस में सरकार को बिलकुल ही सफलता नहीं मिली और जनता का जो भी पैसा व्यय हुआ वह सब बेकार गया और समय पर जनता को कोई राहत नहीं मिली। इसका एक कारण तो मैंने पहले ही बताया कि जो पहले से ही बचाव हो सकता था यानी अगर इंजीनियर्स होशियार होते तो वह इस बात को समझ लेते कि अगर गांव में पानी भर जायगा तो किस तरह से जनता को तकलीफ होगी और जनता का रुपया गलत काम से बेकार व्यय हो जायगा। आज भी मोहनलालगंज में वहां ३ मजरे ऐसे हैं कि जो पानी से भर जाते हैं और बिलकुल टापू हो जाते हैं, दो नहरें वहां जाती हैं और बीच में वह पड़ते हैं। हमें मालूम है कि छिबउ खेड़ा में औरतें खड़े खड़े टट्टी करती हैं यह कितनी शर्म की बात है। जरा-सी बरसात में यह हालत हो जाती है और उन मजरों की हालत जाकर देखी जा सकती है। वहां की हालत को ए० डी० एम० श्री राम कुमार जी देख कर आये हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने माननीय चरणसिंह जी से भी बातचीत की। यही हाल इन्द्रजीत खेड़े का है। वहां की भी तमाम जमीन पानी से डूब जाती है और उसी का फल यह है कि वहां की ४।५ हिस्सा जमीन बोई नहीं जा सकी। इस हालत में आप समझ सकते हैं कि वहां की जनता भूख से मरेगी, बगैर कपड़े के बगैर खाने के क्या करेगी, जानवरों का क्या हाल होगा ?

जब कभी भी वहां के लिये किसी पुल वगैरह के बनाने की बात कही जाती है तो कोई नहीं सुनता, कूड़ा तक डालने के लिये कोई जमीन वहां नहीं रह जाती पानी ही पानी दिखाई देता है। कम से कम उन के लिये खेतों तक जाने के लिये अगर एक फुटपाथ ही बन जाय तो कुछ आराम हो जाय। मुझे डायरेक्ट किया गया कि म इस विषय में माननीय सिंचाई मंत्री जी से बात करूं, मुझे जनता की बात कहने में कोई शम नहीं है और न मैं उस में कोई तकलीफ ही महसूस करता हूं और मैं ने एक नहीं ९ पत्र भूतपूर्व सिंचाई मंत्री माननीय राममूर्ति जी की सेवा में लिखे और श्री चरणसिंह जी को भी लिखे लेकिन कोई असर नहीं हुआ और ऐन वक्त पर नतीजा यह हुआ कि मुझे खुद खड़े हो कर अपनी जिम्मेदारी पर दोनों नहरें गांव वालों से कटवानी पड़ी। इस पर गांव के लोगों पर केस चलाये गये, उनको गिरफ्तार करने की नौबत आई और फाइल चली और ३ मजरों के गांव वालों पर केस चले, जब पुलिस आई तो मैंने कहा कि बड़े शर्म की बात है। आप उन की जगह मुझे गिरफ्तार कर लें। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर यह नहरें कटवाई हैं। हर साल यह चीज होती है।

बड़ी मुश्किल से इधर ३ ड्रेन्स पास करा पाये हैं लेकिन जैसे तैसे वह भी अभी नहीं बने हैं। वहां के किसान तैयार हैं कि मुआवजा मिले न मिले, कैसे भी वह जल्द बनाये जायं और उनको बरबादी से बचाया जाय, कम से कम दूसरी बरसात से पहले तो बन ही जायं। सरकार की तरफ से काफी ढिलाई रहती है, जब पानी भर जाता है और लोग पानी से घिर जाते हैं, रहने बैठने की जगह नहीं रह जाती, जानवर बरबाद होने लगते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जब पानी बहने लगता है तब अधिकारी जाते हैं और बाद में कहते हैं कि पानी रिसीड करने लगा। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है और जनता उस से परेशान है। अव्वल तो समय से पहले स्टेप नहीं उठाया जाता है और जब पानी भर जाता है तब अगर सहायता या रिलीफ दिया गया तो उससे क्या होता है। अगर यह ड्रेन भी जो मंजूर हो गये हैं वक्त से पहले नहीं बनाये गये तो फिर वही हाल हो जायगी। वास्तव में आवश्यकता तो वहां पर अभी ७ ड्रेन्स की और है। ससेंडीताल और लुधियाना ताल में तमाम पानी भर जाता है और तमाम धान डूब जाता है और लोगों का नुकसान होता है। मैंने इस विषय में अन्तरिम जिला परिषद् में भी प्रस्ताव रखा था। चीफ इंजीनियर के पास फाइल भेजी, लेकिन वह फाइल गायब है। बार-बार टेलीफोन करते हैं, जनता दौड़ दौड़ कर आती है, वहां कोई पता ही नहीं चलता है। बड़े अफसोस की बात है। जिस डिपार्टमेंट में इतनी ढिलाई हो और इतना रुपया उस पर खर्च किया जाय तो वह बेकार है। इससे ज्यादा क्या निकम्मापन हो सकता है ?

मैं अब दो तीन सुझावों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। ड्रेन्स की मांग आज केवल मोहनलाल गंज क्षेत्र से ही नहीं आ रही है बल्कि सारे सूबे से इस प्रकार मांग आयी है। मुझसे चीफ इंजीनियर ने कहा कि यह समस्या आप के ही क्षेत्र की नहीं है, ऐसी ड्रेन्स की समस्याएं अनेकों हैं और ऐसी मांग हजारों ड्रेन्स की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। दरिया से जहां बाढ़ आती है, उसका छापा जब होता है तो वह तो आता ही रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी। उससे जनता को बचाने का केवल एक ही रास्ता है और पब्लिक और समाज को भुखमरी से बचाने का केवल उपाय यह है कि ड्रेन्स ज्यादा से ज्यादा निकलवायें। आप डर जाते हैं कि ३ मील कहां से निकलेगी ? बड़े अफसोस की बात है कि जब ८०-८० मील लम्बी आपकी नहर खुद जाती हैं तो ३ मील लम्बी ड्रेन बनाने में कौन सी परेशानी है। रोज नहरें कटवाइये ५००-६०० से ज्यादा का खर्चा इसमें नहीं आयेगा। निकलने के लिए पटरियां बन जायं, उससे जनता को बड़ी राहत होगी। कहा जाता है कि यह तो प्लानिंग कमेटी की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--समय कम है।

श्री रामशरण यादव--दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे स्वयं ख्याल है। तो इरिगेशन वाले टाल देते हैं प्लानिंग कमेटी पर और प्लानिंग वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, इरिगेशन से कराइये। आप महसूस करें कि गांव पंचायत के पास पैसा कहां है ? गांव की समस्याओं को हल करने के लिए तो है नहीं, इसके लिए कहां से आयेगा ? मैंने इस सम्बन्ध में ७ प्रस्ताव रखे विचार के लिये, जो मीटिंग होने वाली है। मैंने देखा है श्रीमन्, बरौना गांव में दो ताल हो गये। एक नहर वहां से जाती है। नहर नहीं थी तो पूरा पानी निकल जाता था तालाब का। न जमीन डूबती थी न लोगों को परेशानी थी। जब नहर निकली तो इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स ने ख्याल नहीं किया कि यहां पर एक साइफन बना दी जाय। बड़ी मुश्किल से बनी तो इसका लेविल ऊंचा कर दिया इस वजह से ताल का पानी कतई नहीं जाता। जब पानी छापा मारता है गांव पर तो

[श्री रामशरण यादव]

३-४ फिट पानी चढ़ जाता है, दरवाजों पर पानी आ जाता है तब उलटा बहाव होने लगता है और तब थोड़ा पानी निकल जाता है। उसके बनाने पर काफी रुपया खर्च किया गया और ऐसा उसको बनाया गया कि पूरा पानी नहीं निकलता। ७०-८० एकड़ जमीन, जहां बराबर धान बोया गया बराबर पानी में डूबी रहती है, आज भी पानी भरा पड़ा है और उसकी वजह से सैनिटरी कंडीशंस बहुत खराब हो गयी है और लोग बीमार रहते हैं। वहां एक ड्रेन पहले से बनी हुई है और दूसरी तालाब की जरा साफ कर दी गयी। कहा जाता है कि नक्शे में उस वक्त एक ही थी। मान लिया कि वही पास थी और जो दूसरी है तालाब वाली जो साफ कर दी गयी है वह ड्रेन नहीं बनायेंगे, इतना सा मामला है। जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--इतने विस्तार से आप न कहें। तफसील बाद में भेज दीजियेगा।

श्री रामशरण यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जुमले में खत्म कर रहा था, वह भी टाइम आपने ले लिया। मैं कह रहा था कि मंत्री महोदय कृपा करके उस पूरे ड्रेन को ले लें जिससे बरौना गांव की समस्या हल हो जाय, दूसरे सुझाव मैं बाद में भेज दूंगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ९ के लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन कर रहा हूं।

प्रथा के अनुसार कटौती का प्रस्ताव इसलिये लाया जाता है कि उसके आधार पर कुछ कहा जाय, बहस की जाय। यद्यपि इस अनुदान में जो रकम मन्जूर करायी जा रही है वह बाढ़, गरकी आदि समस्याओं को हल करने के लिये और कृषि के सुधार के लिये लगायी गयी, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् १९५० से आगरा जिले में मैं यह देख रहा हूं कि वाटर लागिंग की प्राब्लम ने एक भयंकर स्थिति पैदा कर दी है और उसी वक्त से आज तक वहां के निवासी बराबर चिल्लाते रहे, दरख्वास्तें देते रहे, मंत्रीगण और अफसरान से मिलते रहे लेकिन समस्या का कोई हल आजतक नहीं हुआ। पिछली वर्षा ने जो हालत पैदा कर दी और बार-बार चिल्लाने के बाद अब कुछ बरसाती नाले वहां पर बनाये गये हैं, लेकिन उससे कोई तसल्ली नहीं है, अब भी हजारों एकड़ रकबा पानी में डूबा हुआ है। लोगों के पास खाने के लिये अन्न, पहिनने के लिये कपड़ा और रहने को मकान नहीं है। वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक तहसील के खर्च का एस्टीमेट लगभग ४ लाख रुपये भेजा और उन्हें मुश्किल से सवा लाख रुपया मिला है जिससे वह काम हर्गिज पूरा नहीं हो सकता।

सरकार बार-बार इस बात पर जोर दे रही है कि देश और प्रदेश में सब से मुख्य चीज खेती है जिस पर ८० फीसदी से अधिक लोग निर्भर करते हैं। इस खेती से सम्बन्ध रखने वाले विभाग कृषि, सिंचाई, राजस्व, प्लानिंग और सहकारिता हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि किसी विभाग की दिलचस्पी अमली रूप में कृषि से नहीं है। अगर ऐसा न होता तो पिछले ८-१० साल के दौरान में हमें यह तसल्ली होती कि उन्होंने किसानों की दुर्दशा को नजदीक से जाकर देखा। यह बात दूसरी है कि प्रचार के लिये श्रमदान के कार्यों में देहात में कलेक्टर, डिप्टी साहब, इंजीनियर साहब वगैरह जायंगे और नाममात्र के लिये हाथ में फावड़ा लेंगे और अखबारों में फोटो छप जायगी लेकिन वास्तविक रूप में जो ध्यान कृषि की ओर होना चाहिये वह ध्यान अब तक नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री तो यहां से गायब हैं लेकिन खैर, उनके उपमंत्री साहब बैठे हुये हैं--उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूंकि राजस्व विभाग की सब से बड़ी जिम्मेदारी

कृषि के प्रति है इसलिये इस विभाग को पूर्ण-रूप से उधर तवज्जह देनी चाहिये। यह लापरवाही राजस्व विभाग की है कि उसने आजतक इस ओर कोई तवज्जह नहीं दी है जिससे किसानों की माली हालत सुधरती ।

इसी प्रकार प्लानिंग विभाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका काम भी सिवाय दिखावे के और कुछ नजर नहीं आता। कई बार प्लानिंग विभाग के अफसरों से हमने बातचीत की और उन्हें बताया कि हम पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिये तैयार हैं, श्रमदान के लिये हमारे पास काफी सेना किसानों की है लेकिन आप चल कर जरा उनमें उत्साह पैदा करें, मगर कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। तो ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं केवल इतना ही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में थोड़ी सी आंशिक तसल्ली हुई है कि इस वक्त ज्यादा चिल्लाने पर कुछ तवज्जह दी गई है।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये ।)

लेकिन जो वास्तव में होना चाहिये वह नहीं हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बरसात से पहले वाटर लागिंग की प्राब्लम तथा अन्य प्राब्लम्स भी पूरी हल हो जायगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री उग्रसेन---माननीय अधिष्ठाता जी, मैं श्री राम शरण जी यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इस अनुपूरक अनुदान में पानी की निकासी की योजना के लिये एक रकम निश्चित की गई है। इसमें एक छितौनी बांध को भी स्वीकार किया गया है। यह आवश्यक था और इस पर १० हजार रुपया खर्च किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह एक बहुत पुरानी योजना रही है। गंडक और नारायणी नदियों से जो प्रति वर्ष बाढ़ से तथा कटाव से गोरखपुर और देवरिया की क्षति हो रही है वह प्रदेशीय सरकार को मालूम है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बला और आ जाती है कि हिमालय का पानी जब चलता है तो उसको रोकने के लिये कोई बांध नहीं है और कोई रुकावट नहीं है जिससे पानी देवरिया और गोरखपुर में आ जाता है और श्रीमन्, आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मपुत्र में जून के शुरुआत में ही बाढ़ शुरू हो जाती है। मई या जून के शुरुआत में छोटी गंडक में आ जाती है। बात यह है कि जब पहाड़ों पर वर्षा होती है तो पानी वहां का आ जाता है। नारायणी बांध को नैपाल की सीमा में ८ मील और बढ़ाने के लिये योजना है और मैं समझता हूं कि इसके लिये १८ लाख रुपया रखा गया है। लेकिन पता नहीं कि नैपाली सरकार, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार में क्या बातचीत हुई कि रुपये के होते हुये भी बांध नहीं बन सका।

श्रीमन्, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि यदि सरकार हमें बचाना चाहती है इस बाढ़ से तो कम से कम ८ मील नैपाल की सीमा में इस बांध का ऐक्सटेंशन हो जाना चाहिये। यदि नहीं होगा तो हर साल छोटी गंडक में बाढ़ आती है उससे बहुत नुकसान होगा। एक शुरू में आती है, एक बीच में आती है और इस प्रदेश की तमाम नदियों की बाढ़ जब खत्म हो जाती है, फिर एक बाढ़ इसमें आ जाती है। छोटी गंडक नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है और इससे हमारे यहां तथा गोरखपुर के इलाके में वाटर लागिंग हो जाता है। घाघरा, बड़ी गंडक तथा आदि राप्ती नदियों में जब बाढ़ आती है तो पानी ३-४-५-७ दिन एक जगह रहता है और उसके बाद निकल जाता है। लेकिन जब छोटी गंडक में बाढ़ आती है तो २५-३० दिन तक पानी रुका रहता है। वहां पानी की निकासी की कोई योजना नहीं है। बाढ़ विभाग को सुझाव दिया गया था कि छोटी गंडक की टेढ़ाई को खत्म कर दिया जाय। कहीं एक फर्लांग की नालियों की जरूरत है और कहीं दो फर्लांग की जरूरत है इससे लाखों की रक्षा

[श्री उग्रसेन]

हो सकेगी। लेकिन सिंचाई विभाग ने कोई इधर ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी ने कहा कि आगरा के लिये जरूरी है और वह भी जरूरी है जो मथुरा में पम्पिंग सेट से निकालने की योजना बनाई गई है। सिंचाई मंत्री ने जिक्र किया था कि वहां एक नई नदी निकल आई है जो पहले कभी नहीं थी .....

श्री अधिष्ठाता---माननीय उग्रसेन जी इतिहास की बात न करें तो अच्छा है क्योंकि समय बहुत ही कम है।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी ने कहा था उसकी मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन टोकिन रूप में कुछ काम हुआ है और प्रदेशीय सरकार की कुछ योजना भी है और पश्चिमी इलाके के बारे में मंत्री जी बतायेंगे कि कितना काम हुआ है। उसके साथ-साथ छोटी गंडक के पेटे में जो लोग रहते हैं उनके सामने जो पानी के जमाव का प्रश्न है उसका हल किया जाय। नेपाल बांध का रुपया यूटिलाइज होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेवसिंह आर्य---अधिष्ठाता महोदय, मेरे उस तरफ के तीन मित्रों ने इस अनुपूरक अनुदान पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनको मैंने अच्छी तरह से सुना। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों की वाटरलागिंग की समस्या पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। उन्हें शायद ज्ञात है कि प्रदेशीय सरकार की ओर से ऐसे पानी की निकासी के लिये नालियों की व्यवस्था करने का आयोजन है और कहीं-कहीं ऐसा रुका हुआ पानी निकाला भी गया है।

जहां तक बांढ़ का संबंध है नारायणी पर बांध बंधा हुआ है। वह चाहते यह हैं कि नेपाल की सीमा तक बांध बंध जाय। मैं इस अवसर पर यह नहीं कह सकता कि उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है। लेकिन जहां तक बाढ़ का संबंध है उसको रोकने के लिये प्रदेश की सरकार की अनेक योजनाएं हैं। ये योजनाएं चालू हैं। उन्हीं योजनाओं की पूर्ति के लिये यह ३३ लाख ४२ हजार रुपये की अनुपूरक मांग मांगी गयी है। जो पानी गांवों में जमा हो गया है उस पानी को भी नालियों के द्वारा निकालने की व्यवस्था की गयी है इस अनुदान में। यह अनुदान इन कामों को पूरा करेगा जिन कामों की ओर माननीय मित्रों ने सरकार का ध्यान खींचा है। मैं इस संबंध में अधिक न कह कर सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस मांग को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९ की मद-ख अनुत्पादक निर्माण-कार्य, जिनके लिये पूंजी के लेखे रक्खे जाते हैं के भाग २---अनुरक्षण और मरम्मत की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत ४३, ६२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१---लेखा शीर्षक ४०---कृषि

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा-लेखा शीर्षक ४०---कृषि के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविंदसिंह विष्ट---प्वाइंट आफ आर्डर सर, यह हाउस तय कर चुका है कि आज जितनी मांगे गिलोटीन होनी चाहिये थीं वह पहले हो चुकीं। जो बाकी रह गयी हैं उन पर बहस होगी। जब हाउस ने निर्णय ले लिया तो उसके बाद गिलोटीन कैसे हो सकेगा और किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री अधिष्ठाता---मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं। यह निर्णय हो चुका था कि ४ बजकर ४० मिनट तक वाद-विवाद होगा और उसके बाद गिलोटिन हो जायगा।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---कौन-सा नियम है ?

श्री अधिष्ठाता---सदन का निर्णय है।

अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष सहायता

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५- दुर्भिक्ष सहायता---लेखा शीर्षक ५४–दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि में संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ५७,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक ८५–क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---राज्य व्यापार की योजनायें---लेखा शीर्षक: ८५–क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १२,४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary of 1958-59) Bill, 1959] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है . . . .

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अलमोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---वह तो अभी आज्ञा मांग रहे हैं। जब कंसिडरेशन का प्रस्ताव आयेगा तब आप कहेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary of 1958-59) Bill, 1959)] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---माननीय वित्त मंत्री जरा विधेयक बंट जाने दें तब अपना प्रस्ताव उपस्थित करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, जब तक बटे तब तक मैं इसका विरोध कर लूं । इसमें जो कोआपरेटिव फार्मिग की बात लाई गयी है . . . .

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जरा बैठें । जब कंसिडरेशन का प्रस्ताव आये तब आप कहेंगे । आप क्यों इतने उत्सुक हो रहे हैं, आपको अवसर मिलेगा ।

श्री सैयद अली जहीर---अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary of 1958-59) Bill, 1959] को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं अधिष्ठाता महोदय कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary of 1958-59) Bill, 1959.] पर विचार किया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैंने कटौती का प्रस्ताव दिया था लेकिन उसका मौका नहीं रहा तो मैं कृषि फार्मिंग के बारे में जो कोआपरेटिव फार्मिग के तरीके पर होने जा रही है, उसके मुताल्लिक कहना चाहता हूं । चीन और रूस में भी ये बनी हुई हैं और वहां पर . . . .

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स हैं उनमें कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये कोई रुपया नहीं मांगा गया है । इसलिये इस पर जो बहस होगी वह इरैलेवेन्ट होगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इसमें कृषि पद्धति के अनुसंधान करने की योजना है तो जो कृषि प्रथा और अनुभव है उनके आधार पर कुछ पद्धति इसमें दी हुई है । उन पद्धतियों के अन्दर यह आ जाती है । आजकल इस कोआपरेटिव फार्मिंग की बात बहुत की जा रही है और जनता का दिमाग इसमें लगा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय कृषि मंत्री ने बतला दिया है कि उन्होंने इस बजट में कहीं कोआपरेटिव फार्मिग के लिये रुपया नहीं मांगा है । इसलिये आप इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह एग्रीकल्चर सामूहिक होगा या व्यक्तिगत होगा । आज तक इस प्रकार का मंशा रहा है कि वह व्यक्तिगत हो लेकिन अब उनकी अन्य पद्धतियों के विषय में रिसर्च की जा रही है । ऐसा मालूम होता है कि अब हमको कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है । मैं पहले ही सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी को एतराज होगा । वह यह नहीं चाहते हैं कि उनके विभाग का परदाफाश हो . . . .

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये रुपया नहीं मांगा है तो उस पर बहस कैसे हो सकती है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---सरकार ने जो १२ करोड़ ४० लाख रुपया गल्ले के व्यापार के लिये मांगा है वह निहायत ही गलत है । पहले सरकार को चाहिए था ।

कि गल्ले के भाव निर्धारित कर दे । पहले तो पूंजीपति गल्ले का मुनाफा उठाते थे और गांव के बड़े फार्म वाले फायदा उठाते थे । उसका कुछ हिस्सा सरकार भी लेती थी । इसलिये सरकार, आढ़ती और गांव के बड़े फार्म वाले ये तीन लुटेरे गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों के थे । तो अब सरकार यह चाहती है कि जो आढ़ती गल्ला खरीद लेता था और उसके साथ बड़े फार्म वाले फायदा उठाते थे उनको छोड़ कर सरकार अकेले ही देश में लूट करे । वह किसानों और गरीबों का शोषण करना चाहती है । तो सरकार को चाहिये कि जब तक किसानों की फसल कटे तब तक वह अनाज का भाव निर्धारित कर दे । यदि सरकार भाव निर्धारित नहीं करती है तो गल्ला पैदा होने पर वह उसे सस्ता खरीद कर अपनी खत्तियों में जमा कर लेगी और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर गरीब मजदूरों और किसानों को देगी अधिक दामों पर, ऐसा होने पर व्यापारी और दूकानदार उसे खरीद लेते थे और गरीबों का नुकसान कर के लूटते थे । अगर ऐसा हुआ तो अकेले सरकार ही उनकी लूट करेगी । यह ठीक है कि इस तरह से जमा करने में कुछ नुकसान होता है । कुछ सूख जाता है और कुछ मूस खा जाते हैं, लेकिन यह सब काट कर एक मन में ३ सेर छीजन जायगी । इस लिए यह होना चाहिये कि सरकार जिस भाव से खरीदे उस पर वह १ आना सेर से ज्यादा मुनाफा न ले । अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह गरीबों के पेट में छुरा भोंकती है यानी जनता की लूट करती है ।

श्री अधिष्ठाता---आप शिष्ट शब्दावली प्रयोग करें । यह छुरा भोंकना जैसी बात कहना अच्छा नहीं लगता ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---मैं कहता हूं कि सरकार खून चूसती है । जो पैसा दिया जाता है वह कहां से आता है ? आदमी का खून जल के पसीने के मानिन्द बहता है तब उससे पैसा पैदा होता है । अंग्रेजों की संतानें जैसा करती थीं, जैसे व्यापार द्वारा पैसा पैदा कर के अपने देश को मालामाल बनाती थीं, वही आज यह सरकार कर रही है । यह अंग्रेजों के पद चिह्नों पर चलने वाली अंग्रेजों की सन्तान मजदूर और खेतिहर किसानों का खून चूस कर के मालामाल बन रही है । यह सरकार हर किसान और गरीब का रवत शोषण कर रही है, खून पी रही है । तो इसलिये सरकार से यह निवेदन है कि वह अनाज का भाव नियत करे और एक आना सेर से ज्यादा मुनाफा न ले, जब तक कि दूसरी फसल न आ जाय । इसके अलावा मिलों से जो चीजें पैदा होती हैं उनमें और खेती की पैदावार में, इनके भावों में एक संतुलन होना चाहिये । गन्ना १ रुपया ७ आने मन और चीनी १ रुपये सेर बिकती है । चीनी के भाव से कोई अन्तर नहीं होता लेकिन गन्ने के भाव में अंतर हो जाता है । आज गुड़ के ऊपर प्रतिबन्ध है और इसलिये उसका भाव सस्ता है लेकिन जिस दिन वह किसान के घर से निकल जायगा तो उस पर प्रतिबन्ध भी समाप्त हो जायगा और उसका भाव भी बढ़ जायगा । जब उसको गरीब और मजदूर खरीदेगा तो उसे ज्यादा दाम देना पड़ेगा । सरकार और पूंजीपतियों की सांठ-गांठ है और यह दोनों मिल कर व्यापार करते हैं और गरीबों का खून शोषण करते हैं । इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर ध्यान दे कर अनाज के भावों को निर्धारित करने की कृपा करेंगे ।

*चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे भी अफसोस है कि अभी पिछले दिनों, सावन, भादों और असाढ़ में चावल एक सेर का बिक रहा था । गवर्नमेंट ने किसानों के लिये कोई, रेट चावल का निर्धारित नहीं किया लेकिन फसल जब आई कार्तिक और अगहन में तो रेलें बन्द कर दीं बहुत से जिलों में । मैं पूछता हूं कि क्या बात है ? किसानों के साथ क्या दुश्मनी है ? आप व्यापार कीजिये लेकिन आपने जब व्यापार किया तब आपने किसानों के लिये कोई चावल की कीमत निर्धारित नहीं की । जब कि एक सेर का बिक रहा था और आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[चौधरी खजान सिंह]

१५ रु० मन चावल लिया और रेल रोक दी तब किसानों को सत्यानाश कर दिया । साढ़े पन्द्रह रुपये मन तो गवर्नमेंट लेती है लेकिन किसान से व्यापारी किस भाव लेता है इस पर भी कभी आप गौर फरमाइये । इसलिये सरकार का कसूर तो है लेकिन उस पर वह खयाल नहीं करती। अब आगे क्या होगा ? जब ६५ परसेन्ट चावल गवर्नमेंट खरीद लेगी कन्ट्रैक्टर्स से और ३५ परसेन्ट उसको देगी और अपने गोदाम को मुकम्मिल कर लेगी तो चावल बाजार में नजर नहीं आयेगा। वह १२ छंटाक ही बिकेगा ।

किसानों को हमेशा अंग्रेजी सरकार तबाह करती रही है और अब आप भी वही कर रहे हैं। चैत की फसल आ रही है । इस वक्त ३२ रुपये मन का भाव गेहूं का है और गवर्नमेंट कन्ट्रैक्टर से १३, १४ रु० में कन्ट्रैक्ट कर रही है और सब रेलें रोक दे रही है । मैं पूछता हूं कि ३२ रु० और १४ रु० का क्या हिसाब है? गवर्नमेंट को चाहिये कि इस पर विचार करे और रेट निर्धारित करे। जब वोट का वक्त आयेगा तो किसानों से कहेंगे कि हमने तुम्हारे लिये यह काम किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ? लूटने के वास्ते कौन ? वही गरीब किसान जो कि देश के मालिक हैं और उनकी तादाद ७५, ८० परसेन्ट है । किसान चूंकि बेवकूफ है, हर वक्त खेती में लगा रहता है और हल जोतता है । लेकिन उसका रेट कुछ नहीं । उसके साथ कितनी बेइन्साफी हो रही है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस पर विचार करें ताकि किसानों की माली हालत बढ़े । उसने डेढ़ सेर का बीज लेकर खेत में डाला है और वह अब बिकेगा १३, १४ रुपये में । गवर्नमेंट जो बीज देती है उस पर भी वह २५ फीसदी ज्यादा लेती है । ऐसा तो महाजन भी नहीं करते, यह तो एक अजब तरीका है । अभी मैंने देखा कि पंजाब से बीज आया और वह बाजारों में बिक रहा था । मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि यह बीज कैसे बिक रहा है तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई पाबन्दी नहीं है, बिक रहा है कोई भी खरीद सकता है । आज ३२ रुपये में गेहूं बिक रहा है लेकिन आगे रेल रोक कर किसानों से किस भाव खरीदा जायेगा, इस पर मंत्री जी विचार करें ।

श्री अधिष्ठाता---अब आप खत्म कीजिये ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके सामने इस १२ करोड़ ४० लाख के अनुदान का विरोध करता हूं कि सरकार इस नौकर परवर नीति में सफल नहीं हो सकती। जो भी काम वह कर रही है जनता और कुदरत उसके उलटे जा रहे हैं। हमारे जिले में सरकार ने कुछ बंधन लगा दिये हैं कि धान हम मिल मालिक को ही बेच सकते हैं जो चावल बनावें और वह चाहे जिस भाव पर खरीदें । उसने रेल से चावल जाना बन्द कर दिया है और आज हालत यह है कि तहसील निघासन में धान बिक रहा है १०रुपये मन जब कि लखीमपुर में १४ और १५ रुपये मन है। हम तो कहते हैं कि व्यापार व्यापारियों के लिये सरकार छोड़ दे, वह इसमें न पड़े । खेती खेतिहर के लिये छोड़ दे वरना सरकार सफल नहीं हो सकती । यदि सरकार नदी की धार बन्द कर देगी तो बन्द पानी जहां भी होगा सड़ जायगा । सरकार ने गन्ने का दाम मिल वालों के लिये १ रुपये ५ आना और १ रुपया ७ आना निर्धारित किया हुआ है जब कि खाण्डसारी वाले उसे २ रुपये दो आने मन खरीदते हैं । सरकार ने हुक्म निकाला है मिल एरिया में क्रशर नहीं लगाये जा सके यह मिलपरवर नीति है या किसान परस्त । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह किसानों को जिन्दा रहने दे और व्यापार खुला छोड़ दे, खेती खुला छोड़ दे। देखेंगे कि चीजें सस्ती होती हैं या नहीं। सरकार के सहकारी भट्टे असफल रहे। कोआपरेटिव की होली ही अच्छी होती है कि सब ताप लेते हैं । सरकार की कोआपरेटिव भी फेल रही । अतः सरकार खुद न खेती और न व्यापार करे सब जनता स्वयं कर सकती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, इसमें अनुदान संख्या ५१ में १२ करोड़ ४० लाख रुपये की मांग में जब यह देखा कि राज्य व्यापार में १२ करोड़ रुपया खर्च

हो चुका है तो इस अनुदान में यह पता नहीं चला कि यह रुपया घाटे में चला गया है, या इसका माल गोदाम में सड़ गया है, कोई जहाज डूब गया है या किस काम में खर्च हो गया है । एक बात यह है, जरा पुरानी अवश्य है, कि जिस समय कन्ट्रोल और प्रोक्योरमेंट चल रहा था उस समय मैं लखीमपुर के रीजनल फूड कंट्रोलर का कंट्रैक्टर था हैण्डलिंग और ट्रान्सपोर्ट के लिये । मैंने देखा कि जो बोरा लखीमपुर में भरा गया वह लखीमपुर और लखनऊ के बीच ७ बार आया गया, मैंने उन पर निशान बना दिये थे । सीतापुर की कैम्प जेल के ठेकेदार ने भी मुझे ऐसा ही बताया । बात यह हुई कि माल लखनऊ में आया और मंत्री जी के आर्डर से फिर आया गया । इस प्रकार से पांच-पांच और छः-छः मर्तबा यह माल आया गया । इसके ऊपर कितना पैसा सरकार का और जनता का बरबाद हुआ और उसके बाद वह किस भाव से खरीदा गया और अन्त में वह किस भाव से जनता को पहुंचाया गया ? और यदि सस्ते दामों में भी पहुंचाया गया तो राज्य कोष का पैसा घाटे में गया । किसी मंत्री की तनख्वाह से वह पैसा आया है, किसी एम० एल० ए० की तनख्वाह से आया है या किसी अधिकारी से वह पैसा वसूल किया गया है ? वह पैसा तो गरीब जनता से वसूल किया गया है, उन टैक्सों के द्वारा वसूल किया गया है जो उस पर लगाये गये हैं ।

एक जमाना था जब कि जजिया कर लगाया गया था ।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि समय बहुत कम है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिस वक्त आपको रोकना हो आप लाल सिगनल कर दीजिये मैं बैठ जाऊंगा । जो पैसा राज्य व्यापार में खर्च किया जा रहा है, उसके द्वारा लोगों का भोग लगता है । इस सेक्रेटेरियेट की नाक के नीचे आर० एफ० सी० का आफिस है । लाखों रुपया आर० एफ० सी० और आर० एम० ओ० को रिश्वत देकर राज्य व्यापार में घाटा दिखा दिया गया । आडिट रिपोर्ट में दिखाया गया है कि वह गल्ला सड़ा कह कर बेच दिया गया, सड़े गल्ले पर बाद में क्लेम कर लिया और इस तरह से मुनाफा कमाया । इसलिये मैं राज्य सरकार के व्यापार के सिस्टम का घोर विरोध करता हूं । यह राज्य व्यापार जनता के लिये अशुभ सूचक है ।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, अब मैं क्या जवाब दूं । मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि कोई डायरेक्ट ताल्लुक उन बातों का इस विधेयक से है नहीं । कल जनरल डिबेट तक सब्र कर लिया होता तो वहां वह तकरीर कुछ मुनासिब ही होती । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पैडी के दाम मुकर्रर किये और उसी के मुताबिक चावल प्रोक्योर किया जा रहा है लेकिन उसका इल्जाम भी हमारी गर्दन पर रख दिया । उससे एप्रोप्रियेशन बिल का कोई ताल्लुक नहीं है । यह १२ करोड़ रुपया जो रखा गया है वह फेयर प्राइस शाप्स के लिये रखा गया है । जब गरानी शुरू हुई तो दूकानों का नम्बर बढ़ाना पड़ा और उसके लिये रुपये की जरूरत हुई जब गल्ला बिकेगा तो रुपया वापस आ जायगा । इसमें किसी पालिसी का सवाल नहीं है । इसलिये जो तजवीज मैंने पेश की है उसको पास किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh Appropration (Second Supplementary of 1958-59) Bill, 1959] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३ व अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संचित निधि से वर्ष १९५८-५९ के लिये १८,६४,३१,२०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग (१८,६४,३१,२०० रुपया) केवल अट्ठारह करोड़, चौसठ लाख, इकत्तीस हजार, दो सौ रुपया होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं :

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय ..	८८,८००	२००	८९,०००
२	मालगुजारी (लैंड रेवेन्यू) ..	३००	..	३००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) ..	..	१००	१००
४	स्टाम्प	९०,०००	..	९०,०००
५	बन	१७,५०,५००	..	१७,५०,५००
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) ..	४३,६२,४००	..	४३,६२,४००
१०	सिंचाई स्थापना पर व्यय ..	१७,१०,०००	४००	१७,१०,४००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	४००	३२,९००	३३,३००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय ..	..	१०,६००	१०,६००
१५	न्याय प्रशासन	५,४६,६००	..	५,४६,६००
१६	जेल	१२,०९,०००	..	१२,०९,०००
१७	पुलिस	११,५८,०००	..	११,५८,०००
१८	शिक्षा	१५,८४,१००	१,८००	१५,८५,९००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	१,१००	..	१,१००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	३००	..	३००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज	५००	१०,८००	११,३००
२२	उपनिवेशन (कोलोनाइजेशन)		६००	६००
२३	पशु चिकित्सा (वेटरिनरी)		१,६००	१,६००
२४	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हों	६४,०६,४००	..	६४,०६,४००
२७	उद्योग	८००	..	८००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत निधि पर भारित	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२८	श्रम	१००	..	१००
२९	परिवहन विभाग	६६,४८,४००	..	६६,४८,४००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	५,००,१००	..	५,००,१००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) ..	१००	..	१००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्यों की स्थापना पर व्यय	५,३०,०००	..	५,३०,०००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	१००	..	१००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फेमीन रिलीफ) ..	५७,००,०००	३४,००,०००	९१,००,०००
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे ..	६,५०,०००	..	६,५०,०००
३७	बढ़ौती भत्ते और पेंशनें	१,४१,४००	..	१,४१,४००
३८	लेखन-सामग्री और छपाई ..	२,०८,०००	..	२,०८,०००
३९	प्रकीर्ण व्यय	९००	२२,४००	२३,३००
४१	समाज कल्याण	२००	..	२००
४२	असाधारण व्यय	७,५६,१००	..	७,५६,१००
४३	योजना और एकीकरण	१००	..	१००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	१००	१००
	ऋण कम करना या उससे बचना ..	..	२००	२००
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय को छोड़कर) ..	६००	..	६००
४७	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउट ले)	५००	..	५००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) ..	१००	..	१००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट बस सर्विसें, सहायता तथा पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	१,१०,४३,१००	१,४००	१,१०,४४,५००
५१	राज्य व्यापार की योजनायें ..	१२,४०,००,०००	..	१२,४०,००,०००
५२	व्याज वाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेस)	१,३८,५९,१००	..	१,३८,५९,१००
	योग ..	१८,२९,४८,१००	३४,८३,१००	१८,६४,३१,२००

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९

३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने का,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ फरवरी, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	फैक्टरी का नाम	बन्द रहने की अवधि
		१४ दिसम्बर, १९५८ से २४ दिसम्बर, १९५८ तक	
१	सहारनपुर ..	इकबालपुर	१९, २२ व २३ दिसम्बर, १९५८ तीन दिन
२		देवबन्द	१६ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५८ छः दिन
३	मेरठ ..	सखौती टांडा	१५ ,, से २० ,, ,, छः दिन
४		दौराला	१६ ,, से २० ,, ,, पांच दिन
५		जसवन्त	१५ ,, से १७ ,, ,, तीन दिन
६		मोहिथीनपुर	१५ ,, से १९ ,, ,, पांच दिन
७		बेगमाबाद (मोदीनगर)।	१४ ,, से २० ,, ,, सात दिन
८		सिम्भौली	१५ ,, से २० ,, ,, छः दिन
९		मवाना	१६ ,, से २० ,, ,, पांच दिन
१०	मुजफ्फरनगर	खतौली	१६ ,, से १९ ,, ,, चार दिन
११		रोहानाकलां	१६ ,, से १९ ,, ,, चार दिन
१२		मंसूरपुर	१६ ,, से १९ ,, ,, चार दिन
१३	बस्ती ..	बस्ती	१५ दिसम्बर, १९५८ .. एक दिन
१४	बाराबंकी ..	बाराबंकी	१६ ,, ,, .. एक दिन
१५	बाराबंकी ..	बुढ़वल	१५ ,, ,, .. एक दिन
१६	देवरिया ..	खड्डा	२० ,, ,, .. १२ घंटे
१७	गोरखपुर ..	सरदारनगर	७/८ जनवरी, १९५९ की रात्रि .. दूसरे दिन दोपहर में चालू हो गई।
		१३ जनवरी, १९५९ से १८ जनवरी, १९५९ तक	
१	देवरिया ..	रामकोला (खेतान)।	१३ और १५ जनवरी, १९५९ के बीच ५४ घंटे
२		रामकोला पंजाबी	१४ जनवरी, १९५९ .. १७ घंटे
३		लक्ष्मीगंज	१४ ,, ,, .. २२ घंटे
४	बिजनौर ..	धामपुर	१५ से १६ व १८ जनवरी, १९५९ (आंशिक रूप से)। दो दिन और एक दिन आंशिक रूप से।
५	गोरखपुर ..	घुघली	१७ जनवरी, १९५९ .. १२ घंटे

क्रम-संख्या	जिले का नाम	फैक्ट्री का नाम	बन्द रहने की अवधि
		५ फरवरी, १९५९ से १० फरवरी, १९५९ तक	
१	देवरिया ..	खड्डा	५ फरवरी, १९५९ से ६ फरवरी, १९५९ .. दो दिन
२	..	स्योराही	६ ,, ,, .. एक दिन
३	..	कठकुइयां	७ ,, ,, .. १८ घंटे
४	..	बैतालपुर	६ ,, ,, .. ९ घंटे
५	गोरखपुर ..	घुघली	५ ,, ,, से ६ फरवरी, १९५९ .. दो दिन
६	गोंडा ..	बभनान	५ ,, ,, .. एक दिन
७	बुलन्दशहर ..	पन्नीजी	६ ,, ,, से ९ फरवरी, १९५९ .. चार दिन
८	बस्ती ..	बस्ती	५ ,, ,, .. २० घंटे
९	बस्ती ..	वाल्टरगंज	५ ,, ,, .. १७ घंटे

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

(१) गन्ना किसानों से नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के रूप में जो धन जमा किया गया :

वर्ष	कुल धन जो जमा हुआ	
	रु०	न०पै०
दिनांक १ दिसम्बर, १९५८ तक		
(१) १९५६-५७	१५,५४४	५६
(२) १९५७-५८	७६,१६५	३४
(३) १९५८-५९ .. .. (दिनांक ३० नवम्बर, १९५८ तक)	८,७९६	०२
	१,००,५०५	९२

(२) मझौला में प्रस्तावित चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में किसानों से कटौतियों द्वारा धन प्राप्त हुआ :

वर्ष	कुल धन जो जमा हुआ	
	रु०	न०पै०
दिनांक १ दिसम्बर, १९५८ तक		
(१) १९५६-५७	४,८१,९२२	६९
(२) १९५७-५८	४,०२,८०५	७९
(३) १९५८-५९ .. .. (दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ तक)	५२,५४१	७३
कुल धन ..	९,३७,२७०	२१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

मैनेजिंग डाइरेक्टर सेक्रेटरी	.. ..	श्री एम० एस० मिश्र खजानसिंह
बेयर हाउसमैन	.. ..	(१) श्री टी० डी० पांडे
		(२) ,, प्रेमशंकर
		(३) ,, ओ० पी० त्यागी
		(४) ,, एस० बी० वर्मा
		(५) ,, अविनाश चन्द्र वाजपेयी
		(६) ,, एस० एल० गर्ग
		(७) ,, के० जी० गुप्ता
		(८) ,, एफ० ए० अब्बासी
		(९) ,, रामहर्ष वर्मा
		(१०) ,, इन्द्ररमन सिंह
		(११) ,, सत्य प्रकाश
		(१२) ,, के० एन० बाजपेयी
टेक्निकल असिस्टेंट तथा एकाउन्टेन्ट	..	(१) श्री एस० एन० मिश्र
		(२) ,, काशीनाथ
		(३) ,, सी० के० त्यागी
		(४) ,, के० पी० सिंह
		(५) ,, एम० आर० अब्बासी
		(६) ,, ए० एस० परिवार
		(७) ,, टी० आर० सिंह
		(८) ,, टी० डी० एल० कुशवाहा
		(९) ,, एस० एस० भटनागर
		(१०) ,, एस० बी० सिंह
		(११) ,, आर० पी० अवस्थी
		(१२) ,, सी० एस० पांडे
		(१३) ,, एस० के० श्रीवास्तव
		(१४) ,, बी० के० शर्मा
चपरासी	.. ..	(१) श्री भगवानदीन
		(२) ,, श्रीशंकर
		(३) ,, राजाराम
		(४) ,, रामलखन
		(५) ,, भूपत

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

जली हुई वस्तुयें					दरें			कुल हानि	
		मन	से०	छ०	रु०	आ०	पा०	रु०	न०पै०
१—गेहूं का भूसा (ए क्लास)	..	१२९	१४	१२	२	८	०	३२३	४३
२—गेहूं का भूसा (बी क्लास)	..	४०६	३१	०	२	०	०	८१३	५५
३—ओट का भूसा	..	८	०	०	२	०	०	१६	००
४—चने का भूसा	..	३६६	०	०	१	०	०	२६६	००
५—अलसी का भूसा	..	११५	०	०	१	०	०	११५	००
						कुल	..	१,६३३	९८

इसके अतिरिक्त कुछ क्षति शेडों (sheds) की दीवालों व छत को भी पहुंचीं जो कि बहुत मामूली थी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ व ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

तालिका ०

जिला	कामदारों की विभिन्न योजनाओं जैसे कपास इत्यादि के अन्तर्गत	परिगणित जाति के कामदारों की संख्या	पिछड़ी जाति के कामदारों की संख्या
१—बांदा	३३	१	२
२—गाजीपुर	३१	२	१६
३—इलाहाबाद	६१	४	१२
४—नैनीताल	१२३	५	३
५—देवरिया	५६६	४०	२९
६—पीलीभीत	८६	४	८
७—हमीरपुर	२९	४	२
८—मुरादाबाद	१२७	१०	२
९—बाराबंकी	१५५	४	१५
१०—बहराइच	६२	१४	१०
११—फैजाबाद	१८५	१४	४
१२—रामपुर	५९	२	१
१३—अल्मोड़ा	४६	४	..
१४—लखनऊ	२१	३	..
१५—हरदोई	७४	११	६
१६—सुल्तानपुर	४१	१	१
१७—लखीमपुर खीरी	१९७	१७	२८
१८—इटावा	१८	१	५
१९—शाहजहांपुर	५९	४	..
२०—अलीगढ़	४०	१	३
२१—मैनपुरी	३१	३	१५
२२—फतेहपर	२९	१	६
२३—गोंडा	२४३	२०	५
२४—प्रतापगढ़	३८	३	९
२५—मुजफ्फरनगर	१४८	१६	९
२६—टेहरी-गढ़वाल	३५	१	..
२७—बलिया	५६	..	१७
२८—आगरा	४६	२	६
२९—बुलन्दशहर	१११	११	२९
३०—एटा	३४	३	८
३१—जौनपुर	४०	१	८
३२—मथुरा	२८	२	३
३३—बदायूं	८५	६	६
३४—जालौन	२८	२	५
३५—फर्रुखाबाद	३०	..	१५
३६—कानपुर	५०	२	२५

जिला	कामदारों की विभिन्न योजनाओं जैसे कपड़ा इत्यादि के अन्तर्गत	परिगणित जाति के कामदारों की संख्या	पिछड़ी जाति के कामदारों की संख्या
३७—बिजनौर	१२४	९	८
३८—सहारनपुर	१८३	२२	८
३९—उन्नाव	२९	३	५
४०—पौढ़ी गढ़वाल	४२	६	..
४१—सीतापुर	१७८	७	१
४२—आजमगढ़	७४	१	२३
४३—मिर्जापुर	३२	२	५
४४—गोरखपुर	२३६	१३	३९
४५—मेरठ	२२८	१८	३०
४६—बरेली	१२७	५	४
४७—बस्ती	२४६	१५	११
४८—रायबरेली	१८	२	४
४९—झांसी	३३	१	७
५०—वाराणसी	४४	५	१२
५१—देहरादून	७	..	..

सत्यमेव जयते

तालिका २

जिला	काटन इन्सपेक्टरों की संख्या	परिगणित जाति के काटन इन्स-पेक्टरों की की संख्या	पिछड़ी जाति के काटन इन्सपेक्टरों की संख्या
१—इलाहाबाद	२	..	..
२—फतेहपुर	१	..	..
३—उन्नाव	१	..	..
४—हमीरपुर	१	..	..
५—झांसी	१	..	..
६—जालौन	१	..	..
७—मेरठ	२	..	..
८—बदायूं	१	..	..
९—लखनऊ	२	..	..
१०—आगरा	२	..	..
११—बरेली	१	..	..
१२—एटा	१	..	..
१३—अलीगढ़	१	..	..
१४—मथुरा	१	..	..

तालिका ३

जिला	काटन सुपरवाइ-जरों की संख्या	परिगणित जाति के काटन सुपर-वाइजरों की संख्या	पिछड़ी जाति के सुपरवाइजरों की संख्या
१—अलीगढ़	८	१	..
२—मथुरा	१२	..	२
३—आगरा	५	..	..
४—एटा	६		२
५—मैनपुरी	२	..	१
६—बुलन्दशहर	८	१	..
७—बदायूं	६	..	१
८—रामपुर	२	..	..
९—इटावा	२	..	२
१०—फर्रुखाबाद	२	..	१
११—कानपुर	२	..	१
१२—जालौन	१	..	..

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

जिले का नाम	गोसदन न खुल सकने का कारण
राजकीय गोसदन—	
१—लखीमपुर खीरी ..	उपयुक्त भूमि मिलने में देरी हुई। अब इमारतें बन चुकी हैं और जानवर शीघ्र भेजे जाने लगेंगे।
२—मिर्जापुर ..	आवश्यक भूमि तलाश कर ली गई है तथा इस भूमि को प्राप्त करने के लिये वन विभाग से पत्र व्यवहार हो रहा है।
निजी गोसदन—	
पीलीभीत ..	गोशाला सोसाइटी, बरेली जिसे निजी गोसदन खोलने के लिये चुना गया था, गोसदन में चर्मालय बनाने के लिये तैयार नहीं थी। उपर्युक्त सोसाइटी को बिना चर्मालय खोले ही गोसदन स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है और गोसदन शीघ्र ही खुल जायगा।
छोटे जिला गोसदन—	
१—सहारनपुर ..	इमारतें बनाने का काम जारी है।
२—मथुरा ..	" " "
३—बदायूं ..	" " "
४—शहाजहांपुर ..	" " "
५—हमीरपुर ..	" " "
६—बांदा ..	" " "
७—मिर्जापुर ..	" " "
८—गोरखपुर ..	" " "
९—बुलन्दशहर ..	इमारतें बनाने के लिये प्लान्स और एस्टीमेट्स बन रहे हैं।
१०—वाराणसी ..	" " "
११—आजमगढ़ ..	" " "
१२—रामपुर ..	उपयुक्त भूमि की खोज हो रही है।
१३—इटावा ..	" " "
१४—कानपुर ..	" " "
१५—झांसी ..	" " "
१६—जालौन ..	" " "
१७—लखनऊ ..	" " "
१८—गाजीपुर ..	" " "
१९—गढ़वाल ..	" " "
२०—खीरी ..	" " "

जिले का नाम	गोसदन न खुल सकने का कारण
२१—बिजनौर	.. इमारतें बनने के लिये प्लान्स और एस्टीमेट्स स्वीकृत हो चुके हैं। इमारतें बनने का काम रुका हुआ है क्योंकि अभी तक इस गोसदन के लिये सिंचाई विभाग द्वारा पानी मिलने की स्वीकृति नहीं मिली है।
२२—देहरादून	.. गोसदन के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये वन विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है।
२३—बहराइच	.. भूमि प्राप्ति के लिये वन विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है।
२४—नैनीताल	.. उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
२५—बरेली	.. ,, ,, ,,
२६—मुरादाबाद	.. ,, ,, ,,
२७—आगरा	.. ,, ,, ,,
२८—अल्मोड़ा	.. ,, ,, ,,
२९—टेहरी गढ़वाल	.. ,, ,, ,,
३०—मैनपुरी	.. ,, ,, ,,
३१—पीलीभीत	.. ,, ,, ,,
३२—फतेहपुर	.. ,, ,, ,,
३३—देवरिया	.. ,, ,, ,,
३४—बलिया	.. ,, ,,
३५—बस्ती	.. ,, ,,
३६—प्रतापगढ़	,, ,,
३७—जौनपुर	,, ,,
३८—सीतापुर	.. ,, ,, ,,

गोसदन खोलने का मन्तव्य यह है कि बूढ़े, बेकार तथा बच्चा न देने वाले पशुओं को अलग करके दूर जंगल में ऐसे स्थान पर रखा जाय जहां उनके लिये स्वाभाविक रूप से काफी चरागाह उपलब्ध हो जिससे कि सीमित मात्रा में उपलब्ध उपजाया हुआ चारा तथा घास उपयोगी तथा बच्चा देने वाले पशुओं के प्रयोग में लाई जा सके। गोसदनों में वस्तुतः पशु स्वाभाविक मृत्यु मरने के लिये भेजे जाते हैं। गोसदनों में मरे हुए पशुओं की ठीक से खाल उतार कर तैयार की जाती है। इनके शवों से प्राप्त होने वाले गौण पदार्थों से जानवरों को खिलाने तथा खाद के काम आने वाले अच्छे किस्म का मीट मील (Meat Meal) तथा बोन मील (Bone Meal) चर्बी, सींग तथा खुरों से अन्य उपयोगी वस्तुयें बनाई जाती हैं।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में राज्य में ८ राजकीय गोसदन, १२ निजी गोसदन तथा प्रत्येक जिले में एक छोटा गोसदन खोलने का आयोजन किया गया है। राजकीय गोसदनों में लगभग १,००० निजी गोसदनों में ४०० से ५०० तक तथा जिला गोसदनों में २०० से लेकर

२५० तक पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाती है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी तक २ राजकीय गोसदन, एक बांदा में तथा दूसरा बहराइच में, ५ निजी गोसदन, मिर्जापुर, देहरादून, आगरा, सहारनपुर तथा पीलीभीत जिलों में, १३ जिला छोटे गोसदन, मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बाराबंकी, उन्नाव सुल्तानपुर, रायबरेली, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद और फैजाबाद जिलों में खोले जा चुके हैं।

गोसदनों में नस्ल सुधार का कोई प्रबन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नस्ल सुधार के लिये निम्नांकित योजनायें बनाई हैं---

१---कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा ग्राम समूह योजना केन्द्र की स्थापना,

२---पशु प्रजनन प्रसार केन्द्र,

३---राजकीय फार्मों पर उपलब्ध अतिरिक्त गायों को पशु पालकों में वितरित करना,

४---ग्रामीणों को अच्छी नस्ल के बछड़ों को पालने के लिये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता,

५---ग्रामीणों को अच्छे नस्ल की गायों को तकावी पर दिये जाने की व्यवस्था,

६---ग्रामों में अच्छे नस्ल के साड़ों का वितरण,

७---बछड़े तथा अनुपयोगी साड़ों को बधिया करना,

८---दुग्धशालाओं को तकावी ऋण,

९---गौशालाओं को विकास के लिये आर्थिक सहायता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ३२५ एल० ए०---१९५९---८४५।